रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 1988/आश्विन 4, 1910

No. 41] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 1988/ASVINA 4, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दि इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया

(कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्थापित)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1988

फाइल सं. 104/16/लेखा

31 मार्च 1988 को समाप्त वर्ष की दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सैक्रेटरीज आफ इण्डिया की आठवीं वार्षिक रिपोर्ट

प्रस्तावना :

1. कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 18(5) के अनुसरण में दि इन्स्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया की परिषद् 31 मार्च 1988 को समाप्त वर्ष की आठवीं वार्षिक रिपोर्ट और इस अवधि के लेखों के लेखा परिक्षित विवरण तथा उन पर इंस्टीट्यूट के कामकाज की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहर्ष प्रकाशित करती है।

व्यवसाय के महत्वपूर्ण कार्यकलाप :

कम्पनी (संशोधन) बिल, 1987, को अब संसद द्वारा पारित कर एक्ट बना दिया है, जिसकी सहमति राष्ट्रपति ने 24 मई 1988 को प्रदान कर दी है; इसमें किए गए संशोधन से कम्पनी सचिवों के व्यवसाय मे एक नई उपलब्धि प्राप्त हो गई है। संशोधन अधिनियम से "कम्पनी अधिनियम 1956" में दी गई "सचिव" की परिभाषा "कम्पनी सचिव" के अनुरूप हो गई है जो कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 में दी गई है। इसके अतिरिक्त पूर्णकालिक प्रैक्टिसरत सचिव की संकल्पना प्रवर्तित की गई है, जिसका अर्थ यह है कि कम्पनी सचिव वह है जिस के पास प्रैक्टिस प्रमाणपत्र है, न कि वह जो पूर्णकालिक नौकरी में है। प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिव की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए संशोधन अधिनियम में प्रस्ताव है कि सूचीबद्ध कम्पनियों की वार्षिक विवरणियों पर पूर्णकालिक प्रैक्टिसरत सचिव के भी हस्ताक्षर होने चाहिए। यद्यपि प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिव के लिए जो मुख्य क्षेत्र बनाया गया है, वह किसी व्यक्ति के लिए बड़ा कदम नहीं माना जा सकता। परन्तु व्यवसाय की दृष्टि से यह आगे बढ़ता हुआ कदम है। इसके अलावा, पूर्णकालिक कार्यरत सचिव को प्राधिकार दिया गया है कि वह कम्पनी के निगमन के लिए व्यापार प्रारम्भ करने के लिए सांविधिक घोषणा फाइल कर सकता है और प्रमाणित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना कम्पनी द्वारा प्रबन्धकार्मिकों की नियुक्ति और उन्हें दिए जाने वाले प्रबन्ध पारिश्रमिक सम्बन्धी सांविधिक मार्गदर्शन सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है। ये सभी प्रावधान 15 जून, 1988 से लागू हो गए हैं और इनसे आने वाले वर्षों इस व्यवसाय में प्रैक्टिसरत पक्ष निश्चित ही सुदृढ़ होगा।

2.1 कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 1988 के अधीन मान्यता :

संशोधन अधिनियम ने पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति के लिए धारा 383(क) के अधीन कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी को निर्धारित करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को प्रदान कर दी है, जो पहले स्वयं अधिनियम के अन्तर्गत 25 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। यदि कोई कम्पनी इस प्रावधान का अनुपालन नहीं करती है तो उसके लिए प्रत्येक चूक दिन पर 50 रुपए के जुर्माने की व्यवस्था भी की गई है, जब तक कि कम्पनी यह सिद्ध न करदे कि उसके इस प्रावधान के अनुपालन के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए या कम्पनी की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह पूर्णकालिक सचिव नियुक्त कर सकती है। यद्यपि सरकार ने अभी तक संशोधित धारा को लागू न कर धारा 383-क के पहले वाले प्रावधानों को बनाए रखा है, आपकी परिषद् ने सरकार से कहा है कि वह संशोधित धारा में भी 25 लाख रुपए की वित्तीय सीमा निर्धारित कर दे क्योंकि पर्याप्त संख्या में अर्हता प्राप्त कम्पनी सचिव उपलब्ध हैं और विधि मंत्री ने कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 पेश करते हुए आश्वासन दिया था कि निगम-प्रबन्ध के व्यावसायीकरण के लिए सभी उपाय किए जाएंगे और यदि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता पड़ी तो 10 लाख रुपए की निम्न सीमा निर्धारित करने पर भी विचार किया जाएगा।

2.2 कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 1988 :

यह बात उत्साहवर्धक है कि कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 1988 द्वारा जो संशोधन किए गए हैं, वे व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसके अलावा इस संशोधन अधिनियम में ऐसी कुछ सिफारिशें भी शामिल कर ली गई हैं, जिन्हें इंस्टीट्यूट ने पहले कहा था, जैसे वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन को सरल बनाने, भावी निवेशकों को संक्षिप्त विवरण पत्र जारी करने तथा कम्पनियों द्वारा कुछेक सांविधिक मार्गदर्शन सिद्धांतों को पूरा करने पर सरकार के अनुमोदन बिना कम्पनी द्वारा प्रबन्ध कार्मिकों की नियुक्ति और उनको पारिश्रमिक प्रदान करना।

2.3 मिश्र दस्तावेजों का प्रवर्तन :

पूंजी निर्गम सलाहकार समिति की बैठक में दिए गए सुझाव पर भूतपूर्व अध्यक्ष श्री आर. रामचन्द्रन तथा समिति के एक सदस्य भी एक ऐसे नए मिश्र दस्तावेज तैयार करने के सम्बन्ध में व्यवहार्यता अध्ययन कार्य हाथ में लिया, जिस में एक अंश ब्याज वाले डिबेंचरों का तथा दूसरा अंश लाभांश प्रदान करने वाले इक्विटी शेयरों का निहित हो। प्रस्तावित मिश्र दस्तावेज पर कुछ व्यापारी बैंकरों, स्टॉक एक्सचेंज के पदाधिकारियों, स्टॉक ब्रोकरों तथा वरिष्ठ कम्पनी सचिवों से लाभप्रद विचारों का आदान-प्रदान कर के मई 1987 में इंस्टीट्यूट ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने रिपोर्ट की प्राप्ति स्वीकृति दी है और इस दिशा में इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है।

संगठनात्मक ढांचा

3. परिषद्

3.1 परिषद् के संघटन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सभी निर्वाचित और नामित सदस्य इस रिपोर्ट की तिथि तक अपने पदों पर बने रहे।

3.2 बैठकें

परिषद् ने 1987-88 के दौरान छः बैठकें रखीं।

4. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष :

1 जनवरी, 1988 को आयोजित परिषद् की दसवीं बैठक में श्री आर. रामचन्द्रन ने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और श्री वी. एल. दोराईस्वामी को वर्ष 1988 के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसी बैठक में श्री श्यामल सेन को 1-1-1988 से एक वर्ष के लिए सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। वर्ष 1987 में इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में श्री आर. रामचन्द्रन द्वारा की गई मूल्यवान सेवाओं के लिए परिषद् ने उनकी सराहना की।

5. समितियां :

अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार परिषद् ने वर्ष के दौरान तीन स्थायी और पांच अन्य समितियों का गठन किया। विभिन्न समितियों की संरचना इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "..." में दी गई है।

6. क्षेत्रीय परिषदें और शाखाएं :

6.1 क्षेत्रीय परिषदें :

1 जनवरी, 1986 से 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित चार क्षेत्रीय परिषदों में से प्रत्येक परिषद् की गतिविधियां वर्ष के दौरान चलती रहीं। वर्ष 1987-88 के लिए 4 क्षेत्रीय परिषदों की वार्षिक रिपोर्टों से तैयार की गई गतिविधियों और वित्तीय स्थितियों का सारांश इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "ख" में दिया गया है।

6.2 शाखाएं :

कंपनी सचिव विनियमावली 1982 के विनियम 143 के अनुसार 4 क्षेत्रीय परिषदों के क्षेत्राधिकार के अधीन गठित 32 शाखाएं विद्यार्थियों की स्थिति और सदस्यों के व्यावसायिक विकास के लिए वर्ष के दौरान अपनी स्थानीय गतिविधियां चलाती रहीं।

6.3 क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के पदाधिकारियों की बैठकें :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में और फरवरी 1988 के प्रथम सप्ताह में कलकत्ता में हुए इंस्टीट्यूट के 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के पदाधिकारियों की बैठकें क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के बीच नियमित रूप से पारस्परिक संबंध रखने की प्रक्रिया के सिलसिले में आयोजित की जाती रहीं। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में वर्ष में वर्तमान गतिविधियों का जायजा लेने तथा गतिविधियों की गति को बढ़ाने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव तथा चार क्षेत्रीय परिषदों के चेयरमैनों के बीच एक अलग बैठक जनवरी, 1988 में रखी।

6.4 सर्वश्रेष्ठ शाखा पुरस्कारों का वितरण :

4 फरवरी, 1988 को कलकत्ता में ग्रांड होटल में 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर श्री राजीव कौल, प्रबंध निदेशक, निक्को लि. तथा अध्यक्ष इंडियन चैम्बर आफ कामर्स ने वर्ष 1986-87 के लिए निम्नलिखित सर्वश्रेष्ठ शाखा पुरस्कार वितरित किए :—

(1)	वर्ष 1986-87 के लिए इंस्टीट्यूट की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय शाखा के रूप में अधिनिर्णीत होने के कारण चल रजत शील्ड और प्रशस्ति प्रमाण पत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय शाखा के लिए प्रशस्ति पत्र।	अहमदाबाद शाखा
(2)	पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय शाखा होने के कारण प्रशस्ति प्रमाण पत्र।	रांची शाखा
(3)	उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय शाखा होने के कारण प्रशस्ति प्रमाण पत्र।	कानपुर शाखा
(4)	दक्षिणी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय शाखा होने के कारण प्रशस्ति प्रमाण पत्र।	बंगलौर शाखा

अहमदाबाद शाखा को वर्ष 1986-87 के लिए 25000 रुपए का मोदी इन्टरनेशनल वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

7. कंपनी सचिव विनियम 1982 :

पिछले चुनाव के बाद सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए तथा पिछले दो चुनावों के आयोजन के बाद परिषद् द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर मुख्य रूप से परिषद् और चार क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव की पद्धति और प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए तथा प्रसंगवश परीक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं में थोड़े बहुत परिवर्तन करने के लिए कंपनी सचिव विनियम, 1982 में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। चुनाव विनियमों में प्रस्तावित परिवर्तनों में व्यवस्था है कि परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल हस्तांतरणीय मत के अनुसार हो तथा जितने उम्मीदवार हों उतनी ही वरियताएँ हों, प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए परिषद के सदस्यों का चुनाव केवल उस निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य करें, अधिकांश सदस्यों के लिए पोलिंग बूथों में मतदान तथा मतदाताओं के नाम परिपत्र जारी कर उम्मीदवार द्वारा सीमित प्रचार करने की अनुमति दी जाए। अब ये संशोधन सरकार द्वारा अनुमोदित करा दिए गए हैं और परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के संशोधित विनियमों के अधीन अगले चुनाव कराने के लिए ये संशोधन 22 अगस्त, 1988 से लागू कर दिए गए हैं।

नौकरी और/या प्रैक्टिस के लिए सदस्यता

8. सदस्यता :

रिपोर्टाधीन वर्ष में 444 व्यक्तियों को इंस्टीट्यूट का एसोसिएट सदस्य बनाया गया और 10 एसोसिएट सदस्यों को फैलो सदस्यता प्रदान की गई। 31 मार्च, 1988 को इंस्टीट्यूट के रजिस्टर में 6335 सदस्य दर्ज थे, जिनमें 4947 एसोसिएट सदस्य और 1388 फैलो सदस्य थे। वार्षिक फीस की अदायगी न करने, मृत्यु अथवा त्यागपत्र देने के कारण 31 मार्च, 1988 तक 88 सदस्यों के नाम रजिस्टर में से काट दिए गए, जिनमें से 7 फैलो और 81 एसोसिएट सदस्य हैं। परिषद इस वर्ष 12 सदस्यों की मृत्यु पर अपना शोक व्यक्त करती है। 31 मार्च 1988 को विदेश में रहने वाले सदस्यों की संख्या 120 थी। पिछले पांच वर्षों में सदस्यों में हुई वृद्धि के संबंध में सारणी इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "ग" में दी गई है।

9. प्रैक्टिस प्रमाण पत्र:

वर्ष में 247 सदस्यों को प्रैक्टिस के लिए प्रमाणपत्र जारी किए गए और वर्ष के अन्त में 1065 सदस्यों के पास प्रैक्टिस प्रमाण पत्र थे। 61 सदस्यों के प्रमाण पत्र वार्षिक प्रैक्टिस प्रमाण पत्र फीस न देने, मृत्यु, प्रमाण पत्र वापस कर देने तथा प्रमाण पत्र के नवीकरण की पात्रता न रहने के कारणों से रद्द किए गए। प्रैक्टिस प्रमाण पत्रधारक सदस्यों में वृद्धि की एक सारणी रिपोर्ट के परिशिष्ट "घ" में दी गई है। आशा है कि कंपनी (संशोधन) एक्ट 1988 में पूर्णकालिक प्रैक्टिसरत सचिव को मान्यता प्रदान हो जाने से पूर्णकालिक प्रैक्टिसरत सदस्यों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होगी।

10 सदस्यों की सूची :

विनियम 161 के साथ पठनीय कंपनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 19(3) के अनुसरण में 1 अप्रैल, 1987 को सदस्यों की एक पूरक सूची प्रकाशित की गई है तथा सदस्यों द्वारा मांग करने पर उन्हें दी गई और 1 अप्रैल 1988 को वर्ष सदस्यों की एक समेकित सूची सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रकाशित कर दी गई है।

व्यावसायिक विकास और अनवरत शिक्षा :

11 कार्यक्रम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट ने सेवारत तथा प्रैक्टिसरत दोनों प्रकार के सदस्यों के लिए छः व्यावसायिक और ओरियन्टेशन/विकास कार्यक्रम आयोजित किए। ये कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकार की कंपनियों के प्रमुख/वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य व्यावसायिकों के लिए भी थे। कार्यक्रमों की सूची इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "ड" में दी गई है।

11: आचार संहिता तथा व्यावसायिक श्रेष्ठता

बंबई में चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद इंस्टीट्यूट ने सदस्यों के अनुपालन के लिए व्यावसायिक प्रबंधक के लिए आचार संहिता विषय पर एक आचार संहिता प्रकाशित की। अब यह आचार संहिता कंपनी सचिव अधिनियम 1980 की अनुसूचियों का एक भाग हो गई है। कंपनी अधिनियम 1988 में प्रैक्टिसरत कंपनी सचिव को मान्यता मिल जाने और कंपनी विधि में उसकी और अधिक भूमिका निहित होने के बाद इंस्टीट्यूट के सदस्यों के लिए चाहे वे नौकरी में हों या प्रैक्टिस कर रहे हों, ये और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि वे इस संहिता में निहितार्थ का अध्ययन करें और प्रत्यक्ष रूप से तथा हृदय से इसका अनुपालन करें। अतः सदस्यों को चाहिए कि अपने स्टेटस के अनुसार अपने आचार को बनाएं तथा पूरे उत्साह से नैतिकता तथा शिष्टाचार के आदर्श सिद्धान्तों की रक्षा करें और इस बात का ध्यान रखें कि सरकार और समाज उन पर प्रतिकूल टिप्पणी न करें और उनकी व्यावसायिक श्रेष्ठता बनी रहे। इस प्रसंग में नौकरी और प्रैक्टिसरत दोनों प्रकार के सदस्यों के सामान्य मार्ग-निर्देशक के लिए कंपनी सचिव अधिनियम 1980 की प्रथम और द्वितीय अनुसूचियों में दी गई आचार संहिताओं की विभिन्न धाराओं पर इंस्टीट्यूट शीघ्र ही स्पष्टीकारक टिप्पणियां प्रकाशित करेगा। जहां "श्रेष्ठता" का विशेष ध्यान रखा जाएगा वहां स्वतः ही मान सम्मान प्राप्त होगा।

12.1 कम्प्यूटर मूल्यांकन कार्यक्रम :

समीक्षाधीन वर्ष में सदस्यों और विद्यार्थियों के लिए कुछ क्षेत्रीय परिषदों ने कम्प्यूटर मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित किए/पुनरावृत्ति की।

13. प्रकाशन

13.1 चार्टर्ड सेक्रेटरी :

यह जर्नल 16 वर्षों से प्रकाशित हो रहा है और यह जर्नल सदस्यों और कंपनी एक्जीक्यूटिवों को सम्बन्ध सरकारी अधिसूचनाओं की जानकारी यथाशीघ्र देते हुए प्रभावकारी ढंग से सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में तथा व्यावसायिक ज्ञान में उनको अद्यतन सूचना देता रहा है जिससे इस जर्नल की प्रतिष्ठा और गुणवत्ता बनी रही है। इस वर्ष निम्नांकित चार विशेषांक प्रकाशित हुए :—

(1) अप्रैल 1987 में बजट विशेषांक

(2) नवंबर 1987 में कंपनी संशोधन बिल 1987 विशेषांक

(3) दिसंबर 1987 में पूंजी बाजार विशेषांक, और

(4) फरवरी 1988 में प्रदूषण नियंत्रण विशेषांक

चार्टर्ड सेक्रेटरी में 16वें और 17वें खण्डों में विधि वित्त, लेखा और प्रबंध विधाओं पर प्रकाशित सर्वोत्तम लेखों पर पुरस्कारों का वितरण कलकत्ता में 4 फरवरी को हुए 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि श्री राजीव कौल प्रबंध निदेशक निक्को लि. तथा अध्यक्ष भारतीय वाणिज्य चेम्बर ने किया।

13.2 अन्य प्रकाशन :

इंस्टीट्यूट ने भारतीय स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ की स्मृति में "कंपनी सचिव—प्रास्थिति, स्टेटस अधिकार और उत्तरदायित्व भाग 1

का विशिष्ट प्रकाशन किया। इसके अलावा 1988-87 के आगामी वर्ष में मुद्रण के लिए निम्नलिखित पांच प्रकाशन विभिन्न अंतिम चरणों में हैं:—

(क) गाइडेंस नोट आन ट्रेड मार्क लॉ

(ख) मोनोग्राफ आन ट्रेड प्रैक्टिसेज

(ग) कंपनी लॉ फार ले मैन

(घ) कंपनी सेक्रेट्री एंड—हिज स्टेट्स रिसपान्सिबिलीटीज पार्ट II एंड पार्ट III विद द सेक्रेटरी आन दि कंपनी सेक्रेटरी 1980।

14. अनुसंधान योजनाएं:

इंस्टीट्यूट को अपने सदस्यों से जिन अनुसंधान कार्यों को हाथ में लेने के प्रस्ताव मिले, उनमें से निम्नलिखित प्रकाशनों और अनुसंधान अध्ययन को आगामी वर्ष 1988-89 में अन्तिम रूप दिया जाएगा:—

(क) गाइडेंस नोट आन एनुअल रिटर्न

(ख) प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज डूज एण्ड डोंटस

(ग) इंडस्ट्रियल सिकनेस इन स्माल स्केल सेक्टर

14.1 मानक सचिवीय प्रैक्टिस के लिए मार्ग निर्देश तैयार करना:

जैसाकि स्टाक एक्सचेंज सुधारों पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने सिफारिश की, तदनुसार कंपनियों के सचिवीय/शेयर विभागों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए मार्ग निर्देश तैयार करने के लिए उपाय किए गए हैं। इस बारे में तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री बी.एस. दोराइस्वामी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सचिवीय/शेयर विभागों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई सिफारिशों की मुख्य बातें प्रकाशित करने के लिए उपाए लगभग पूरे कर लिए गए हैं; सभी संबद्ध व्यक्तियों के विचार जानने के लिए चार्टर्ड सेक्रेटरी के अगस्त 1988 अंक में "प्रैक्टिस प्रगटीकरण मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। बाद में एक मानक सचिवीय प्रैक्टिस रूप में इसका प्रकाशन होगा, जिससे सभी कंपनियां अनुसरण कर सकें।

14.2 शेयर अन्तरण के लिए मानक जांच-सूची तैयार करना तथा निवेशकों आदि को जानकारी प्रदान करने के लिए मार्ग निर्देश तैयार करना:

इंस्टीट्यूट ने ऐसी मानक सचिवीय प्रैक्टिस तैयार करने पर भी विचार किया था, जिसे सदस्य विशेष रूप से छोटे निवेशकों के शेयर अन्तरण कामों की तेजी के संवीक्षा और स्वीकृति के लिए अपना सकते हों। बाद में वित्त मंत्रालय ने श्री आर एन बंसल की अध्यक्षता में शेयर अन्तरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कार्यकारी ग्रुप गठित किया, जिसके सामने इंस्टीट्यूट ने कुछ विचार प्रस्तुत किए, इस ग्रुप ने इंस्टीट्यूट की निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:—

(क) कम्पनियों के शेयर विभागों, स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों, निवेशकों आदि के मार्ग निर्देशन के लिए शेयर अन्तरण दस्तावेजों की संवीक्षा के लिए मानक जांच सूची तैयार की जाए; और

(ख) निवेशकों, कम्पनियों आदि को जानकारी देने के लिए मार्ग निर्देश तयार करना।

15 रोजगार अवसरों को बढ़ाना

15.1 इंस्टीट्यूट ने अनेक ऐसी एजेंसियों और संगठनों से, जिन्हें विभिन्न कार्यों के लिए कंपनी सचिवों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, इस व्यवसाय की भूमिका के संबंध में प्रचार-प्रसार का काम जारी रखा। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भी पत्र भेजे गए, जिनमें उनसे विभिन्न सरकारी कंपनियों में कंपनी सचिवों को काम में लगाने की आवश्यकता और उपादेयता के बारे में समझाया गया और यह भी अनुरोध किया गया कि राज्य सरकारों तथा राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के ब्यूरो में ऊंचे पदों पर नियुक्ति के लिए कंपनी सचिव की अर्हता पर विचार किया जाए।

15.2 बैंकिंग विभाग, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, भारत के महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक तथा जीवन निगमों को जो अभ्यावेदन भेजे गए थे, इंस्टीट्यूट ने सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन पर अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखी।

15.3 कुछ महत्वपूर्ण दैनिक समाचारपत्रों को नियमित रूप से देखकर विश्लेषण करने के बाद, जहां कहीं आवश्यक हुआ है, विज्ञापन-कर्ताओं को इस संबंध में पत्र भेजे गए हैं जिनमें विधि, वित्त और प्रबंध पर आधारित योग्यताओं वाले विभिन्न पदों के लिए कंपनी सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका का दिग्दर्शन कराया गया। इंस्टीट्यूट के सुझाव पर कुछ विज्ञापन दाताओं के विधि विधि और प्रबंध के पदों के संबंध में के लिए इंस्टीट्यूट की अहर्ता को एक वैकल्पिक योग्यता के रूप में शामिल कर लिया है।

16. व्यवसाय को मान्यता:

16.1 प्रेक्टिसरत कंपनी सचिव:

कंपनी (संशोधन) अधिनियम में पूर्णकालिक प्रैक्टिसरत सदस्यों के लिए मान्यता प्राप्त करने के अलावा इंस्टीट्यूट के कंपनी सचिवों के लिए प्रेक्टिस के क्षेत्रों में विस्तार करने के अपने प्रयास जारी रखे। वित्त मंत्रालय के औद्योगिक तथा वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को एक अभ्यावेदन दिया गया जिसमें अनुरोध किया गया कि प्रैक्टिसरत कंपनी सचिवों को बो.ई. के सामने प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होने के लिए मान्यता दी जाए। राज्य की वित्तीय संस्थाओं और निगमों में कंपनी सचिवों द्वारा खोज रिपोर्ट तैयार करने तथा ऋण शक्तियों के प्रमाणीकरण आदि के लिए तथा केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड तथा बैंकों जैसे विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों में प्रैक्टिसरत कंपनी सचिवों के लिए कुछ मान्यताएं प्रदान करने के लिए उन्हें पहले जो अभ्यावेदन दिए जा चुके हैं, जिन पर अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखी गई।

16.2 समीक्षाधीन वर्ष में विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी करने (जिनमें खोज रिपोर्ट भी शामिल है) के लिए पांच राज्य वित्तीय तथा औद्योगिक विकास निगमों से मान्यताएं प्राप्त हुईं।

16.3 कृषि मंत्रालय ने कृषि तथा सहकारी विभाग ने भी संशोधित चार्टर नीति 1986 के अधीन विदेशी गहन समुद्री मत्स्य पोतों को चार्टर करने वाली कंपनियों के संबंध में प्रैक्टिसरत कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणीकरण करने की व्यवस्था कर दी है और इसे मान्यता प्रदान की है।

16.4 कैनरा बैंक ने कंपनी सचिवों के व्यावसाय को भी वित्तीय सहायता के लिए मान्यता प्रदान कर दी है जिसके अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस आरंभ करने वाले व्यावसायिकों को उनके कार्यालय को सुसज्जित करने में सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

16.5 नौकरी के प्रयोजन से सदस्यों के लिए:

तमिलनाडु सरकार ने व्यापार, वाणिज्य, वित्त वाणिज्यिक करों और उद्योग से संबंधित विभागों में जहां कहीं विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा है वहां राज्य में ग्रुप ए की सेवाओं में भर्ती के लिए इंस्टीट्यूट की सदस्यता को मान्यता प्रदान कर दी है।

16.6 प्राप्त मान्यताओं की सूची:

इस रिपोर्ट की तारीख तक प्रैक्टिस तथा नौकरी में काम कर रहे कंपनी सचिवों के बारे में जो मान्यताएं प्राप्त हुई है उनका ब्योरा इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "ख" में दिया गया है।

17. सोहलवां राष्ट्रीय सम्मेलन:

इंस्टीट्यूट ने भारत की 40 वी स्वतंत्रता वर्षगांठ की स्मृति में 4-6 फरवरी 1988 को कलकत्ता के ग्रांड होटल में "कंपनी विधि उभरती प्रवृत्तियां" विषय पर कंपनी सचिवों का सोलहवां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित

किया गया। सम्मेलन में 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसका उद्घाटन निक्को लि. के महाप्रबन्धक तथा भारतीय वाणिज्य चैम्बर के अध्यक्ष श्री राजीव कौल ने किया। चार तकनीकी सत्रों का सभापतित्व भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस ए. एन. रे, त्रिवेणी टिश्यूज लि. के अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक डा. एस. के. चौधरी, आई. सी. ए. आई. के गत अध्यक्ष श्री वी राजारमन तथा उद्योग मंत्रालय के कंपनी कार्य विभाग के अपर सचिव श्री अशोक चन्द्र, आई. ए. एस. ने किया इन सत्रों में प्रख्यात संकाय-विद्वानों ने भाषण दिए, जिनमें से एक यू. के. और दूसरा जापान देश से था।

विद्यार्थियों का पंजीकरण और विद्यार्थी सेवाएं

18. विद्यार्थियों का पंजीकरण:

रिपोर्टाधीन वर्ष में 8319 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए। इस वर्ष के अन्त में वर्तमान पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 50519 है जिसमें वे भी शामिल हैं जिनका पंजीकरण विनियम 21(3) के अंतर्गत बढ़ाया गया है। ऐसे पंजीकृत विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों की बढ़ी हुई संख्या जिन्होंने इण्टरमीडिएट और फाईनल परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लीं तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त कंपनियों की संख्या संबंधी विवरण इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "छ" में दिया गया है।

19. पाठ्य विवरण और शिक्षण

19.1 नए पाठ्य विवरण का कार्यान्वयन :

फरवरी 1986 में आरंभ किए गए नए पाठ्य विवरण को 1987-88 में पूरी तरह से क्रियान्वित कर दिया और इसमें शामिल किए गए पाठ्यक्रम विषयों का सामान्यतः स्वागत किया गया है और यह माना है कि ये कंपनी सचिवों के लिए लाभप्रद और व्यावहारिक रूप से उचित हैं।

19.2 नए पाठ्य विवरणों के लिए अध्ययन सामग्री

जैसा कि वर्ष 1986-87 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया था, नए पाठ्य विवरण के अधीन फाईनल परीक्षा पाठ्यक्रम के शेष दो प्रश्न पत्रों की अध्ययन सामग्री का काम पूरा कर लिया गया है। इण्टरमीडिएट परीक्षा के तीन प्रश्न पत्रों की अध्ययन सामग्री को पूरी तरह से संशोधित किया गया और उनके संभावित उत्तरों से संबंधित काम चल रहा है। नए पाठ्य विवरण के अधीन अन्य प्रश्न पत्रों की अध्ययन सामग्री के संशोधन का काम भी चल रहा है।

19.3 पुराने पाठ्य विवरण की अध्ययन सामग्री को अद्यतन करना:

पुराने पाठ्य विवरण से संबंधित अध्ययन सामग्री और उनके संभावित उत्तरों को भी अद्यतन कर लिया है तथा उनमें विधि और प्रक्रिया सम्बन्धी विभिन्न संशोधन और संबंधित हाल के न्यायिक फैसलों को समाविष्ट कर लिया है।

19.4 मार्गनिर्देशी उत्तरों का प्रकाशन :

विद्यार्थियों के लाभ के लिए पुराने पाठ्य विवरण तथा नए पाठ्य विवरणों के अधीन जून और दिसंबर 1987 की परीक्षाओं के मार्ग निर्देशी उत्तरों को एक निश्चित समय में प्रकाशित किया गया।

19.5 विद्यार्थियों के लिए डाक द्वारा शिक्षण :

इस वर्ष पंजीकृत किए गए सभी विद्यार्थियों को डाक द्वारा शिक्षण के लिए दर्ज कर लिया गया। रिपोर्टाधीन वर्ष में 11,137 शिक्षण समापन प्रमाण-पत्र जारी किए गए। कोयम्बटूर और नागपुर में दो और मौखिक शिक्षण केन्द्रों को मान्यता दी गई। विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के अधीन इस समय कुल 20 मौखिक शिक्षण केन्द्र अपना काम कर रहे

19.6 विद्यालय के साथ सम्पर्क :

विश्वविद्यालयों और उनके सम्बद्ध कालेजों में कंपनी सचिवीय पाठ्यक्रमों के प्रति सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए मिले जुले प्रयास किए गए, इसके लिए कुछ विश्वविद्यालयों और कालेजों के कुलपतियों और विभागाध्यक्षों से मिला गया तथा सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे गए जिनमें उनसे नियमित सचिव संबंधी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करने या वर्तमान बी. काम पाठ्यक्रम में ही एक ऐच्छिक विषय रखने के लिए कहा गया, जिसमें तीन प्रश्न पत्र निर्धारित किए जाएं। इन दोनों पाठ्यक्रमों संबंधी पाठ्यचर्या के विषयों की सूची अध्ययन निदेशालय ने तैयार करके विश्वविद्यालयों को भेजी ताकि वह इसमें यथा आवश्यक तरमीम करके इसे अपना ले। क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं ने भी अपनी-अपनी विश्वविद्यालय सम्पर्क उप समितियां गठित की और क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के साथ आवश्यक आपसी मेलजोल बिठाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन्स्टीट्यूट के अधिकारियों तथा व्यवसाय के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा कैरियर संबंधी परामर्श देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और संबद्ध कालेजों में आजीविका प्रदर्शनियों और वार्ताओं की व्यवस्था की गई जिससे कंपनी सचिवीय पाठ्यक्रम के बारे में विद्यार्थियों को समझाया जा सके। रिपोर्टाधीन वर्ष में तत्कालिक निर्वाचित अध्यक्ष श्री आर. रामचन्द्रन ने दक्षिण तथा उत्तरी क्षेत्रों के कुछ विश्वविद्यालयों का दौरा किया।

19.7 विश्वविद्यालयों के सहयोग से मौखिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना :

मौखिक शिक्षण की महत्ता को स्वीकारते हुए इन्स्टीट्यूट ने विश्वविद्यालयों के सहयोग से मौखिक शिक्षण केन्द्र स्थापित करने का काम अपने हाथ में लिया। इस संबंध में हुई प्रगति का विवरण इस प्रकार है:—

(क) भोपाल विश्वविद्यालय इन्स्टीट्यूट की भोपाल शाखा के सहयोग से मौखिक शिक्षण केन्द्र स्थापित करने को सहमत हो गया है।

(ख) असम सरकार ने गुवाहाटी में उत्तर पूर्वी शाखा के सहयोग से प्रबंध तथा लेखा संस्थान स्थापित कर दिया है।

विद्यार्थी समुदाय के लाभ के लिए अन्य पिछड़े क्षेत्रों में भी मौखिक शिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

19.8 स्टूडेण्ट कंपनी सेक्रेटरी :

जनवरी 1984 में विद्यार्थियों के लिए आरम्भ किए गये मासिक बुलेटिन "स्टूडेण्ट कंपनी सेक्रेटरी" का प्रकाशन और प्रेषण समय पर होता रहा। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बुलेटिन की उपयोगिता और विषयों में और अधिक सुधार करने का हर संभव प्रयास किया गया है। यह बुलेटिन संविधि परिवर्तनों तथा केस लाज के संकलन के रूप में तैयार किया जाता है और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को संबंधित विषयों पर नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना और उनकी अध्ययन सामग्री तथा विषय की जानकारी को आधारभूत बनाए रखना है।

19.9 ऑडियो/वीडियो टेपों पर लेक्चर :

जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया था, प्रशिक्षण तथा शैक्षिक सुविधा समिति ने निर्णय करके यह तय कर लिया कि सामग्री के पूरक के रूप में विद्यार्थियों की मदद के लिए ऑडियो टेप तैयार किए जाएं और प्रायोगिक आधार पर पहले एम आर टी पी एक्ट पर लेक्चर तैयार करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

20. सदस्यता-उपरान्त अर्हता :

सदस्यता-उपरान्त परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तैयार करने वाली समिति सदस्यता-उपरान्त परीक्षाओं में चार विशिष्ट धाराओं का निर्धारण करने के लिए पाठ्यक्रम के विषयों का विस्तृत अध्ययन कर रही है और आशा है कि वह इस वर्ष के अंत तक परिषद् के विचारार्थ अपनी सिफारिशें दे देगी।

21. परीक्षाएं :

इस वर्ष इंस्टीट्यूट ने दो परीक्षाएं जून और दिसम्बर में ली। सारे देश में इन परीक्षाओं के 37 केन्द्रों और विदेश में आबु धाबी में एक केन्द्र था। इस समय पुराने और नए पाठ्य विवरणों के अधीन इण्टरमीडिएट तथा फाइनल परीक्षाएं साथ-साथ ली जा रही हैं। जून 1987 के सत्र में 692 और 253 परीक्षार्थियों ने और दिसंबर 1987 में 702 और 301 परीक्षार्थियों ने क्रमशः इण्टरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं। इंस्टीट्यूट की जून और दिसंबर 1987 की परीक्षाओं में बैठने वाले और सफल घोषित परीक्षार्थियों की संख्या के आंकड़े परिशिष्ट "अ" में दिए गए हैं।

22. अखिल भारतीय पुरस्कार :

22.1 जून 1987 और दिसंबर 1987 में हुई फाइनल परीक्षाओं में क्रमशः दक्षिणी क्षेत्र के श्री अर्जुनन और उत्तरी क्षेत्र के श्री बजरंग लाल बजाज ने प्रेजीडेण्ट स्वर्ण मैडल जीते। जून 1987 तथा दिसंबर 1987 सत्रों के लिए क्रमशः पूर्वी क्षेत्र के श्री सत्य नारायण मूर्ति तथा पश्चिमी क्षेत्र की कुमारी श्रीकांत हार्डी ने इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए प्रेजीडेण्ट रजत मैडल जीते।

22.2 अखिल भारतीय पुरस्कारों का वितरण 4 फरवरी 1988 को कलकत्ता में हुए कंपनी सचिवों के सोलहवें राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री राजीव कौल के हाथों से सम्पन्न हुआ।

22.3 विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों द्वारा आरंभ किए गए क्षेत्रीय पुरस्कार उन क्षेत्रों की परिषदों द्वारा आयोजित समुचित समारोहों में संबंधित विद्यार्थियों को प्रदान किए गए।

23. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता :

वर्तमान योग्यता (मेरिट) छात्रवृत्ति योजना के अनुसार जून 1987 तथा दिसंबर 1987 में इंस्टीट्यूट की परीक्षाओं में योग्य पाए गए दस-दस विद्यार्थियों को परीक्षाएं सराहनीय ढंग से उत्तीर्ण करने के लिए छात्रवृत्तियां दी गईं। इसी प्रकार योग्यता-व-वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत इंस्टीट्यूट ने क्रमशः दिसंबर 1986 तथा जून, 1987 की परीक्षाओं में योग्य पाए गए 5 और 1 परीक्षार्थियों को वित्तीय सहायता मंजूर की।

24. योग्यता (मेरिट) प्रमाण-पत्र :

विद्यार्थियों की योग्यता (मेरिट) को मान्यता प्रदान करने तथा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रयास करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उन विद्यार्थियों को योग्यता (मेरिट) प्रमाण-पत्र दिए गए जिन्होंने पुराने तथा नए पाठ्य विवरणों के अधीन जून 1987 और दिसंबर 1987 में हुई इण्टरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं में प्रथम दस रैंक प्राप्त किए।

25. परीक्षाओं में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग :

जैसा कि पिछली रिपोर्ट में कहा गया था, सभी क्षेत्रों में हिंदी को और और प्रारंभ करने की सरकार की राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए परिषद् ने यह निर्णय लिया कि इंस्टीट्यूट की परीक्षाओं में चरणबद्ध ढंग से हिंदी माध्यम से हिंदी में उत्तर देने का विकल्प दिया जाए। तदनुसार इस दिशा में प्रगतिशील उपाय के रूप में परिषद् ने (पुराने तथा नए पाठ्य विवरणों के अधीन) प्रोलीमिनरी और इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में हिंदी का विकल्प देने के अलावा दिसंबर 1987 से पुराने पाठ्यविवरण के अधीन होने वाली फाइनल परीक्षा में हिंदी माध्यम से प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखने का विकल्प भी शुरू कर दिया है।

26. आबु धाबी में परीक्षा केन्द्र :

संचालन सुविधा तथा विदेश में रहने वाले विद्यार्थियों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए प्रयोगात्मक आधार पर जो परीक्षा केन्द्र पहले दुबई में खोला गया था, उसे जून, 1987 सत्र में आबु धाबी में स्थानान्तरित कर दिया।

27. प्रबंध/प्रैक्टिकल/प्रशिक्षु प्रशिक्षण

27.1. प्रबंध प्रैक्टिस प्रशिक्षण के लिए मार्ग निर्देश

पिछले वर्ष तैयार किए गए प्रशिक्षण मार्ग निर्देशों में साथ ही साथ यह निर्धारित किया था कि प्रशिक्षार्थी डायरी रखे, प्रत्येक विद्यार्थी में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करे और प्रशिक्षण कंपनी के प्रत्येक विभाग में तथा कंपनी रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंज तथा वित्तीय संस्थान जैसी विशिष्ट एजेंसियों में प्रशिक्षण के निदर्शी क्षेत्र रखे जाएं; अब ये मार्ग निर्देश अद्यतन कर लिए गए हैं। ऐसी वर्तमान कंपनियों को मार्ग निर्देशों की प्रतियां भेज दी गई है, जो हमारे विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे रही है तथा ये मार्ग निर्देश नई कंपनियों को भी भेजे गए, जिन्होंने हमारे विद्यार्थियों को प्रबंध प्रशिक्षण देने की सुविधाएं प्रदान करने की पेशकश की है।

27.2 प्रबंध/प्रैक्टिकल/प्रशिक्षु प्रशिक्षण देने के लिए कंपनियों/प्रैक्टिसरत कंपनी सचिवों की सूची बनाना।

कंपनियों की सूची तथा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आयोजित विद्यार्थियों की संख्या की स्थिति नीचे दी जा रही है।

	कम्पनियों की सं. 31-3-1987 को	31-3-1988 को	वर्ष के अन्त में आयोजित विद्यार्थियों की संख्या 31-3-14873 को	1-3-1988 को
प्रबंध प्रशिक्षण	120	262	16	74
प्रैक्टिकल प्रशिक्षण	580	661	326	432
प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिव	26	32	25	40

हमारे विद्यार्थियों को प्रबंध प्रशिक्षण देने के लिए कम्पनियों की संख्या बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमने 700 कम्पनियों को अपने विद्यार्थियों को प्रबंध प्रशिक्षण देने के लिए पत्र भेजे हैं, जिनमें 227 सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां भी शामिल हैं।

27.3 सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम :

वर्ष 1987-88 में 13 सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए; इनमें उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद्, दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद्, पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद् और पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद् प्रत्येक ने दो-दो तथा जयपुर, कानपुर, बंगलौर, अहमदाबाद और हैदराबाद शाखाओं तथा मुख्यालय द्वारा एक-एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

27.4 सचिवीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए मार्ग निर्देश :

व्यापक मार्ग निर्देश तैयार किए गए हैं जिनमें इन कार्यक्रमों की बारम्बारता, भाग लेने वालों की संख्या, पाठ्यक्रम सामग्री, कार्यप्रणाली, फीस, अवधि, कार्यक्रम समन्वयकर्ता, भाग लेने वालों में सर्वश्रेष्ठ के लिए पुरस्कार प्रशिक्षण समापन प्रमाण पत्र, उद्घाटन/समापन समारोहों की व्यवस्था, मूल्यांकन रिपोर्ट, जांच सूची, प्रशिक्षण निदेशक की भूमिका तथा माडल कार्यक्रम शीट आदि के बारे में निर्धारित किया गया है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते समय इन मार्ग निर्देशों का अनुपालन करने के लिए क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं के पास भेजा गया है।

27.5 सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम पुस्तिका :

सचिवीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले उस कार्यक्रम की पृष्ठ भूमि और उद्देश्यों को समझ सकें, इसके लिए सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम पुस्तिका तैयार की गई है जिसमें इस कार्यक्रम के मोटे-मोटे उद्देश्य, विस्तृत पाठ्यक्रम और कार्य प्रणाली का उल्लेख है और जो व्यक्ति इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, उन्हें यह पुस्तिका दी जाती है।

27.6 अध्यापन साधन

प्रशिक्षण को प्रभावकारी बनाने और कार्यकुशलता में सुधार लाने तथा कार्यक्रम में और अधिक लोग भाग लें, इन बातों को दृष्टि में रखते हुए केस-अध्ययनों, अनुकरणीय अभ्यासों तथा "रोल प्लेयिंग तकनीकों" के प्रयोग के अलावा लेक्चरों में श्रव्य/दृश्य साधनों के उपयोग पर और दिया जा रहा है।

28 सूखा सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोश में अंशदान :

इस वर्ष देश के अनेक भागों में अत्यधिक सूखा पड़ने से राष्ट्र को बहुत हानि हुई। उनकी कठिनाइयों और विपदाओं में हाथ बटाने के लिए परिषद् ने इंस्टीट्यूट के सदस्यों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों से प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में, विशेष रूप से देश में सूखे से प्रभावित लोगों के उपयोग के लिए, अपना अंशदान देने की अपील की। इंस्टीट्यूट ने सदस्यों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों से इकट्ठी की रु. 16,062/- की धन राशि सूखे से प्रभावित देशवासियों के कष्टों के प्रति कम्पनी सचिवों के व्यवसाय की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए में प्रदान की।

29 भारत के 40 वें स्वतंत्रता वर्ष की स्मृति में :

सरकार के अनुरोध पर 15 अगस्त को प्रारम्भ होकर 14 अगस्त, 1988 को समाप्त होने वाले भारत के 40 वें स्वतंत्रता वर्ष को मनाने का निर्णय लिया गया। इंस्टीट्यूट ने भारत के 40वें स्वतंत्रता वर्ष के अवसर पर समारोह रूप में नई दिल्ली में कम्पनी (संशोधन) बिल, 1987 पर, 30 और 31 अक्तूबर, 1987 को एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी तथा "कम्पनी विधि—उभरती प्रवृत्तियां" विषय पर कलकत्ता में 16 वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर कार्यालयों के लिए वे कार्य स्थल जो अधिग्रहण की क्रिया में थे, उनका अधिग्रहण किया गया और अहमदाबाद, बंगलौर, डोम्बीवली तथा हैदराबाद में इस वर्ष ये कार्यालय खोले गए। चार और नए अखिल भारतीय पुरस्कारों का शुभारम्भ किया गया, जिनमें इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट तथा फाइनल परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ महिला विद्यार्थियों को दिए जाने के लिए दो पुरस्कार शामिल हैं। 4 से 6 फरवरी, 1988 तक कलकत्ता में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में इंस्टीट्यूट का एक नया प्रकाशन "कम्पनी सेक्रेटरी—ब्रिज स्टेटस, राइट्स एंड लाइबिलिटीज भाग-I" का विमोचन इस विशेष अवसर को मनाने के लिए 4 फरवरी, 1988 को उद्घाटन सत्र में किया गया। भारत के 40 वें स्वतंत्रता वर्ष की समापन संध्या पर "चार्टर्ड सेक्रेटरी" के अगस्त 1988 अंक को विशेषांक के रूप में प्रकाशित करने का प्रस्ताव है, जिसे भारत के 40 वें स्वतंत्रता वर्ष की स्मृति में कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष द्वारा विमोचित किया जाएगा।

30 लेखे, रिजर्व और अधिशेष :

अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) के अनुसरण में 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे यहां प्रकाशित किए जा रहे हैं।

30.1 आय और व्यय लेखा

समीक्षाधीन वर्ष के आय और व्यय लेखे को देखने से पता चलता है कि आय से 3,71,237 रुपए अधिक का व्यय हुआ जबकि पिछले वर्ष 40,965 रुपए का अधिशेष रहा था। व्यय में हुई वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों के लिए चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई और यह भी कि पिछले कुछ वर्षों से सदस्यों को जो सेवाएं दी जा रही हैं, उन पर होने वाले व्यय में भी हर तरफ बढ़ रहे मूल्यों के कारण व्यय में लगातार वृद्धि हुई है जबकि सदस्यों द्वारा दी जाने वाली फीस में वृद्धि नहीं की गई है। इसलिए परिषद् ने 1 अप्रैल 1988 से सदस्यों द्वारा दी जाने वाली फीस में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है और इसे सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है। इसके अलावा जर्नल के चन्दा देने वाले सदस्यों को बढ़ाकर, इनमें विज्ञापन प्रकाशित कर प्रकाशनों की अधिक बिक्री कर तथा सदस्यों और विद्यार्थियों को दी जा रही सेवा की क्वालिटी में कमी किए बिना इन सेवाओं के व्यय में बचत करके आमदनी बढ़ाने के उपायों पर भी परिषद् ने अभी भांति समीक्षा की है।

30.2 शुल्क का पूंजीकरण :

पूर्व प्रचलित पद्धति के अनुसार ऐसोसिएट और फैलो सदस्यों से प्राप्त रु. 1,53,400/- के प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत कर दिया है। वर्ष के अन्त में पूंजीकृत राशि 18,48,925/- रुपए थी।

30.3 रिजर्व और अधिशेष

सावधिक जमा राशि पर अर्जित ब्याज की 2,51,076/- रुपए की राशि भवन रिजर्व लेखे में सीधे विनियोजित कर दी गई है। इस वर्ष अहमदाबाद, बंगलौर और हैदराबाद शाखाओं के कार्यालयों के लिए स्थान अधिग्रहण और मद्रास स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में अतिरिक्त भवन निर्माण पर 14,07,198 रुपए का पूंजी-भुगतान किया गया है, जिसे सामान्य रिजर्व खाते में अंतरित कर दिया है। पिछले वर्षों तथा समीक्षाधीन वर्ष में मद्रास स्थित दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद् तथा बड़ौदा, डोम्बीवली, अहमदाबाद, बंगलौर और हैदराबाद शाखाओं ने भवन/फ्लैटों की लागत के संबंध में जो भी अंशदान दिया उसे सामान्य रिजर्व खाते में डाल दिया गया है। 31 मार्च 1988 को सामान्य रिजर्व की कुल राशि 1,42,73,955 रुपए थी जबकि पिछले वर्ष यह राशि 1,11,12,417 रुपए थी।

30.4 वित्तीय स्थिति का सारांश :

वित्तीय स्थिति का सारांश इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "ग" में दिया गया है।

31. भूमि और भवनों में अतिरिक्त निर्माण :

31.1 परिषद् ने करोल बाग नई दिल्ली के प्रसाद नगर, इंस्टीट्यूशनल एरिया में आबंटित हुए प्लाट पर उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए एक भवन-समिति गठित की है, इसका नींव पत्थर 1985-86 में रखा गया था। समिति ने अब आर्किटेक्ट नियुक्त कर लिया है और प्लाट के पट्टे के कागजात यथावत रजिस्टर करा के दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भवन का नक्शा अनुमोदन के लिए भेज दिया है।

31.2 हैदराबाद शाखा के लिए कार्यालय परिसर :

वर्ष 1987-88 में हैदराबाद में 6-3-609/5, आनन्द नगर कालोनी, खैरताबाद-500004 में लगभग 5400 वर्ग फुट के प्लाट में लगभग 1624 वर्गफुट क्षेत्र के एक भवन को हैदराबाद शाखा के कार्यालय के लिए 10.22 लाख रुपए की कुल लागत से खरीद लिया है।

31.3 बंगलौर शाखा के लिए कार्यालय परिसर :

"शरीफ चैम्बर्स", 14, कनिंघम रोड, बैंगलोर-560052 में बंगलौर शाखा के लिए लगभग 1600 वर्गफुट के कार्यालय परिसर का निर्माण पूरा हो गया है, जिस पर 8 लाख रुपए लागत आई है, इसको वर्ष 1987-88 में अधिकार में लिया गया था। इस शाखा समुचित रूप से कार्यालय को सुसज्जित करने के लिए कदम उठाए हैं और नया कार्यालय वहां से शीघ्र कार्य करने लगेगा।

31.4 अहमदाबाद शाखा के लिए कार्यालय परिसर :

इस वर्ष 1987-88 में अहमदाबाद शाखा के लिए अहमदाबाद में एस-1, बी टॉवर, सिन्धु नाई आर्क, आश्रम रोड अहमदाबाद-380009 में लगभग 2350 वर्ग फुट क्षेत्र, का कार्यालय परिसर 14.60 लाख रुपए की लागत से खरीदा गया है।

32. लेखा परीक्षा :

अधिनियम की धारा 18(4) के अनुसरण में परिषद ने मैसर्स बी के सेन गुप्ता एण्ड कं. चार्टर्ड एकाउण्टेंटस, नई दिल्ली को 31 मार्च, 1988 को समाप्त वर्ष के लेखों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा लेखा का विवरण यहां प्रकाशित किया जा रहा है।

33. आभार और संस्तुति :

निष्कर्ष :

इंस्टीटयूट केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और केन्द्र सरकार के अधिकारियों, विशेष रूप से कंपनी कार्य विभाग का, उनके द्वारा संरक्षण, व्यवसाय को मार्गदर्शन और इंस्टीटयूट की इस वर्ष की गतिविधियों में अपना समर्थन प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करता है। क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं ने अपने क्षेत्र में व्यवसाय के विकास में परिषद को पर्याप्त समर्थन दिया। राज्य सरकारों, सामान्य रूप से निगम क्षेत्र तथा देश के विभिन्न वाणिज्य चैम्बरों ने इंस्टीटयूट के इस अनुरोध को सकारात्मक रूप से माना है कि व्यवसाय की वृद्धि में सहयोग और सदस्यों को अवसर प्रदान किए जाएं।

परिषद अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा इस वर्ष इंस्टीटयूट की नीतियों और कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा से क्रियान्वित करने के लिए उनके द्वारा किए गए सत्परिश्रम और कार्य के प्रति निष्ठा के लिए उनकी गहन प्रशंसा करती है।

दि इंस्टीटयूट आफ कम्पनी सैक्रेटरीज आफ इंडिया की परिषद

नई दिल्ली : 20 सितम्बर 1988 (बी.एस. डोराइस्वामी,) अध्यक्ष

परिशिष्ट "क"

1988 की स्थायी व अस्थायी समितियां तथा संपादकीय सलाहकार बोर्ड

(1 जनवरी, 1988 को)

स्थायी समितियां

I. कार्यकारी समिति

श्री बी. एस. डोराइस्वामी, प्रेजीडेंट	अध्यक्ष
श्री श्यामल सेन, वाइस-प्रेजीडेंट	सदस्य
श्री बी. के. मल्होत्रा (सरकारी नामिती)	सदस्य
श्री आर. कृष्णन	सदस्य
श्री आर. रामचन्द्रन (गत अध्यक्ष)	सदस्य

II परीक्षा समिति

श्री श्यामल सेन, वाइस-प्रेजीडेंट	अध्यक्ष
श्री डी. सी. जैन	सदस्य
श्री प्रमोद एस. शाह	सदस्य

III. अनुशासन समिति

श्री बी. एस. डोराइस्वामी, प्रेजीडेंट	अध्यक्ष
श्री बी. के. मल्होत्रा (सरकारी नामिती)	सदस्य
श्री आर. वी. नागराजन	सदस्य

अस्थायी समितियां

IV प्रशिक्षण तथा शिक्षा सुविधा समिति :

श्री श्यामल सेन, वाइस प्रेजीडेंट	अध्यक्ष
श्री वी. आर. अग्निहोत्री	सदस्य
श्री बी. पी. धनुका	सदस्य
श्री डी. के. प्रहलाद राव	सदस्य
प्रो. पृथपाल सिंह	सदस्य
श्री एस. के. टुटेजा	सदस्य

V. व्यावसायिक विकास समिति :

श्री बी. एस. डोराइस्वामी, प्रेजीडेंट	अध्यक्ष
श्री वी. आर. अग्निहोत्री	सदस्य
श्री बी. पी. धनुका	सदस्य
श्री जी. वी. राव	सदस्य
श्री सी. आर. शाह	सदस्य
श्री प्रमोद एस. शाह	सदस्य
श्री बी. पी. आर. विट्ठल	सदस्य

VI. समन्वय समिति :

श्री बी. एस. डोराइस्वामी, प्रेजीडेंट	अध्यक्ष
श्री श्यामल सेन, वाइस-प्रेजीडेंट	सदस्य
श्री आर. वी. नागराजन	सदस्य
श्री आर. रामचन्द्रन	सदस्य
श्री प्रमोद एस. शाह	सदस्य

VII. विधि समिति :

श्री डी. के. प्रहलाद राव	सदस्य
श्री बी. पी. धनुका	सदस्य
श्री डी. सी. जैन	सदस्य
श्री आर. कृष्णन	सदस्य
श्री आर. वी. नागराजन	सदस्य
श्री सी. आर. शाह	सदस्य

VIII. संपादकीय सलाहकार बोर्ड :

श्री सी. आर. शाह	अध्यक्ष
श्री डी. सी. जैन	सदस्य
श्री पी. वी. राव	सदस्य
श्री आर. बालसुब्रामाणयम	सदस्य
श्री यू. के. चौधरी	सदस्य
श्री दलीप गोस्वामी	सदस्य
श्री एन. एस. राघवन	सदस्य
श्री टी. पी. सुब्बारमन	संपादक संयोजक

परिशिष्ट—ख

क्षेत्रीय परिषदों की वर्ष 1987-88 की वार्षिक रिपोर्टों में दी गई गतिविधियों का सारांश

पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद

क्षेत्रीय परिषद् व्यावसायिक विकास की गतिविधियों और अपने सदस्यों तथा विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करने के काम पर जोर देती रही। इसने चौदह बैठकें आयोजित कीं, जिनमें व्यावसायिक विषयों पर आठ लेक्चर बैठकें, सदस्यों तथा विद्यार्थियों प्रत्येक के साथ दो-दो आपसी मेल-जोल बैठकें प्रैक्टिसरत कंपनी सचिवों के साथ एक बैठक और एक क्षेत्रीय विद्यार्थी सम्मेलन शामिल हैं। "कंपनी सचिव और परिवर्तनशील पर्यावरण" विषय पर 29-30 अगस्त 1987 को हुए तीसरे क्षेत्रीय विद्यार्थी सम्मेलन का उद्घाटन मि. जस्टिस बी.पी. बैनर्जी ने किया और स्वामी लोकेश्वरानन्द ने मुख्य भाषण दिया। बैठक में औद्योगिक विधि में संशोधन, शेयरों का अन्तरण और प्रेषण, कंपनी अधिनियम में संशोधन, वित्त बिल और वार्षिक विवरणी का प्रमाणीकरण जैसे विषयों को शामिल किया गया। इसके अलावा, प्रायः व्यावसायिक विषयों पर विचारविमर्श के लिए अध्ययन सर्किल बैठकें रखी गईं। क्षेत्रीय परिषद ने "कंपनी विधि-उभरती प्रवृत्तियां" विषय पर परिषद द्वारा कलकत्ता में 4-6 फरवरी 1988 को रखे गए 16वें राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन में अपना पूरा समर्थन दिया। श्री राजीव कौल, अध्यक्ष भारतीय वाणिज्य चैम्बर आफ ने 4 फरवरी 1988 को इसका उद्घाटन किया।

क्षेत्रीय परिषद अपने विद्यार्थियों के लिए माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनवरत मौखिक शिक्षण कक्षाएं चलाती रही। इंस्टीट्यूट की परीक्षाओं में प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। सदस्यों और विद्यार्थियों के लिए रोजगार सेवा योजना के अंतर्गत, जब कभी आवश्यकता हुई, सदस्यों और विद्यार्थियों के नामों की एक सूची बहुत सी कंपनियों को भेजी गई। पुस्तकालय को और बेहतर बनाया गया।

मासिक समाचार बुलेटिन नियमित रूप से प्रकाशित किया गया। पूर्वी क्षेत्र की पांच शाखाओं में से रांची शाखा पुनः 1986-87 वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ शाखा चुनी गई। भुवनेश्वर शाखा ने अन्य गतिविधियों के अलावा कंपनी विधि पर एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आयोजित किया।

उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद

क्षेत्रीय परिषद ने वर्ष के दौरान अनेक गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसने व्यावसायिक रुचि के विषय पर 10 वार्ताएं रखी गईं, दो अभिनन्दन समारोह किए गए, सदस्यों के लाभ के लिए कंपनी (संशोधन) 1987 पर संगोष्ठी और 8 अध्ययन सर्किल बैठकें आयोजित कीं। इसके अलावा सदस्यों और विद्यार्थियों के लिए आपसी मेल-जोल बैठक का आयोजन किया। दो सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम, दो कैरियर मार्गदर्शन लेक्चर-व-प्रदर्शनियां, एक कम्पनी विधि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, एक सामान्य वाणिज्यक ज्ञान परीक्षा, वित्त बिल पर एक वार्ता और विद्यार्थियों की एक पिकनिक प्रमुख गतिविधियां हैं, जो क्षेत्रीय परिषद ने आयोजित कीं। बेहतर वातावरण और पुस्तकालय सुविधाओं की व्यवस्था की गई तथा नए और पुराने पाठ्य विवरण के अधीन मौखिक शिक्षण कक्षाओं में भारी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। संभावित नियोजकों ने सदस्यों और विद्यार्थियों के नाम भेजने के लिए तैयार की गई रोजगार सेवा योजना का उपयोग किया।

इन गतिविधियों के अलावा, क्षेत्रीय परिषद ने पहले जिस कंपनी सेक्रेटरीज कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का प्रवर्तन किया था, उसकी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई और दिल्ली विकास प्राधिकरण से उपयुक्त जमीन प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार सदस्यों की अंतिम सूची भेज दी। वर्ष के दौरान मासिक समाचार पत्र वर्ष के दौरान मासिक समाचार पत्र नियमित रूप से प्रकाशित हुआ। क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाली शाखाएं अपनी कुछ गतिविधियों की रिपोर्ट भेजती रहीं। इस क्षेत्र में स्थित नौ शाखाओं में से उत्तरी क्षेत्र में कानपुर शाखा पुनः 1986-87 वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ शाखा चुनी गई।

दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद

क्षेत्रीय परिषद और इसकी घटक शाखाओं ने इस वर्ष अनेक गतिविधियों का आयोजन किया। क्षेत्रीय परिषद ने स्वयं व्यावसायिक रुचि के विषयों पर तीस कार्यक्रम रखे। इसके अलावा 4 जुलाई 1987 को मद्रास वाणिज्य तथा उद्योग चैम्बर के सहयोग से "नाकारा (बिक) औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985" पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन और एक सेमिनार का आयोजन भी किया। "आगामी दशक में निगम रूपरेखा" विषय पर कोयम्बटूर में 21—23 अगस्त, 1987 को क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन श्री जी के सुन्दरम, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, लक्ष्मी मिल्स लि., कोयम्बटूर ने किया तथा 13 फरवरी, 1988 को "निदेशकों के उत्तरदायित्व" विषय पर आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन श्री अशोक चन्द्र, अपर सचिव, कंपनी कार्य विभाग नई दिल्ली ने किया। डी. जी. वैष्णव कालेज, अरुम्बक्कम मद्रास में 20—21 नवंबर 1987 को आयोजित "कैरियर परामर्श प्रदर्शनी" में बड़ी संख्या में कालेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों के लिए सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा मौखिक शिक्षण कक्षाएं भी चलाई गईं। दिसंबर 1987 में मार्डन कम्प्यूटर एड्स के सहयोग से 7 दिन का दूसरा कम्प्यूटर मूल्यांकन पाठ्यक्रम चलाया गया। लेक्चर बैठकों में जो विषय शामिल रहे हैं वे हैं—संघ का बजट तथा शून्य आधारित बजट व्यवस्था विधि, नया समय प्रबंध, औद्योगिक संबंध औद्योगिकविकास, जिसमें गैर निवासी और सार्वजनिक क्षेत्र के हित शामिल हैं, कंपनी (संशोधन) अधिनियम 1988, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, उपभोक्ता संरक्षण निदेशकों के उत्तरदायित्व, बोर्ड कक्ष संस्कृति, क्रेडिट रेटिंग सार्वजनिक निगम, पेटेंट्स और डिजाइन, प्रबंधकीय नियुक्तियां और पारिश्रमिक इत्यादि इस वर्ष के दौरान पुस्तकालय में 230 पुस्तकों की खरीदारी हुई, जिनमें श्री सुन्दरम ने 118 पुस्तकें भेंट स्वरूप दीं तथा इंस्टीट्यूट के विगत श्री अध्यक्ष ने 1001 रुपए और इंस्टीट्यूट की एक महिला सदस्य श्रीमती मालिनी सेशाद्री ने 300 रुपए पुस्तकें खरीदने के लिए भेंटस्वरूप दिए। गए वर्ष में मासिक समाचारपत्र नियमित रूप से प्रकाशित हुआ। रोजगार सेवा योजना के अन्तर्गत नियोजकों ने 40 मांग पत्र भेजे क्षेत्र की दस शाखाओं में से 8 शाखाओं ने अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट भेजी और दक्षिणी क्षेत्र में 1986-87 वर्ष के लिए बंगलौर शाखा पुनः सर्वश्रेष्ठ शाखा चुनी गई।

पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद

क्षेत्रीय परिषद और इसके क्षेत्र विस्तार में आने वाली शाखाओं ने इस वर्ष अनेक कार्यक्रम रखे। क्षेत्रीय परिषद में इसके क्षेत्राधिकार में सदस्यों तथा प्रैक्टिस का प्रमाणपत्र रखने वाले सदस्यों की सर्वाधिक संख्या बनी रही। इस वर्ष 13 लेक्चर बैठकें, 16 समूह-चर्चाएं अध्ययन सर्किल बैठकें, 3 अर्ध दिवसीय और 2 पूर्ण दिवसीय कार्यशालाएं एक सेमिनार और एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया संसद में पेश "कंपनी संशोधन बिल 1987" पर 12 सितम्बर 1987 को सेमिनार रखा गया। "अर्वाचीन विज्ञान—अवधारणा और सीमाएं" विषय पर 19 दिसम्बर 1987 को रखे गए क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन बंबई उच्च न्यायालय के माननीय जस्टिस आर. एल अग्रवाल ने किया। "प्रत्यक्ष कर (संशोधन) बिल" कंपनी विधि और व्यापार चिन्ह विधि पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं। अध्यक्ष और कंपनी विधि बोर्ड के आगन्तु तथा निर्गमी कंपनी निदेशकों के सम्मान में अभिनन्दन बैठकें रखी गईं। 15 फरवरी 1988 को पश्चिमी क्षेत्र के प्रेक्टिसरत कंपनी सचिवों की एक बैठक आयोजित की गई। क्षेत्रीय परिषद की अन्य गतिविधियों के अन्तर्गत सिडनहम कालेज आफ

कामर्स तथा एम एम कालेज आफ कामर्स के सहयोग से फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए संक्षिप्त कम्प्यूटर कार्यक्रम तथा विद्यार्थियों के लिए नियमित मौखिक शिक्षण कक्षाएं चलाई गई। इंस्टीट्यूट की परीक्षा में असाधारण प्रतिभा दर्शाने वाले विद्यार्थियों को क्षेत्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। "फोकस" समाचार बुलेटिन में सदस्यों की रुचि के विषयों पर विशेष लेखों का प्रकाशन होता रहा। रोजगार सेल ने नियोजकों से प्राप्त 160 मांग पत्रों पर कार्रवाई की। पुस्तकालय में और पुस्तकें बढ़ाई गई। अपनी आठ शाखाओं में से अहमदाबाद, पुणे और बड़ौदा शाखाओं ने [illegible] से कार्यक्रम किए। अहमदाबाद शाखा ने वर्ष 1986-87 का राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शाखा पुरस्कार तथा वार्षिक चल शील्ड जीती। इस शाखा को ये पुरस्कार और शील्ड 4 फरवरी, 1988 को कलकत्ता में इन्स्टीट्यूट के 16 वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के अवसर पर प्रदान किए गए।

क्षेत्रीय परिषदों की वित्तीय स्थिति और विद्यार्थियों तथा सदस्य की संख्या

31 मार्च, 1988 को समाप्त वर्ष की चार क्षेत्रीय परिषद की रिपोर्टों के अनुसार तुलनात्मक वित्तीय स्थिति तथा विद्यार्थियों और सदस्यों की संख्या इस प्रकार है:—

	क्षेत्रीय परिषदें			
	पूर्वी भारत क्षे.प.	उत्तरी भारत क्षे.प.	दक्षिणी भारत क्षे.प.	पश्चिमी भारत क्षे.प.
(क) वित्तीय स्थिति (रुपयों में) वर्ष 31-3-1988 के अंत में अधिशेष	47,627	1,09,043	1,02,507	27,764
31-3-1988 को रिजर्व और अधिशेष	2,92,660	7,39,620	6,68,414	4,68,093
(ख) विद्यार्थियों और सदस्यों की संख्या				
31-3-1987 को विद्यार्थी	7,228	13,903	18,804	12,352
31-3-1988 को विद्यार्थी	8,728	14,634	13,880	13,037
31-3-1987 को सदस्य	922	1,368	1,547	2,113
31-3-1988 को सदस्य	981	1,466	1,628	2,263

परिशिष्ट "ग

सदस्यों में वृद्धि

	वर्ष	कुल संख्या			पिछले वर्ष की तुलना में वार्षिक वृद्धि	
		एसोसिएट सदस्य	फेलो सदस्य	कुल (2+3)	सकल	प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6
क.	1982-83	3563(80.10)	885(19.90)	4448(100)	353	8.62
	1983-84	3993(80.73)	953(19.27)	4946(100)	498	11.20
	1984-85	4264(81.19)	988(18.81)	5252(100)	306	6.19
	1985-86	4405(78.59)	1200(21.41)	5605(100)	353	6.72
	1986-87	4648.78.25)	1292(21.75)	5940(100)	335	5.98
	1987-88	4947(78.09)	1388(21.91)	6335(100)	395	6.65
ख.	1982-83 से 1987-88 तक सकल परिवर्तन	1384(73.34)	503(26.66)	1887(100)	--	--
ग.	1982-83 से 1987-88 तक प्रतिशत परिवर्तन	38.84	56.83	42.42	--	--
घ.	औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत	7.77	11.37	8.48	--	--
ङ	संयोजित वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत	6.8	9.41	7.4	--	--

टिप्पणी :—कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में हैं।

परिशिष्ट "ग"—जारी

रजिस्टर से निकाले गए			कुल सदस्यों में से निकाले गए सदस्यों का प्रतिशत	प्रैक्टिस प्रमाणपत्र धारकों की संख्या	कुल सदस्यों में से प्रैक्टिस प्रमाणपत्र धारकों का प्रतिशत
भुगतान न करने के कारण	मृत्यु के कारण	कुल (7+8)			
7	8	9	10	11	12
48(81.35)	11(18.65)	59(100)	1.33	450	10.12
52(81.25)	12(18.75)	64(100)	1.29	556	11.24
83(88.29)	11(11.71)	94(100)	1.79	672	12.86
98(92.45)	8(7.55)	106(100)	1.89	749	13.36
68(82.92)	14(17.08)	82(100)	1.38	879	14.80
76(86.36)	12(13.64)	88(100)	1.39	1065	16.81
28	1	29	—	—	—
58.33	8.09	49.15	—	—	—
11.86	1.82	9.83	—	—	—
9.6	1.75	8.3	—	—	—

परिशिष्ट "घ"

प्रेक्टिस प्रमाण पत्रधारी सदस्यों में वृद्धि

वर्ष	वर्ष के दौरान जारी	वर्ष के दौरान नवीनीकरण	वर्ष के दौरान रद्द	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि	31 मार्च को कुल प्रेक्टिस प्रमाण पत्रधारी सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1982-83	90	360	34	56	450
1983-84	136	420	30	106	556
1984-85	160	512	44	116	672
1985-86	145	604	68	77	749
1986-87	185	694	55	130	879
1987-88	247	818	61	186	1065
ख. सकल परिवर्तन 1982-83 से 1987-88 तक	—	—	—	—	615
ग. प्रतिशत परिवर्तन 1982-83 से 1987-88 तक	—	—	—	—	136.66
घ. औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)	—	—	—	—	27.33
ङ संयोजित वार्षिक दर (प्रतिशत)	—	—	—	—	18.8

परिशिष्ट "ङ"

वर्ष 1987-88 में आयोजित

व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की सूची

4-5 अप्रैल, 1987	जयपुर में "निगमित वित्त और विधि" पर आइ. सी. ए. आइ. के साथ मिलकर संयुक्त कार्यक्रम।
11-12 सितम्बर, 1987	दिल्ली में "सरकारी कम्पनियों में विधि प्रबन्ध" पर ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के साथ मिलकर संयुक्त कार्यक्रम।
30-31 अक्तूबर, 1987	दिल्ली में "कम्पनी (संशोधन) बिल 1987" पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।
19-20 नवम्बर, 1987	बंगलौर में "सरकारी कम्पनियों में बोर्ड प्रबन्ध की डायनेमिक्स" पर आइ. सी. एम. आई.—के एस. सी. पी. ई. का कार्यक्रम।
7-12 दिसम्बर, 1987 (6-पूर्ण दिवसीय कार्यक्रम)	नई दिल्ली में "कम्पनी कार्य के अन्वेषण तथा पंजीकरण महानिदेशक के कार्यालय" के सहयोग से "प्रतिबन्धित तथा अनुचित व्यापार कार्यों" के संबंध में एम. आर. टी. पी. एक्ट के प्रावधानों पर प्रेक्टिकल शैक्षिक ओरिएण्टेशन पाठ्यक्रम का आयोजन।
26 मार्च—5 अप्रैल, 1988	"केन्द्रीय उत्पाद शुल्क—विधि और प्रक्रिया" तथा कम्पनी विधि बोर्ड (बैंच) नियमावली, 1975" पर ओरिएण्टेशन कार्यक्रम।

परिशिष्ट "ख"

भाग—1

प्रेक्टिस में कार्यरत कम्पनी सचिव के लिए मान्यताएं

क्र. सं.	संविधि/प्राधिकार	प्रयोजन	मान्यता कब मिली
1	2	3	4
I.	संविधियां, नियमावली और विनियमावली		
1.	धन-कर नियमावली 1957[1] नियम (8क(7))	स्टाक-शेयर, डिबेंचर इत्यादि के मूल्यांकक के रूप में पंजीकरण के लिए मान्यता	अक्तूबर 1974
2.	कम्पनी विधि बोर्ड पीठ नियमावली 1975[1] (नियम 28)	कम्पनी विधि बोर्ड पीठिकाओं के समक्ष प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य के लिए	दिसम्बर 1975
3.	आयकर अधिनियम 1961[1] और आयकर नियमावली 1962[1] (धारा 288(2) और नियम 49 और 50)	आयकर प्राधिकारियों के समक्ष प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य के लिए[2]	जुलाई 1979
4.	एम. आर. टी. पी. आयोग विनियमावली 1974[1] (विनियम 65 का उपबंध)	एम. आर. टी. पी. आयोग के समक्ष प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए	मई 1982
5.	(1) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 तथा प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियमावली 1957 (गाईड लाईन सं. एफ. 1/8/एस. ई./82 दिनांक 20-8-1982)	स्टाक एक्सचेंज द्वारा अनुमोदन के आधार पर इस बात का प्रमाणपत्र कि कम्पनी ने आबंटन सही आधार पर किया है।	अगस्त 1982
	(ii) प्रेस नोट सं. 14(2)/एस. ई.-85 दिनांक 15-10-1985	ऐसी कम्पनियों के संबंध में, जो पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम 1947/पूंजी निर्गम (छूट) आदेश, 1969 के अंतर्गत पूंजी उगाहते हैं, इस बात का प्रमाण पत्र देने के लिए कि प्रोमोटरों के कोटे के शेयरों में से शेयरों पर यह मोहर लगा दी गई है कि शेयरों के आबंटन की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक ये शेयर बेचे/हस्तांतरित/गिरवी नहीं रखे जाएंगे।	अक्तूबर 1985
	(iii) (क) अहमदाबाद शेयर एण्ड स्टाक ब्रोकर एसोसिएशन	स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों की लेखा पुस्तकों और अन्य	मार्च 1984
	(ख) उत्तर प्रदेश स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड कानपुर	दस्तावेजों की जांच जैसा कि गाईड लाईन एफ. सं. 1/4/एस. ई./83 दिनांक 29 जनवरी 1983 के अनुसार आवश्यक है।	अप्रैल 1984
6.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 (धारा 35 क्यू और नियम 233क)		
7.	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा शुल्क (अपील) नियमावली 1982 (धारा 146 क और नियम 9)	सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण; अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए	अक्तूबर 1982
8.	स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपील नियमावली 1982 (धारा 101 क और नियम 9)		
9.	व्यापार और पण्य-चिह्न नियमावली 1959 (नियम 149)	व्यापार चिह्न एजेंट के रूप में पंजीकृत कराने के लिए	अप्रैल 1985

1. किसी कम्पनी या सचिव को इस प्रकार के काम को हाथ में ले सकता है।

2. आयकर अधिनियम की धारा 288(2)(सी) के अंतर्गत केवल वे लोग जिन्होंने आयकर नियमावली के नियम 50 के अधीन मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षा प्रमाणों की डिग्री धारी प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकते हैं। नियम 50 में कम्पनी सचिव (जी डी सी एस) के सरकारी डिप्लोमाधारी इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया की फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण में शामिल है।

1	2	3	4
10.	आयात और निर्यात नीति 1988-91 (खण्ड-1)		
	(i) नीति का पैरा 213(1) और कार्य विधि का पैरा 340(1), परिशिष्ट XVIIIA	(i) निर्यात निष्पादन प्रमाणीकरण, जो पंजीकृत निर्यातकर्ता निर्यातगृह द्वारा आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक को निर्यातगृह/व्यापार गृह प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रस्तुत करना होता है।	अप्रैल 1982
	(ii) नीति का पैरा 75(1) और कार्य विधि का पैरा 249(4)	(ii) वास्तविक उपभोक्ताओं (औद्योगिक) के लिए बिक्री बाद सेवाओं के लिए अतिरिक्त कल-पुर्जे आयात करने के लिए आयात अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के वास्ते अपेक्षित प्राप्त पात्रता वार्षिक उत्पाद के संबंध में प्रमाणीकरण	अप्रैल 1984
	(iii) नीति का पैरा 78(4) और (5)	(iii) काम कर रहे वाहन-समूह के सभी विवरणों का प्रमाणीकरण और ऐसे सभी संबद्ध दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए जो (क) उस वाहन समूह के स्वामी को चाहिए जिसके पास कम से कम 25 ऐसी मोटर वाहन हों जिसके लिए सीमित कल-पुर्जे आयात करने आवश्यक होते हैं; तथा (ख) राज्य परिवहन उपक्रमों को उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए।	अप्रैल 1984
	(iv) नीति का पैरा 51(2)	(iv) उपभोग की विवरणी का प्रमाणीकरण जो ऐसे पात्रता प्राप्त वास्तविक उपभोक्ता को चाहिए, जो अपने वास्तविक उपभोग बीमा भाड़ा मूल्य के 25 प्रतिशत मूल्य तक की ऐसी मदें सीधे आयात कर सकते हैं, जिन्हें खुले सामान्य लाइसेंस से हटाकर इस नीति में अथवा बाद में किसी समय सूची में रखा गया है।	अप्रैल 1984
	(v) नीति का पैरा 167(2)	(v) पात्रता प्राप्त शस्त्रास्त्र व्यापारियों के हथियारों की वर्ष वार कुल बिक्री का प्रमाणीकरण, जो निर्दिष्ट प्रकार के हथियारों के आयात के लिए चाहिए।	अप्रैल 1984
	(vi) नीति का पैरा 103(1)	(vi) संबद्ध दुकान तथा स्थापना संविधि के अधीन वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्तियों की पुस्तकों की कुल खरीद से संबंधित प्रमाणीकरण जो खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की जाने वाली पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के आयात के लिए चाहिए।	अप्रैल 1984
	आयात निर्यात क्रिया की हस्तपुस्तिका 1988-91		
	(vii) परिशिष्ट 5-[-भाग-II]	(vii) वास्तविक उपभोक्ता और सरकारी उपक्रमों द्वारा कच्चा माल/हिस्से-पुर्जे/उपभोज्य सामग्री और अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए प्रारम्भिक/पूरक लाइसेंसों के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला उपयोग प्रमाण।	अप्रैल 1985

1	2	3	4
	(viii) परिशिष्ट XV-एक और क्रिया विधि पुस्तिका का पैरा 340(1)	(viii) निर्यात-मालूम की निर्यात मूलक यूनिट द्वारा प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित निर्यात निष्पादन का प्रमाणीकरण, जो निर्यात निष्पादन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए चाहिए।	अप्रैल 1982
	(ix) परिशिष्ट XIV-ई (पैरा 327 (13) के साथ पठनीय)	(ix) सम्भागिता के अधीन निर्यात विवरणी का प्रमाणीकरण, जो विदेशों में, संयुक्त उद्योगों में भारतीय सम्भागिता के लिए मशीनों और उपकरणों के निर्यात के लिए आर.ई.पी. लाइसेंस प्राप्त करने के लिए चाहिए।	अप्रैल 1985
	(x) परिशिष्ट XVIII-बी	(x) निवल विदेशी मुद्रा प्राप्ति संबंधी प्रमाणीकरण जो निर्यात/व्यापार गृह को अतिरिक्त अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए चाहिए।	अप्रैल 1985
	(xi) परिशिष्ट 5-डी-(xiv) भाग-1	(xi) आयात निर्यात नीति 1988-91 के परिशिष्ट 2-क और 3-क में दी गई लौह और इस्पात के अलावा अन्य मदों तथा परिशिष्ट 2-ख और 3-ख में लौह और इस्पात की मदों के आयात के बारे में आवश्यकता, उपभोग, स्टाक आदि के विवरण का प्रमाणीकरण	मई 1986
II. संस्थान			
11.	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान	निम्नलिखित के संबंध में प्रमाणीकरण के लिए	
	(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	(क) करार करने संबंधी कम्पनी और उसके निदेशकों की आवश्यक शक्तियां	
	(ii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	(ख) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 293(1)	
		(ग) के अधीनशासी कम्पनी द्वारा ऋण लेने की समीक्षा, जिसमें प्राधिकृत, निर्गमित अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी तथा वास्तव में लिए गए ऋणों के ब्यौरे शामिल हैं।	जुलाई 1981
	(iii) भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि०	(ग) कम्पनी के सदस्यों की सूची	
	(iv) भारतीय यूनिट ट्रस्ट	(घ) पूंजी निर्गम (छूट) आदेश 1969 के अधीन प्रस्तावित ऋण लेने की छूट से संबंधित प्रमाण पत्र	जुलाई 1983
	(v) भारतीय जीवन बीमा निगम	(ङ) कम्पनी बैठकों में पास किये गये संकल्पों की प्रतियां वित्तीय संस्थानों को देना।	
	(vi) भारतीय साधारण बीमा निगम		
	(vii) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	—वही—(क) से (ङ) तक	जनवरी 1986
III. उच्च न्यायालय			
12.	कलकत्ता उच्च न्यायालय पत्र सं० कोर. 424 दिनांक 9-2-1983	रिसीवरों, मध्यस्थों, ट्रस्टियों और विशेष अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रैक्टिस में कार्यरत कम्पनी सचिवों की तालिका का प्रवर्तन	फरवरी 1986

1	2	3	4
IV	बैंक		
13.	इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (परिपत्र एस ओ/69-73-III-सी-82/9305 दिनांक 15-4-83 और परिपत्र सं. एस ओ/69-73-सी-86/4763 दिनांक 16-6-1986	बैंकों के लिए प्रतिभूतियों/सीज रिपोर्ट	अप्रैल 1983
V.	राज्य स्तरीय एजेंसियां		
14.	राज्य वित्तीय /औद्योगिक निवेश/विकास निगम :		
(i)	असम औद्योगिक विकास निगम लि. गोहाटी	(क) कम्पनी और इसके निदेशकों की करार संबंधी आवश्यक शक्तियां	
		(ख) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 293(1)(घ) के अधीन कम्पनी द्वारा ऋण लेने की सीमा जिसमें प्राधिकृत, निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी तथा वास्तविक ऋणों के ब्यौरे भी शामिल हैं।	मार्च 1982
(ii)	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम, शिमला	—वही—	जुलाई 1982
(iii)	पश्चिमी बंगाल वित्तीय निगम 3 कलकत्ता	—वही—	अगस्त 1982
(iv)	महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम बम्बई	—वही—	अप्रैल 1984
(v)	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. कानपुर	—वही—	दिसम्बर 1985
(vi)	गुजरात औद्योगिक विकास निगम लि. 3 अहमदाबाद	(क) कम्पनी और इसके निदेशकों की करार संबंधी आवश्यक शक्तियां	
		(ख) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 293(1)	अक्तूबर 1982
		(घ) के अधीन कम्पनी द्वारा ऋण लेने की सीमा जिसमें प्राधिकृत निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी तथा वास्तविक ऋणों के ब्यौरे भी शामिल हैं।	अगस्त 1986
		(ग) कम्पनी के सदस्यों की सूची	
		(घ) पूंजी निर्गम (छूट) आदेश, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तावित ऋण का छूट का प्रमाणपत्र	
		(ङ) वित्तीय संस्थानों को पेश की जाने वाली कम्पनी बैठकों में पारित संकल्पों की प्रतियां	
(vii)	नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लि. दीमापुर	—वही—	सितम्बर, 1983
(viii)	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर	—वही—	सितम्बर 1983
(ix)	तमिलनाडु राज्य औद्योगिक उन्नति निगम लि.[3] मद्रास	—वही—	अक्तूबर 1983
(x)	तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लि.[3] मद्रास	—वही—	नवम्बर 1983
(xi)	कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और विकास निगम लि., बंगलौर	—वही—	जुलाई 1982 फरवरी 1986
(xii)	उत्तर प्रदेश का प्रदेशीय औद्योगिक और विकास निगम लि., लखनऊ	—वही—	मार्च 1986
(xiii)	आन्ध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम हैदराबाद	—वही—	जून 1982 मार्च 1986
(xiv)	पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. चंडीगढ़	—वही—	मार्च 1986

3. इसके अलावा कम्पनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा रखे गए रिकार्ड से खोज रिपोर्टों से संबंधित प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा।

1	2	3	4
(xv)	महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक और निवेश निगम लि., बम्बई	—वही—	जुलाई 1982 मार्च 1986
(xvi)	हरियाणा वित्त निगम, चंडीगढ़	—वही—	सितम्बर 1982 अप्रैल 1986
(xvii)	पंजाब वित्त निगम, चंडीगढ़	—वही—	मई 1986
(xviii)	आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि., हैदराबाद	—वही—	मई 1982 जून 1986
(xix)	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लि.,[4] जयपुर	—वही—	अगस्त 1986
(xx)	औद्योगिक उन्नति और निवेश निगम उड़ीसा लि.[4], भुवनेश्वर	—वही—	सितम्बर 1982 अगस्त 1986
(xxi)	गुजरात राज्य वित्तीय निगम लि०[4] अहमदाबाद	—वही—	अप्रैल 1982 सितम्बर 1986
(xxii)	दि जोरम औद्योगिक विकास निगम लि.[4] मिजोरम	—वही—	मार्च 1987
(xxiii)	केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.[4], त्रिवेन्द्रम	—वही—	अगस्त 1986 जून 1987
(xxiv)	राजस्थान वित्त निगम[4], जयपुर	—वही—	सितम्बर 1983 जुलाई 1987
(xxv)	पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम[4], कलकत्ता	—वही—	जुलाई 1987
(xxvi)	बिहार राज्य वित्तीय निगम[4], पटना	—वही—	जनवरी 1988
VI.	सरकारी विभाग		
15.	कृषि और सहकारी विभाग, कृषि मंत्रालय	कृषि और सहकारी विभाग द्वारा अपनी संशोधित नीति, 1986 के अंतर्गत जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रैक्टिसरत कम्पनी सेक्रेटरी, जो किसी कम्पनी का कर्मचारी नहीं है, उसे विदेशी मतव्य पोत को किराए पर लेने वाली कम्पनी के कुछ निर्धारित ब्यौरों के बारे में प्रमाण पत्र जारी करने की मान्यता प्रदान की गई है।	जुलाई 1987

4. वही

परिशिष्ट "च"

भाग -II

रोजगार में कम्पनी सचिव के लिए मान्यताओं की सूची

क्र. सं.	संविधि/प्राधिकार	प्रयोजन	मान्यता कब मिली
1	2	3	4
1.	शिक्षा मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ पदों और सेवाओं में नियुक्ति	फरवरी 1968 दिसम्बर 1971 और जुलाई 1981
2.	कम्पनी अधिनियम 1956 धारा 383क	जिन कंपनियों की प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 25 लाख या उससे अधिक है उन कंपनियों में पूर्णकालिक सचिव के लिए	फरवरी 1975
3.	कम्पनी अधिनियम धारा 2(45) तथा कंपनी (सचिव की अर्हताएं) नियम 1975	सचिव की परिभाषा में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत इंस्टीट्यूट की अर्हता तथा सचिव द्वारा किये जाने वाले कार्य निर्धारित किये गए, जिसमें कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कार्य तथा अन्य कोई लिपिकीय या प्रशासनिक कार्य शामिल है	फरवरी 1975
4.	आन्ध्र प्रदेश सरकार	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वरिष्ठ पदों के लिए	सितम्बर 1981

1	2	3	4
5.	केन्द्रीय सरकार (कम्पनी कार्य विभाग)	केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा की लेखा शाखा में ग्रेड 1 से 4 तक की भर्ती में अनिवार्य अर्हता	नवम्बर 1982
6.	इंडियन बैंक्स एसोसिएशन	वित्त लेखा विधि और व्यापारिक बैंकिंग में विशेषज्ञों के रूप में कंपनी सचिवों की नियुक्ति	मार्च 1983
7.	गृह मंत्रालय कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग	एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के विकासशील देशों में भारतीय विशेषज्ञों को भेजे जाने के लिए कंपनी सचिवों की तालिका बनाना	मार्च 1984
8.	गुजरात सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र सं. आरडीडी/1077–1120 के, दिनांक 16-1-78 और पत्र सं. आरडीडी–1081–1781 के, दिनांक 23-6-81	केन्द्रीय अथवा राज्य विधान सभा के किसी अधिनियम या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा राज्य सरकार के पदों/सेवाओं पर भर्ती के लिए स्वतः मान्यता प्राप्त हैं।	जनवरी 1978 और जून 1981
9.	तमिलनाडु सरकार, कार्मिक और प्रशासन सुधार (कार्मिक आर) विभाग, आदेश सं. जी ओ एम सं. 148 दिनांक 7-3-88	राज्य सरकार सेवा के ऐसे संबंधित विभागों में जहां व्यापार, वाणिज्य, वित्त, वाणिज्यिक करों और उद्योग संबंधी विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है, वहां राज्य सरकार सेवा की ग्रुप "ए" की नियुक्तियों के प्रयोजन के लिए कंपनी सेक्रेटरी की अर्हता को एक अर्हता मान लिया गया है।	मार्च 1988

परिशिष्ट "ख"

विद्यार्थियों की वृद्धि

पंजीकृत विद्यार्थी तथा इण्टरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने वाले विद्यार्थियों व प्रशिक्षण दे रही कंपनियों की संख्या के संबंध में विवरण 1982–83 से 1987–88 तक

वर्ष	पंजीकृत विद्यार्थी (वर्तमान)	वर्तमान उत्तीर्ण विद्यार्थी		व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त कम्पनियों की संख्या
		इण्टर	फाइनल	
1982–83	47687	1278	499	397
1983–84	50097	1296	636	430
1984–85	50010	1116	484	480
1985–86	51670	1275	420	514
1986–87	51020	1681	510	580
1987–88	50519	1394	646	661

सकल परिवर्तन

(1982–83 से 1987–88 तक)

2832

प्रतिशत परिवर्तन (1982–83 से 1987–88 तक)

5.93

औसत वार्षिक

वृद्धि दर (प्रतिशत)

1.19

संयोजित वार्षिक

वृद्धि दर (प्रतिशत)

1.00

परिशिष्ट "ज"

जून और दिसम्बर 1987 में आयोजित परीक्षाओं में

बैठने तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या की सारणी

जून 1987 का सत्र

परीक्षा		बैठे	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशतता
प्रारम्भिक (प्रिलिमीनरी)		54	4	7.4
इण्टरमीडिएट (पुराना पाठ्यक्रम)*	ग्रुप-I	2881	632	21.93
	ग्रुप-II	2708	703	25.96
इण्टरमीडिएट (नया पाठ्यक्रम)**	ग्रुप-I	553	80	14.46
	ग्रुप-II	773	187	24.19
फाइनल (पुराना पाठ्यक्रम)***	ग्रुप-I	1134	339	29.89
	ग्रुप-II	1225	367	29.95
	ग्रुप-III	1398	244	17.45
फाइनल (नया पाठ्यक्रम)@	ग्रुप-I	26	8	30.77
	ग्रुप-II	17	4	23.53
	ग्रुप-III	23	5	21.74

* दोनों ग्रुपों में 1007 परीक्षार्थी बठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में 112 ने परीक्षा उत्तीर्ण की (11.12%)

** दोनों ग्रुपों में 102 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में 24 ने परीक्षा उत्तीर्ण की (23.52%)

*** तीनों ग्रुपों में 146 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से तीनों ग्रुपों में 12 ने परीक्षा पास की (8.21%)

@ तीनों ग्रुपों में 7 परीक्षार्थी, बैठे जिनमें से तीनों ग्रुपों में 2 ने परीक्षा पास की (28.57%)

परिशिष्ट 'ज' जारी

दिसम्बर 1987 का सत्र

परीक्षा		बैठे	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशतता
प्रारम्भिक (प्रिलिमिनरी)		70	9	12.86
इण्टरमीडिएट (पुराना पाठ्यक्रम)*	ग्रुप - I	2439	548	22.47
	ग्रुप - II	2360	614	26.02
इण्टरमीडिएट (नया पाठ्यक्रम)**	ग्रुप - I	905	125	13.81
	ग्रुप - II	1224	303	24.75
फाइनल (पुराना पाठ्यक्रम) ***	ग्रुप - I	1270	691	54.41
	ग्रुप II	1361	418	30.71
	ग्रुप - III	1580	448	28.35
फाइनल (नया पाठ्यक्रम)$	ग्रुप - I	62	20	32.26
	ग्रुप - II	27	9	33.33
	ग्रुप III	42	11	26.19

*दोनों ग्रुपों में 864 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में 120 ने परीक्षा पास की (13.89%)

**दोनों ग्रुपों में 230 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में 37 ने परीक्षा पास की (16.09%)

***तीनों ग्रुपों में 179 परीक्षार्थी बैठे जिनमें से 37 ने परीक्षा पास की (20.67%)

$तीनों ग्रुपों में 6 परीक्षार्थी बैठे जिनमें से 3 ने परीक्षा पास की (50.00%)

परिशिष्ट 'ख

आंकड़े एक दृष्टि में

(वित्तीय स्थिति)

	31-3-88 को रु.	31-3-87 को रु.
देयताएं		
1. कुल रिजर्व	1,83,81,120	1,64,66,332
2. चालू देयताएं और प्रावधान	83,64,471	77,90,171
कुल	2,67,45,591	2,42,56,509
परिसम्पत्तियां		
1. आवधिक परिसम्पत्तियां	1,05,29,601	73,48,531
2. चालू परिसम्पत्तियां		
(क) फुटकर देनदार	2,00,407	1,97,352
(ख) रोकड़, बैंक शेष और निवेश	1,18,14,039	1,28,54,558
(ग) हस्तगत भण्डार	21,58,608	22,07,497
(घ) आस्थगित राजस्व व्यय (बट्टे खाते न डाली गई सीमा तक)	1,43,386	2,61,772
3. ऋण और पेशगियां	18,99,552	13,86,799
कुल	2,67,45,591	2,42,56,509

डी. के. सेनगुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

पी – 22, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट – 2
नई दिल्ली-110049
14 जुलाई, 1988

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने इंस्टिट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया के 31 मार्च, 1988 के तुलन-पत्र तथा इसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखे का परीक्षण किया है और हमारी, रिपोर्ट इस प्रकार है :--

1. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है तथा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित के बारे में ये लेखे सही और पर्याप्त स्पष्ट स्थिति प्रगट करते हैं :--

(क) इंस्टिट्यूट के मामलों से संबंधित 31 मार्च, 1988 को समाप्त अवधि के तुलन-पत्र के बारे में स्थिति।

(ख) उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय व व्यय लेखे में कमी से संबंधित स्थिति।

2. हमें वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए, जो हमें अपनी अपेक्षित जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए प्राप्त करने आवश्यक थे।

3. हमारी राय में इंस्टिट्यूट ने अब तक समुचित लेखा-पुस्तकें और रिकार्ड रखे हैं, जैसा कि इनके परीक्षण से स्पष्ट होता है।

4. संदर्भाधीन तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखे रखी गई लेखा पुस्तकों और रिकार्डों से मेल खाते हैं।

कृते डी. के. सेनगुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
डी. के. सेनगुप्ता

अनुसूची-1

पूंजीगत रिजर्व

	1987-88	1986-87
	रु०	रु०
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	16,95,525	15,62,425
जोड़ें : पूंजीगत शुल्क—		
एसोसिएट प्रवेश शुल्क	1,33,200	1,12,500
फलो प्रवेश शुल्क	20,200	20,600
कुल	18,48,925	16,95,525

अनुसूची-2

सामान्य रिजर्व

	1987-88	1986-87
	रु.	रु.
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1,11,12,417	1,08,53,523
जोड़ें : भवन रिजर्व निधि के अंतरण	35,32,775	2,17,929
	1,46,45,192	1,10,71,452
आय और व्यय लेखे के अनुसार कमी (अधिशेष)	3,71,237	40,965
कुल	1,42,73,955	1,11,12,417

अनुसूची-3

भवन रिजर्व निधि

	1987-88	1986-87
	रु.	रु.
1-4-87 को अलग से रखी गई सावधि जमा राशि	36,58,396	32,48,297
जोड़ें : (1) अलग से रखी गई सावधि जमा राशि पर ब्याज	2,51,076	3,83,994
(2) क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास भूमि,/भवन की लागत के लिए एस.आई.आर.सी. का योगदान	—	37,454
बड़ौदा और दोंबवली शाखाओं के कार्यालयों के भवन निर्माण की लागत	—	2,06,580
अहमदाबाद, बंगलौर और हैदराबाद शाखाओं के कार्यालयों के भवन निर्माण की लागत	18,81,543	—
	57,91,015	38,76,325
घटाएं : सामान्य रिजर्व में अंतरण—		
(1) क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास के लिए एस.आई.आर.सी. द्वारा तथा बड़ौदा, दोंबीवली, अहमदाबाद, बंगलौर और हैदराबाद शाखाओं द्वारा अपने शाखा कार्यालयों के भवन निर्माण की लागत के लिए भूमि/भवन के बारे में योगदान (रु. 37,454+रु. 2,06,580+रु. 18,81,543)	21,25,577	—
(2) अहमदाबाद, बंगलौर और हैदराबाद शाखाओं के भवनों की लागत का कुछ अंश और क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास के भवन में अतिरिक्त निर्माण की कुल लागत इंस्टीट्यूट ने वहन की है	14,07,198	2,17,929
कुल	22,58,240	36,58,396

31-3-1988 को तुलन पत्र के साथ संलग्न और उसके भाग के

विवरण	सकल ब्लाक				
	मूल्य ह्रास की दर	1-4-1987 की लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री समायोजन	31-3-1988 को कुल लागत
	प्रतिशत	रु.	रु.	रु.	रु.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. भूमि					
केन्द्रीय कार्यालय	—	58,756	—	—	58,756
क्षे. कार्यालय दिल्ली	—	2,33,393	—	—	2,33,393
क्षे. कार्यालय मद्रास	—	12,00,000	—	—	12,00,000
हैदराबाद शाखा	—	—	6,00,000	—	6,00,000
2. भवन					
आई.सी.एस.आई.भवन	2.5	35,91,975	9,000	—	36,00,975
क्षे. कार्या. बम्बई	2.5	2,58,086	—	—	2,58,086
क्षे. कार्या. दिल्ली (निर्माणाधीन)	—	53,605	36,520	—	90,125
क्षे. कार्या. मद्रास	2.5	7,55,947	7,198	—	7,63,145
अहमदाबाद शाखा	2.5	—	14,59,455	—	14,59,455
बंगलौर शाखा	2.5	—	8,00,000	—	8,00,000
बड़ौदा शाखा	2.5	2,34,355	—	—	2,34,355
दोम्बीवली शाखा	2.5	1,52,700	—	—	1,52,700
हैदराबाद शाखा	2.5	—	4,22,088	—	4,22,088
3. पंखे	10	62,697	330	—	63,027
4. फर्नीचर और जुड़नार	10	9,71,902	51,831	1,090	10,22,643
5. समय अभिलेख, टल-टेल और दीवार घड़ियां	10	6,779	165	112	6,832
6. गणक और परिकलन यंत्र	15	23,902	660	291	24,271
7. वातानुकूलक और रूम कूलर	15	1,08,706	—	6,672	1,02,034
8. वातानुकूलक और शीत यंत्र	15	5,45,000	—	—	5,45,000
9. स्वचालित पात लाइटें	15	5,083	—	—	5,083
10. ब्राडमा मशीनें	15	96,537	—	—	96,537
11. कमरा	15	974	—	—	974
12. अनुलिपि यंत्र	15	38,392	18,547	—	56,939
13. इलेक्ट्रानिक आटो डायलर	15	—	3,696	—	3,696
14. फैकिंग मशीनें	15	20,299	31,860	—	52,159
15. हैंड ड्रायर	15	2,995	—	—	2,995
16. हीट कनवेक्टर	15	468	—	—	468
17. अंत: संचार उपकरण	15	44,317	1,300	—	45,617
18. घाटा काटने के उपकरण	15	653	—	—	653

अनुसूची-4

रूप में संबंद्ध परिसंपत्तियों की अनुसूची

मूल्य ह्रास				घटाया हुआ मूल्य	
1-4-87 से पूर्व	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन	कुल	31-3-88 को	31-3-87 को
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
—	—	—	—	58,756	58,756
—	—	—	—	2,33,393	2,33,393
—	—	—	—	12,00,000	12,00,000
—	—	—	—	6,00,000	—
4,99,652	77,533	—	5,77,185	30,23,790	30,92,323
62,712	4,884	—	67,596	1,90,490	1,95,374
—	—	—	—	90,125	53,605
35,499	18,191	—	53,690	7,09,455	7,20,448
—	36,486	—	36,486	14,22,969	—
—	20,000	—	20,000	7,80,000	—
5,859	5,712	—	11,571	2,22,784	2,28,496
3,817	3,722	—	7,539	1,45,161	1,48,883
—	10,552	—	10,552	4,11,536	—
29,012	3,401	—	32,413	30,614	33,685
4,41,453	58,197	781	4,98,869	5,23,774	5,30,449
2,759	415	78	3,096	3,736	4,020
15,880	1,278	129	17,029	7,242	8,022
54,912	7,986	6,117	56,781	45,253	53,794
3,34,469	31,580	—	3,66,049	1,78,951	2,10,531
2,647	365	—	3,012	2,071	2,436
66,571	4,495	—	71,066	25,471	29,966
146	124	—	270	704	828
21,733	5,281	—	27,014	29,925	16,659
—	555	—	555	3,141	—
15,548	5,492	—	21,040	31,119	4,751
1,156	276	—	1,432	1,563	1,839
130	51	—	181	287	338
26,674	2,842	—	29,516	16,101	17,643
252	60	—	312	341	401

1	2	3	4	5	6
19. मीमो डायलर	15	3,850	—	—	3,850
20. रसोई भंडार के उपकरण और साज सामान	15	10,869	1,113	—	11,982
21. पेपर श्रेडिंग मशीन	15	—	7,750	—	7,750
22. फोटो स्टेट मशीन	15	1,04,066	—	—	1,04,066
23. एस. टी. डी. डिसकनेक्टर	15	1,100	—	—	1,100
24. टप रिकार्डर	15	3,358	—	—	3,358
25. ट्रांसफार्मर और वाल्टेज स्टेबलाइजर	15	21,522	—	—	21,522
26. टी.वी. (रंगीन)/वीसी. आर.और ट्राली	15	25,190	—	—	25,190
27. टाइपराइटर	15	2,06,943	54,160	2,611	2,58,492
28. वैक्यूम क्लीनर	15	3,3000	—	—	3,300
29. वाटर कूलर और फिल्टर	15	70,256	300	3,300	67,256
30. वाटर मीटर	15	233	—	—	233
31. भार तोलक यंत्र	15	12,033	6,976	—	19,009
32. साइकिलें	20	1,782	505	—	2,287
33. पुस्तकालय की पुस्तकें	20	5,45,283	85,887	—	6,31,170
34. मोटरगाड़ी	20	1,00,765	—	—	1,00,765
35. साइकिल/स्कूटर शेड	333	19,993	—	—	19,993
कुल		95,98,064	35,99,341	14,076	1,31,83,329
गत वर्ष के आंकड़े		88,14,464	8,58,150	74,550	95,98,064

7	8	9	10	11	12
1,486	355	—	1,841	2,009	2,364
5,562	963	—	6,525	5,457	5,307
—	1,163	—	1,163	6,587	—
50,281	8,068	—	58,349	45,717	53,785
165	140	—	305	798	938
1,646	257	—	1,903	1,455	1,712
10,316	1,681	—	11,997	9,525	1,206
3,779	3,212	—	6,991	18,199	1,411
1,23,495	20,576	2,173	1,41,898	1,16,594	3,448
1,274	303	—	1,577	1,723	2,026
30,598	5,958	2,056	33,500	33,756	9,658
148	13	—	158	75	88
5,995	1,952	—	7,947	11,062	6,038
1,140	229	—	1,369	918	642
3,88,258	55,182	—	4,10,440	2,20,730	1,90,025
20,153	16,122	—	36,275	64,490	80,612
17,359	877	—	18,236	1,757	2,634
22,49,533	4,16,529	12,334	26,537,28	1,05,29,601	73,48,531
19,47,330	3,46,217	44,014	22,49,533	73,48,531	68,67,134

अनुसूची 5

भानू देयताएं

	1987-88	1986-87
	रु.	रु.
भाग-I: विविध देनदार (प्रतिभूति रहित)		
(क) छः महीने से अधिक पुराने, जो शोध्य माने गए।	—	—
अन्य	2,00,407	1,97,352
(ख) छः महीने से अधिक पुराने मामले, जिनकी प्राप्तियां संदेहास्पद हैं	850	1,425
	2,01,257	1,98,777
घटाएं: अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों का रिजर्व	850	1,425
कुल (भाग-I)	2,00,407	1,97,352
भाग-II: रोकड़, बैंक शेष और निवेश		
(क) हस्तगत रोकड़ और चैक/ड्राफ्ट	4,887	8,867
(ख) हस्तगत डाक टिकटें तथा फ्रैंकिंग मशीन शेष यूनिटों का मूल्य	59,729	16,485
(ग) बैंकों के बचत खातों में :		
केनरा बैंक, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	474,134	4,43,336
इंडियन ओवरसीज बैंक, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली	1,801	3,701
इंडियन बैंक, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	34,563	45,745
(घ) बैंकों के सावधि जमा खातों में :		
केनरा बैंक, ग्रीन पार्क, एक्स; नई दिल्ली	29,00,000*	40,00,000
इंडियन ओवरसीज बैंक, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली	—	2,00,000
इंडियन बैंक, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	1,00,000	4,00,000
(ङ) बांडों में निवेश :		
नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि.	40,00,000*	40,00,000
इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लि.	10,00,000	10,00,000
महानगर टेलीफोन निगम लि.	2,00,000	2,00,000
(च) पुरस्कारों की संस्थापना के लिए केनरा बैंक, नेशनल थर्मल पावर कोर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रोपावर कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कं. में निवेश की जमा राशि	60,000	20,000
(छ) अर्जित ब्याज	29,78,925	25,16,474
कुल (भाग-II)	1,18,14,039	1,28,54,558

* भवन रिजर्व निधि के लिए अलग से रखी गई रु. 22,58,240 की जमा राशि शामिल है।

** इस निवेश में देय ड्यूटी के लिए रु. 11,09,399 की राशि और कर्मचारियों को देय पेंशन के लिए रु. 9,32,000 की राशि का प्रावधान शामिल है।

भाग-III: 31-3-88 को प्रकाशनों, लेखन सामग्री, कागज, चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल, स्टुडेण्ट कंपनी सेक्रेटरी बुलेटिन, शिक्षण सामग्री और टाइयों का हस्तगत स्टॉक।

(क) प्रकाशन	3,27,389	3,41,549
(ख) लेखन सामग्री	64,112	64,543
(ग) छपाई का कागज	2,33,277	1,25,279
(घ) जर्नल/स्टुडेण्ट बुलेटिन	51,956	62,925
(ङ) अध्ययन सामग्री और प्लास्टिक फोल्डर	14,72,746	16,05,167
(च) टाइयां	9,126	8,034
कुल (भाग-III)	21,58,606	22,07,497

अनुसूची—5 जारी

भाग-IV : आस्थगित राजस्व व्यय (उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते नहीं डाला) :		
(क) बट्टे खाते डाले जाने वाले प्रकाशनों और शिक्षण सामग्री के स्टॉक का मूल्य जिसे अगले वर्ष (एक्चार्ज) समाविष्ट किया जाएगा	93,386	1,86,772
(ख) मुख्यालय के भवन के भूमि तल की मरम्मत पर खर्च, जिसे अगले दो वर्षों में (एक्चार्ज) समाविष्ट किया जाएगा	50,000	75,000
कुल (भाग-IV)	1,43,386	2,61,772
कुल जोड़ भाग (I+II+III+IV)	1,43,16,438	1,56,21,179

अनुसूची—6

चालू देयताएं और प्रावधान

	1987-88 रु.	1986-87 रु.
भाग—1 : चालू देयताएं		
(क) असमाप्त सेवाओं के लिए विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क	40,74,262	39,14,337
(ख) सदस्यों से अग्रिम प्राप्तियां	53,635	1,06,461
(ग) स्मारिका/जर्नल विज्ञापन में अग्रिम प्राप्तियां	1,000	—
(घ) देय व्यय	9,36,566	8,36,978
(ङ) देय लेखा परीक्षा शुल्क	2,000	2,500
(च) कम्पनी सेक्रेटरीज/आई.सी.एस.आई. कर्मचारी हितकारी निधि में देय अनुदान	30,185	29,312
(छ) क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं को देय	2,90,562	2,10,587
(ज) प्रतिनिधि शुल्क ((समंजनीय)	14,824	16,824
(झ) भुगतान के लिए विविध प्राप्तियां	1,047	687
(ञ) जमानत जमा/अवधारण राशि	19,442	10,767
(ट) विद्यार्थियों को पुरस्कार देने के लिए जमा राशि (वापस न की जाने वाली)	60,000	20,000
(ठ) पुस्तकालय की सुरक्षा जमा राशि	25	1,10,,540
(ड) प्रकाशनों के लिए एक मुश्त जमा राशि	5,319	4,079
(ढ) प्रतिनिधि शुल्क की अग्रिम प्राप्ति	17,420	3,300
(ण) होटल बुक कराने के लिए जमा राशि (वापस प्राप्त होने वाली)	720	—
कुल (भाग-I)	55,15,,997	52,66,272

अनुसूची—6 (जारी)

भाग—II : प्रावधान		
(क) पानी, बिजली, टेलीफोन, सम्मेलन और प्रासंगिक व्यय के लिए प्रावधान	8,07,075	9,14,412
(ख) भवन (मुख्यालय) के लिए प्रावधान	—	.5,000
(ग) देय ग्रेच्युटी	11,09,399	8,64,487
(घ) कर्मचारियों को देय पेंशन	9,32,000	7,41,000
कुल (भाग—II)	28,48,474	26,24,899
कुल योग (भाग I+II)	83,64,471	77,90,171

अनुसूची—7

ऋण और पेशगियां

(प्रतिभूतिरहित और जो शोध्य समझे गए)

	1997-98 रु.	1996-97 रु.
(क) ऋण और पेशगियां		
कर्मचारी	1,68,656	2,17,824
परीक्षा केन्द्र	2,000	9,306
सम्मेलन/कार्यक्रम	6,099	1,741
मुद्रक/पूर्तिकर्ता (खाते में)	—	1,700
क्षेत्रीय परिषदों/शाखा कार्यालयों के लिए भवन-क्रय		
—पेशगी	—	400,000
—ऋण	15,40,477	5,90,952
(ख) पूर्वदत्त व्यय		
बीमा प्रीमियम	10,573	11,309
किराया, उपशुल्क और कर	5,940	1,980
मरम्मत और नवीकरण	35,027	25,116
कर्मचारी कल्याण (व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा)	8,399	7,406
टेलीफोन और टेलेक्स	4,731	3,760
क्षेत्रीय कार्यालय	3,000	3,260
कार्यक्रम-व्यय	6,940	—
(ग) विविध जमा		
क्षेत्रीय कार्यालय के परिसरों के मकान मालिक	9,186	15,936
नगरपालिका कर और अनुरक्षण (क्षे. का. बम्बई)	10,440	10,440
बेसू, नई दिल्ली	28,500	28,500
मै. प्योर ड्रिंक्स	126	126
एल.पी.जी. सिलण्डर/रेगुलेटर	530	530
डाकघर में सुरक्षा जमा	12,000	12,000
टेलीफोन और टेलेक्स के लिए जमा राशि	10,500	10,500
विश्वविद्यालय (पुरस्कार प्रदान करने के लिए)	35,320	35,320
क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास के लिए बिजली के बारे में जमा राशि	1,110	—
जमा	1[illegible]90,552	13,96,799

अनुसूची—6

सदस्यों और विद्यार्थियों से शुल्क और अभिदान

	1987-88		1986-87	
	रु.	रु.	रु.	रु.
भाग- I : सदस्यों से				
(क) फैलो वार्षिक शुल्क		3,29,220		3,23,580
(ख) फैलो प्रवेश शुल्क	20,200		20,600	
घटाएं : पूंजीगत रिजर्व में 100% स्थानान्तरित	20,200	--	20,600	--
(ग) एसोसिएट वार्षिक शुल्क		4,28,580		4,20140
(घ) एसोसिएट प्रवेश शुल्क	1,33,200		1,12,500	
घटाएं : पूंजीगत रिजर्व में 100% स्थानान्तरित	1,33,200	--	1,12,500	--
(ङ) सदस्यता पुनः स्थापना शुल्क		6,135		6,350
(च) प्रैक्टिस प्रमाण पत्र का वार्षिक शुल्क		75,900		70,088
(छ) सदस्यों की सूची		1,916		2,257
कुल (भाग—I)		8,41,760		8,22,425
भाग—II : विद्यार्थियों से				
(क) परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन का शुल्क		2,235		1,900
(ख) प्रीलिमीनरी/इंटरमीडिएट/फाइनल परीक्षा से छूट का शुल्क		4,40,240		3,94,524
(ग) फाइनल परीक्षा शुल्क		12,71,986		8,90,767
(घ) इण्टरमीडिएट परीक्षा शुल्क		18,55,348		14,38,367
(ङ) प्रीलिमीनरी परीक्षा शुल्क		18,173		18,057
(च) पंजीकरण शुल्क		16,19,924		11,22,036
(छ) शैथिल्य (रिलेक्सेशन) शुल्क		--		480
(ज) अंक सत्यापन शुल्क		13,314		16,901
(झ) वार्षिक शुल्क		45,201		1,54,469
(ञ) डाक शिक्षण शुल्क		61,24,077		50,75,282
(ट) विलम्ब शुल्क		51,966		95,096
(ठ) लाइसेंसधारी शुल्क		23,670		17,311
(ड) विद्युत प्रशिक्षण शुल्क		750		450
(ढ) पुस्तकालय सदस्यता शुल्क		--		9,170
कुल (भाग—II)		1,13,66,985		92,33,810
कुल जोड़ (भाग I+II)		1,22,08,733		1,00,56,235

अनुसूची—9

सम्मेलन और अन्य व्यावसायिक

विकास कार्यक्रमों आदि से आय

	1987-88		1986-87	
	रु.	रु.	रु.	रु.
1. प्रतिनिधि शुल्क और अन्य प्राप्तियां				
प्रतिनिधि शुल्क				
सम्मेलन	4,47,700		4,91,750	
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उच्चतम अधिकारियों के लिए कार्यक्रम	6,671		51,585	
संयुक्त व्यावसायिक कार्यक्रम	74,541		85,265	
सेमिनार	52,500		--	
अंशदान				
सम्मेलन	2,00,840		38,190	
स्मारिका में विज्ञापन				
सम्मेलन	1,02,500		66,636	
अन्य				
पिछले सम्मेलनों से आय	27,219	9,11,971	--	7,33,426
2. घटाएं :				
प्रत्यक्ष व्यय				
सम्मेलन	6,29,634		5,13,096	
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उच्चतम अधिकारियों के लिए कार्यक्रम	6,481		39,662	
संयुक्त व्यावसायिक कार्यक्रम	35,202		76,283	
सेमिनार	46,349		--	
पिछले सम्मेलन	3,490	7,24,155	2,004	6,30,945
		1,87,816		1,02,481
घटाएं :				
कम्पनी सैक्रेटरी कल्याण निधि और आई.सी.एस.आई. कर्मचारी कल्याण निधि के अनुदान का आवंटन		20,000		20,00
आय और व्यय लेखों में विखाया गया शेष		1,67,816		82,481

अनुसूची—10

अन्य आय

		1987-88	1986-87
		रु.	रु.
(क)	प्रकाशनों की बिक्री	6,53,728	8,28,049
(ख)	बैंक शेषों और निवेशों से ब्याज	11,72,804	12,38,810
(ग)	कर्मचारियों को दी गई पेशगियों से ब्याज	5,653	1,727
(घ)	क्षेत्रीय परिषद/कार्यालय भवन मद्रास से किराया	84,384	—
(ङ)	विविध आय	4,654	14,113
(च)	पुरानी स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान/बट्टे खाते डाली राशि का अधिशेष	4,054	13,478
(छ)	कार्यालय भवनों के लिए अनुदान	250	4,020
	कुल	19,55,527	21,00,197

अनुसूची—1

कर्मचारियों को भुगतान

		1987-88	1986-87
		रु.	रु.
(क)	वेतन और भत्ते	52,02,211	44,76,204
(ख)	कर्मचारी कल्याण	4,02,829	3,44,781
(ग)	नियोजक का भविष्य निधि में अंशदान	3,21,357	3,09,538
(घ)	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	2,62,484	1,75,218
(ङ)	कर्मचारी पेंशन के लिए प्रावधान	1,91,000	1,48,000
	कुल	63,79,881	54,53,741

अनुसूची—12

डाक शिक्षण व्यय

		1987-88		1986-87	
		रु.	रु.	रु.	रु.
(क)	1-4-87 को आदि स्टाक :				
	अध्ययन सामग्री	14,58,837		13,19,305	
	कागज	51,566		1,10,472	
	प्लास्टिक फोल्डर	1,46,330	16,56,733	2,63,083	16,92,860
(ख)	जोड़ें: वर्ष के दौरान अध्ययन सामग्री, प्लास्टिक फोल्डर और अन्य मदों पर किया गया व्यय		23,02,042		21,25,100
			39,58,775		38,17,960
(ग)	घटाएं: 31-3-88 को अन्त स्टाक :				
	अध्ययन सामग्री	13,36,366		14,58,837	
	कागज	13,170		51,566	
	प्लास्टिक फोल्डर	1,36,380	14,85,916	1,46,330	16,56,733
			4,72,859		21,61,227
	जोड़ें : वर्ष के दौरान समाविष्ट करने के लिए आगे लाए गए बट्टे खाते डाले गए स्टाक के मूल्य का 50 प्रतिशत		16,907		—
	घटाएं: आगे ले जाए गए बट्टे खाते डाले गए स्टाक का मूल्य जिसको अगले दो वर्षों में (एक्जार्ब) समावेश किया जाएगा		—		33,814
	डाक शिक्षण व्यय		24,89,766		21,27,413

अनुसूची—13

प्रकाशनों और अन्य लेखन सामग्री का मुद्रण

	1987-88		1986-87	
	रु.	रु.	रु.	रु.
(क) 1-4-87 को आदि स्टाक:				
प्रकाशन	3,41,549		4,79,296	
लेखन सामग्री	64,543		76,688	
कागज	22,494	4,28,586	50,052	6,06,036
(ख) जोड़ : वर्ष के दौरान कागज तथा प्रकाशनों के मुद्रण और अन्य कार्यालय लेखन सामग्री पर किया गया समेकित व्यय		6,63,312		7,13,933
		10,91,898		13,19,969
(ग) घटाएं: 31-3-88 को अन्त स्टाक:				
प्रकाशन	3,27,389		3,41,549	
लेखन सामग्री	64,112		64,543	
कागज	24,388	4,15,889	22,494	4,28,586
		6,76,009		8,91,383
जोड़ें: वर्ष के दौरान समाविष्ट करने के लिए आगे लाए गए बट्टे खाते डाले गए स्टाक के मूल्य का 50 प्रतिशत		45,961		
घटाएं: आगे ले जाए गए बट्टे खाते डाले गए स्टाक का मूल्य, जिसका अगले दो वर्षों में (एन्जार्ब) समावेश किया जाएगा		—		91,922
प्रकाशनों के मुद्रण तथा अन्य लेखन सामग्री का व्यय		7,21,970		7,99,461

अनुसूची—14

चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल और स्टुडेण्ट्स कम्पनी सेक्रेटरी बुलेटिन का मुद्रण

	1987-88		1986-87	
	रु.	रु.	रु.	रु.
(क) 1-4-87 को आदि स्टाक :				
जर्नल/स्टुडेण्ट कम्पनी सेक्रेटरी बुलेटिन	62,925		1,64,944	
कागज	51,219	1,14,144	52,213	2,17,157
(ख) जोड़ें: जर्नल/स्टुडेण्ट कम्पनी सेक्रेटरी बुलेटिन के लिए कागज और मुद्रण पर हुआ व्यय		16,67,865		11,88,754
		17,82,009		14,05,911
(ग) घटाएं: 31-3-88 को अन्त स्टाक				
जर्नल/स्टुडेण्ट कम्पनी सेक्रेटरी बुलेटिन	51,956		62,925	
का पेपर	1,95,719	2,47,675	51,219	1,14,144
		15,34,334		12,91,767
जोड़ें: वर्ष के दौरान समाविष्ट के लिए आगे लाए गए बट्टे खाते डाले गए स्टाक के मूल्य का 50 प्रतिशत		30,518		—
घटाएं: आगे ले जाए गए स्टाक का मूल्य जिसका अगले दो वर्षों में (एन्जार्ब) समावेश किया जाएगा	—			61,036
जर्नल/स्टुडेण्ट कम्पनी सेक्रेटरी बुलेटिन के मुद्रण पर प्रत्यक्ष व्यय		15,64,852		12,30,731

अनुसूची—15

यात्रा और सवारी व्यय

		1987-88	1986-87
		रु.	रु.
(क)	परिषद के सदस्यों द्वारा यात्रा	3,60,411	3,03,433
(ख)	अन्य व्यक्तियों द्वारा यात्रा	1,08,343	45,621
(ग)	सवारी व्यय	99,817	1,04,483
	कुल	5,68,571	4,53,537

अनुसूची—16

डाक टिकट, तार, टेलीफोन और टेलेक्स

		1987-88	1986-87
		रु.	रु.
(क)	डाक टिकट और तार	8,63,090	5,85,466
(ख)	टेलीफोन, टेलेक्स तथा अन्तः संचार व्यय	1,92,555	1,01,226
	कुल	10,55,645	6,86,692

अनुसूची—17

अन्य व्यय

		1987-88	1986-87
		रु.	रु.
(क)	समाचार पत्र और पत्रिकाएं	5,347	4,531
(ख)	विज्ञापन और प्रचार	15,268	15,669
(ग)	बैठक और संवर्धन व्यय	35,016	31,553
(घ)	मरम्मत और नवीकरण	87,787	95,390
(ङ)	बिजली	1,50,752	1,45,585
(च)	कानूनी व्यय	39,782	42,732
(छ)	पैकिंग, भाड़ा और ढुलाई	97,960	74,658
(ज)	लेखा परीक्षा शुल्क	9,000	9,000
(झ)	आग, दुर्घटना और विश्वस्तता बीमा विषय	11,080	12,259
(ञ)	मोटर कार-व्यय	29,894	28,216
(ट)	कार्यालय रखरखाव और अनुरक्षण	27,325	19,418
(ठ)	भवन-मरम्मत और अनुरक्षण	70,441	40,723
(ड)	हिन्दी संवर्धन व्यय	1,303	1,028
(ढ)	कार्यालय के विविध व्यय	15,917	21,404
(ण)	बैंक-प्रभार	18,072	16,751
	कुल	6,14,944	5,58,917

अनुसूची—18

व्यावसायिक सेवाएं

	1987-88	1986-87
	रु.	रु.
(क) कम्प्यूटरीकृत सेवाओं के प्रभार	1,87,248	1,56,831
(ख) अन्य	14,985	1,519
कुल	2,02,233	1,58,350

अनुसूची—19

क्षेत्रीय कार्यालय व्यय

	1987-88					1986-87
	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	मद्रास	कुल	
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
किराया, उपशुल्क और कर	40,011	41,238	37,200	51,200	1,69,649	1,23,426
कार्यालय के अन्य व्यय	5,504	5,082	4,563	14,682	29,831	55,340
	45,515	46,320	41,763	65,882	1,99,480	1,78,766

विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार

	1987-88	1986-87
	रु.	रु.
योग्यता (मेरिट) छात्रवृत्तियां तथा योग्यता-सह-साधन सहायता	42,900	46,600
पुरस्कार (इसमें यात्रा-व्यय शामिल है)	7,594	2,401
	50,494	49,001
घटाएं: पुरस्कारों की संस्थापना करने के लिए जमा राशियों पर अर्जित ब्याज	1,775	1,650
कुल	48,719	47,351

तुलन पत्र पर इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(डी. के. सेनगुप्ता)

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1988

अनुसूची 1 से 20 पर हस्ताक्षर

55

टी. पी. सुब्बारमन
सचिव और कार्यकारी निदेशक

श्यामल सेन
उपाध्यक्ष

बी. एस. डोराइस्वामी
अध्यक्ष

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA

(Established under the Companies Act, 1980)

New Delhi, the 20th September, 1988

F. No. 104|16|Accts.—Eighth Annual Report of the Institute of Company Secretaries of India for the year ended 31st March, 1988.

INTRODUCTION

1. In pursuance of the requirement of section18(5) of the Company Secretaries Act, 1980, the Council of the Institute of Company Secretaries of India is pleased to publish the eighth annual report and audited statements of accounts alongwith the auditor's report thereon, on the working of the Institute for the year ended 31 March, 1988.

IMPORTANT DEVELOPMENTS

2. The profession of company secretaries has attained another milestone in the light of the amendments proposed in the Companies (Amendment) Bill, 1987 which has since been enacted by Parliament and assented to by the President on 24 May, 1988. The amendment Act has brought the definition of "secretary" in the Companies Act, 1956 in line with the definition of "company secretary" contained in the Company Secretaries Act, 1980. Further, the concept of secretary in wholetime practice has been introduced to mean a company secretary holding a certificate of practice and not in full time employment. Recognising the utility of a company secretary in practice, the amendment Act has proposed that annual returns of listed companies should also be signed by secretary in whole-time practice. Although the core area carved out for a company secretary in practice may be a small step for the individual, it is a giant stride forward for the profession as a whole. In addition, a secretary in wholetime practice is authorised to file the statutory declaration for incorporation of a company and for commencement of business and to certify compliance by the company of statutory guidelines for appointment of managerial personnel and payment of managerial remuneration to them without the approval of the Central Government. All these provisions brought into force with effect from 15 June, 1988 are bound to go a long way in strengthening the practising side of the profession in the years to come.

2.1 Recognition under the Companies (Amendment) Act, 1988

The amendment Act has now given power to the Central Government to prescribe the paid-up share Capital of a company under section 383A for appointment of a wholetime secretary which was previously prescribed at Rs. 25 lacs in the Act itself. It has also provided a penalty of Rs. 50 for each day of default for non-compliance of the provision by a company unless the company proves that reasonable efforts were made to comply with the provision or the financial position of the company was such that it could not appoint a wholetime secretary. Although the government has so far retained the previous provisions of section 383A by not enforcing the amended section, your Council has urged upon the government to prescribe the monetary ceiling of Rs. 25 lacs under the amended section as well, taking into account the availability of enough number of qualified company secretaries and the assurance given by the then Law Minister while piloting the Company Secretaries Act, 1980 to take all steps to professionalise corporate management and to even consider prescribing a lower ceiling of Rs. 10 lacs, if circumstances warranted it.

2.2 Companies (Amendment) Act, 1988

It is heartening to note that apart from the amendments made which are of significance to the profession, the Companies (Amendment) Act, 1988 has also incorporated a few recommendations made by the Institute in the past regarding simplification in the publication of annual report, issue of abridged prospectus to prospective investors and appointment of managerial personnel and payment of remuneration to them by companies without government approval subject to fulfilling of certain statutory guidelines by the companies.

2.3 Introduction of Hybrid Instrument

In response to a suggestion made at a meeting of the Capital Issues Advisory Committee, Shri R. Ramachandran, past President and a member of the Committee undertook a feasibility study for floating a new composite instrument containing one portion as interest bearing debentures and another portion as dividend paying equity. The Institute submitted a detailed feasibility report in May, 1987 after having a rewarding interaction with a few merchant bankers, stock exchange office bearers, stock brokers and senior company secretaries on the proposed hybrid instrument. The government has acknowledged the report and appreciated the efforts made in this direction by the Institute.

ORGANISATIONAL SET-UP

3 Council

3.1 Composition

There has been no change in the composition of the Council. All the elected and nominated members continue to hold office upto the date of this Report.

3.2 Meetings

The Council held six meetings during the year 1987-88.

4. President and Vice-President

At the 44th meeting of the Council held on 1 January, 1988, Shri R. Ramachandran relinquished the office of President and Shri B. S. Doraiswamy was unanimously elected as President for the year 1988. At the same meeting, Shri Shyamal Sen was also unanimously elected as Vice President for one year from 1-1-1988. The Council placed on record its

appreciation of the valuable contribution made by Shri R. Ramchandran as President of the Institute during the year 1987.

5. Committees

In accordance with the provisions contained in section 17 of the Act, the Council constituted three standing and five other Committees during the year. The composition of the various Committees is given in Appendix 'A' to the Report.

6. Regional Councils and Chapters

6.1 Regional Councils

The four Regional Councils duly constituted with effect from 1 January, 1986, for a period of three years, carried on their activities during the year. The gist of activities and financial positions as gathered from the annual reports of the four Regional Councils for the year 1987-88 are given in Appendix 'B' to the Report.

6.2 Chapters

The 32 Chapters constituted in accordance with regulation 143 of the Company Secretaries Regulations, 1982, under the jurisdiction of the four Regional Councils, continued local activities during the year for the education of students and professional development of members.

6.3 Meeting with the Office Bearers of Regional Councils and Chapters

Continuing the process of having regular interaction with the Regional Councils and Chapters, meetings of office bearers of the Council with the office bearers of Regional Councils and Chapters were held during the year under report in each region as well as the time of the 16th National Convention of the Institute held at Calcutta in the first week of February, 1988. In addition, a separate meeting of the President, Vice-President and the Secretary with the Chairman of four Regional Councils was held in January, 1988 to assess the existing activities and to introduce more activities during the year in all regions.

6.4 Presentation of Best Chapter Awards

At the inaugural session of the 16th National Convention held at Hotel Oberoi Grand, Calcutta on 4 February 1988, Shri Rajiv Kaul Managing Director, NICCO Limited and President, Indian Chamber of Commerce gave away the Best Chapter Awards for the year 1986-87 as under :

(i) Rotating Silver Shield and Commendation Certificate on being adjudged as the National Best Chapter of the Institute for 1986-87 and Commendation Certificate for being adjudged as Regional Best Chapter in the Western Region.	Ahmedabad Chapter
(ii) Commendation Certificate on being adjudged as the Regional Best Chapter in the Eastern Region	Ranchi Chapter
(iii) Commendation Certificate on being adjudged as the Regional Best Chapter in the Northern Region.	Kanpur Chapter
(iv) Commendation Certificate on being adjudged as the Regional Best Chapter in the Southern Region.	Bangalore Chapter

The Ahmedabad Chapter also became entitled to received the Modi Enterprises Annual Award of Rs. 25000 for the best Chapter of the Institute during the year 1986-87.

7. Amendments to the Company Secretaries Regulations, 1982

Taking into account the views expresed by the members before the last election and the experience gained by the Council in the conduct of the last two elections, certain amendments have been proposed to the Company Secretaries Regulations, 1982, mainly to change the system and procedure of election to the Council and the four Regional Councils, and incidentally to provide marginal changes in the examination requirements. The proposed changes to election regulations provide for election to the Council and the four Regional Councils in accordance with the proportional representation to each regional constituenry by means of single transferable vote with as many preferences as there are candidates for election, election of Council members for each regional constituency by members of that constituency only; voting in polling booths for a majority of members and limited canvassing to be allowed to a candidate to issue a circular to voters. These have since been approved by the government and have been brought into force with effect from 22 August, 1988 for conducting the next elections to the Council and the four Regional Councils under the amended regulations.

MEMBERSHIP FOR EMPLOYMENT AND/FOR PRACTICE

8 Membership

During the year, 444 persons were admitted as Associate Members and 101 Associates as Fellow Members. As on 31 March 1988, the Institute had on its Register of Members, 6335 persons comprising 4947 Associates and 1388 Fellows. The names of 88 members, comprising 7 Fellows and 81 Associates, were removed from the Register due to non-payment of annual fees, death or resignation. The Council regrets to report the death of 12 members during the year. 120 members were residing abroad as on 31 March, 1988. A Table on the growth of members during the last five years is given as Appendix 'C' to the Report.

9 Certificate of Practice

Certificate of Practice were issued during the year to 247 members and as at the end of the year. 1065 members were holding certificates of practice. The certificates of 61 members were cancelled due to non-payment of annual certificate of practice fee, death, surrender of certificate and ineligibility for renewal of certificate. A Table on the growth of members holding certificate of practice is given as Appendix 'D' to the Report. It is hoped that the

number of members in wholetime practice will increase considerably with the recognition of secretary in wholetime practice in the Companies (Amendment) Act, 1988.

10. List of Members

In pursuance of section 19(3) of the Company Secretaries Act, 1980, read with regulation 161, a supplementary list of members as on 1 April, 1987 was published for supply to members on request. A consolidated list of members as on 1 April, 1988 has since been published for providing to members and others.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND CONTINUING EDUCATION

11. Programmes

During the year under review, the Institute organised six professional orientation|development programmes for the benefit of members in service as well as in practice, as also for the benefit of Chief| Senior Executives of Central|State Government companies and other professionals. A list of programmes held is given as Appendix 'E' to the Report.

12. Code of Conduct and Professional Excellence

The Institute published for observance of members a code of conduct after holding the 4th National Convention in Bombay on the Code of Conduct for a Professional Manager. The code of conduct has since been enshrined in the schedules to the Company Secretaries Act, 1980. With the recognition of company secretary in practice in the Companies (Amendment) Act, 1988 and a greater role envisaged for him in company law, it has become increasingly important for the members of the Institute in employment and in practice to study the implications of the code and observe it in letter and in spirit.

Members should accordingly conduct themselves in a manner befitting their status and zealously guard the noble canons of ethics and etiquette and set their vision firmly on attaining professional excellence, without in any way allowing themselves to come for adverse notice by the government and the society in this context the institute is soon bringing out explanatory notes on various clauses covering code of conduct given in the first and second schedules in the Company Secretaries Act, 1980 for the general guidance of members both in employment and in practice. Where 'excellence is the watch word recognition and respect would automatically follow.

12.1 Computer Appreciation Programmes

During the year under review, some of the Regional Council and Chapters have organised|repeated computer appreciation courses for the benefit of members and students.

13. Publications

13.1 'Chartered Secretary'.

The journal being published for the 18th year consistently maintained its prestige and quality and its promptness in providing relevant government notifications as an effective medium of communication with members and company executives and in updating their professional knowledge. Four special issues were brought out during the year as indicated below :—

(a) Budget in April, 1987.

(b) Companies (Amendment) Bill, 1987 in November, 1987

(c) Capital Market in December, 1987; and

(d) Pollution Control in February, 1988.

Prize award for best articles in legal, finance and accountancy and management disciplines published in the XVI and XVII volumes of 'Chartered Secretary' were distributed at the 16th National Convention held on 4th February, 1988 at Calcutta by the Chief Guest, Shri Rajive Kaul, Managing Director, NICCO Limited and President Indian Chamber of Commerce.

13.2 Other publications

The Institute brought out during the year a publication, in commemoration of 40th Anniversary of India's Independence, on Company Secretary—His Status, Rights and Responsibilities—Part I" which was released by Shri Rajive Kaul at the 16th National Convention on 4th February, 1988. In addition, five publications are under various stages of finalisation for printing in the forthcoming year 1988-89 as under :—

(a) Guidance Note on Trade Marks Law

(b) Monograph on Trade Practices

(c) Company Law for Layman.

(d) Company Secretary—His Status, Rights and Responsibilities (Parts II and III), with a commentary on the Company Secretaries Act, 1980.

(e) Company Deposits (4th Edition)

14. Research Schemes

Out of various proposals for undertaking research assignments received by the institute from its members, the following publications and research study would be finalised in the forthcoming year 1988-89.

(a) Guidance Note on Annual Return.

(b) Private Limited Companies—Do's and Don'ts

(c) Industrial Sickness in Small Scale Sector.

14.1 Evolving of Guidelines for Standard Secretarial Practice

As recommended by the High Powered Committee on Stock Exchange Reforms, steps have been taken for preparation of guidelines for toning up the efficiency of Secretarial|share depeartments of companies. On the basis of a report submitted in this behalf by Shri B.S. Doraiswamy, the then Vice-President, steps are afoot to publish the salient features of the recommendations for toning up the efficiency

of secretarial|share departments in the form of an exposure draft in 'Chartered Secretary' for eliciting views of all concerned. It would be subsequently published as a standard secretarial practice to be followed by companies.

14.2 Evolving of Standard Check-list for Share transfers and Guidelines for Educating Investors, etc.

The Institute had also under consideration preparation of standard secretarial practice to be followed by members for speedy scrutiny and acceptance of share transfer forms of particularly small investors. Subsequently, the Working Group constituted for simplification of share transfer procedures under the chairmanship of Shri R. N. Bansal by the Ministry of Finance to which certain submissions were made by the Institute has also recommended to the Institute.

(a) to prepare a standard check-list for scrutinising share transfer documents for guidance of share departments of companies, members of stock exchanges, investors, etc. and

(b) to prepare guidelines for educating investors, companies, etc.

15. Promotion of Employment Opportunities

15.1 The Institute continued to take steps to publicise the role of the profession among several agencies and organisations requiring the services of company secretaries in various capacities. Letters were also sent to the Chief Secretaries of all States impressing upon them the need for and the utility of employing company secretaries in various government companies and also to consider the qualification for appointment to superior posts in the State Government and the State Bureaux of Public Enterprises.

15.2 The Institute continued following up the various representations made to the Department of Banking. Indian Banks Association, the Comptroller & Auditor-General of India and Insurance Corporations to further the intereats of members.

15.3 Important dailies are being scanned regularly and after analysis, letters are addressed to advertisers, wherever necessary, highlighting the role which a company secretary can play in regard to various posts requiring qulifications based on law, finance and management. At the suggestion of the Institute, some advertisers have included the membership of the Institute as an alternate qualification for posts in the allied fields of finance, law and management.

16. Recognition to the Profession

16.1 Practising Company Secretaries

Apart from the recognitions obtained in the Companies (Amendment) Act, 1988 to members in whole-time practice, the Institute continued its efforts to broadbase the areas of practice for company secretaries. A representation was made to the Board for Indusrial and Financial Reconstruction (BIFR). Ministry of Finance to recognise practising company secretaries for appearing before the Board as authorised representations. Further, representations already made to state financial institutions|corporations for providing search reports and certifying borrowing powers, etc. and to various government authorities like Central Board of Excise and Customs and banks for according, certain recognitions to practising company secretaries, are being followed up.

16.2 Recognitions were received from five State Financial and Industrial Development Corporations for issuing various certificates including search reports during the year under report.

16.3 The Department of Agriculture and Cooperations, Ministry of Agriculture has also recognised and provided for certification by a practising company secretary in respect of companies chartering foreign deepsea fishing vessels under the Revised Charter Policy, 1986.

16.4 The Canara Bank has recognised the profession of company secretaries also for extending financial assistance to professionals intending to start independent practice by helping them to furnish and equip their offices.

16.5 For Members in Service

The Goverument of Tamil Nadu has recognised the Institute's membership for the purposes of recruitment to Group A Services in the State in the Departments concerned with trade, commerce, finance commercial taxes and industry, where such specialised knowledge is called for.

16.6 List of Recognitions secured

The details of all the recognitions secured for a company secretary in practice as well as in employment upto the date of this report appears in Appendix 'F' to the Report.

17. Sixteenth National Convention

The Institute organised the 16th National Convention of Company Secretaries on the theme "Company Law—Emerging Trends" at Hotel Oberoi Grand, Calcutta from 4 to 6 February, 1988 in commemoration of the 40th Anniversary of India's Independence. The Convention attended by over 500 delegates was inaugurated by Shri Rajive Kaul, Managing Director, NICCO Limited, Calcutta and President, Indian Chamber of Commerce. The four technical sessions were chaired by Mr. Justice A. N. Ray, former Chief Justice of India, Dr. N.G. Chaudhury, Chairman and Managing Director, Tribeni Tissues Ltd. Shri V. Rajaraman, past President, the ICAI and Shri Ashok Chandra, IAS, Additional Secretary, Department of Company Affairs, Ministry of Industry. The sessions were addressed by eminent faculty including one from the U.K. and another from Japan.

REGISTRATION OF STUDENTS AND STUDENTS SERVICES

18. Registration of Students

During the year under report, 8319 students were registered by the Institute. The number of students whose registration was current at the end of the year

was 50519 including those whose registration was extended under regulation 21(3). A statement on the growth of registered students, candidates who have completed the Intermediate and Final examinations and the number of companies recognised for practical training is given in Appendix 'G' to the Report

19. Syllabus and Coahing

19.1 Implemenation of New Syllabus.

The new syllabus introduced in February, 1986, was fully implemented in 1987-88 and the course contents included therein have generally been welcomed as useful and of practical relevance to company secretaries.

19.2 Study Material for New Syllabus

As reported in the Annual Report for the year 1986-87, the study material for the remaining two papers of the Final course under the new syllabus was also completed during the year. The study material for three papers of the intermediate course was thoroughly revised and the work relating to the suggested answers was in progress. Revision of study material of other papers of the intermediate course under the new syllabus was also in progress.

19.3 Updating of Study Material for Old Syllabus.

Study material and suggested answers relating to old syllabus have also been updated incorporating the various amendments to law and procedure and relevant recent judicial pronouncements.

19.4 Publication of Guideline Answers

The guidelines answers for the June and December, 1987 examinations under the old syllabus as well as new syllabus were brought out within a time frame for the benefit of students.

19.5 Postal Tuition for Students

All the registered students during the year were enrolled for postal tuition. A total number of 11137 coaching completion certificates were issued during the year under report. Two more oral coaching centres at Coimbatore and Nagpur were recognised. In all, 20 oral coaching centres operated under the respective Regional Coucils and Chapers.

19.6 University Liaison

Concerted efforts were made to create general awareness about the company secretaryship course in the universities and affiliated colleges by meeting the Vice-Chancellors and Heads of Departments of some universities and colleges and by writing letters to all the universities to start a bachelor's degree in corporate secretaryship or an optional stream comprising three papers in the existing B. Com. degree course. The course contents relating to both the courses were designed by the Directorate of Studies and sent to the universities and affiliated colleges by meeting the rate secretaryship or an optional stream comprising the universities for adoption after necessary modification by the universities. Some of the universities have already started the course suggested by the Institute. The Regional Councils and Chapters have also constituted University Liaison Sub-committees at their end and efforts are being made to have the necessary interaction with the universities in the regions. Career exhibitions and talks on career counselling by the officials of the Institute and senior members of the profession were arranged in different universities and their affiliated colleges to apprise the students about the company secretaryship course. During the year under report, the immediate past President, Shri R. Ramachandran visited some universities in the Southern and Northern Regions.

19.7 Establishment of Oral Tuition Centres in collaboration with Universities.

Realising the importance of oral coaching, the Institute undertook a programme of establishing oral tuition centres in collaboration with the universities. The progress made in this regard is as under :

(a) Bhopal University has agreed to set up an oral tuition centre in collaboration with the Bhopal Chapter of the Institute.

(b) Assam Government has established Assam Institute of Management and Accountancy in collaboration with the North Eastern Chapter at Guwahati.

Efforts are being made to establish oral coaching centres in other backward areas also for the benefit of the students community.

19.8 'Student Company Secretary'

The timely publication and despatch of this monthly bulletin, introduced in January 1984, is benig maintained. Every effort has been made to improve the utility and contents of this bulletin from the students point of view. The bulletin, as a compendium on statutory changes as well as case laws, aims to provide the latest available information on the subject for assisting the students to continuously update their study material and knowledge on the subject.

19.9 Lectures on Audio|Video Tapes.

As reported in last Annual Report, the Training and Educational Facilities Committee has decided in principle to produce audio-tapes to supplement the educational kit of students and steps have been taken to produce one lecture on MRTP Act initially on experimental basis.

20 Post-Membership Examination

The Post-Membership Qcalification Syllabus Formulation Committee is continuing its detailed study of the course contents for introducing four streams of post-membership examination and its final recommendations are expected to be made available for consideration by the Council by the end of this year.

21 Examinations

During the year, the Institute conducted two examinations in June and December in 37 centres spread throughout the country and one centre abroad in Abu Dhabi. The Intermediate and Final examinations were concurrently held under old and new syllabi. In all, in June 1987 examination, 692 and 253 candidates and in December 1987 examination, 702 and 391 candidates completed the intermediate

and Final examinations respectively. A statement showing the number of candidates appeared and declared successful in the institute's June and December, 1987 examinations is given in Appendix 'H' to the Report.

22 All India Prize Awards

22.1 Sarvashri Arjunan from Southern Region and Bajranglal Bajaj from Northern Region bagged the President's Gold Medal in Final examinations held in June, 1987 and December, 1987 respectively. Shri Satyanarayan Ramamurthi from Eastern Region and Ms. Sharmila Shrikant Hardi from Western Region were the winners of President's Silver Medal in Intermediate examinations held in June and December, 1987 respectively.

22.2 The all India prize were distributed to the prize winners on 4 February, 1988 at Calcutta at the inaugural function of the 16th National Convention of Company Secretaries by the hands of the Chief Guest, Shri Rajive Kaul.

22.3 The regional prize awards instituted by the respective Regional Councils were presented to the students concerned at suitable functions organised by the respective regions.

23 Scholarships and Financial Assistance to Students

Under the existing Merit Scholarship Scheme, scholarships were awarded to 10 students each for exhibiting meritorious performance in the Institute's examinations held in June and December, 1987. Similarly, financial assistance under the merit-cum-means assistance scheme was granted to 5 and 1 candidates found eligible, for December, 1986 and June, 1987 examinations respectively

24 Merit Certificates

With a view to recognising merit and to encourage students to perform well in the examinations, merit certificates were awarded to students who secured first ten ranks in the Intermediate and Final examinations held under the old and new syllabi in June and December, 1987.

25 Progressive use of Hindi in the examinations

As mentioned in the last report, the Council, in the light of national policy to have progressive use of Hindi in all walks of life, has decided to introduce Hindi as an alternative medium for writing the Institute's examinations in a phased manner. Accordingly, as a progressive step in this direction, the Council in addition to allowing use of Hindi in Preliminary and Intermediate examinations (under old as well as new syllabi), introduced Hindi as an alternative medium for writing Final examination under old syllabus from December, 1987 examination session.

26 Examination Centre in Abu Dhabi

Taking into consideration the operational convenience and also requests received from overseas students, examination centre earlier opened in Dubai, on an experimental basis, was shifted to Abu Dhabi from June, 1987 examination session.

27 Management|Practical|Apprenticeship Training

27.1 Management|Practical Training Guidelines

The training guidelines formulated last year, prescribing inter-alia maintenance of a diary by the trainee, submission of a project report in each quarter and illustrative areas of training in each department of the training company as well as in specialised agencies like Registrar of Companies, Stock Exchanges and Financial Institutions have been updated. The copies of the guidelines have been sent to all existing companies which are imparting training to our students and also to many new companies which have been approached for extending facilities for imparting management training to our students.

27.2 Empanelment of companies|practising company secretaries for imparting maangement|practical| apprenticeship training

The position regarding empanelment as well as number of students sponsored for undergoing various training is given below :

	Number of companies		Number of students sponsored during the year ending	
	As on 31.3.1987	As on 31.3.1988	31.3.1987	31.3.1988
Management Training	120	262	16	74
Practical Training	580	661	326	432
Practising Company Secretaries	26	32	25	40

Efforts are being made on a continuous basis for increasing the number of companies agreeing to impart management training to our students. We have addressed over 700 companies including 227 public sector undertakings requesting them to impart management training to our students.

27.3 Secretarial Modular Training Programmes

Thirteen Secretarial Modular Training Programmes were held during the year 1987-88—two each were held by NIRC, SIRC & WIRC and one each by the Headquarters, EIRC and Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Jaipur and Kanpur Chapters.

27.4 Guidelines for the conduct of Secretarial Training Programmes

Exhaustive guidelines relating to frequency, number of participants, course material, methodology, fee, duration, programme coordinator, best participant award, training, completion certificate, arranging of inaugural|valedictory functions, evaluation report, checklist, role of Director of Training, etc. including model programme sheet were formulated and sent to the Regional Councils|Chapters for observance while conducting the training programmes.

27.5 Pamphlet entitled 'Seretarial Modular Training Programme'

To enable the participants to appreciate the background and objects of the secretarial training programme, a pamphlet entitled 'Secretarial Modular Training Programme' containing the broad objects, course coverage and methodology of the programme has been prepared and are supplied to the participants attending the training programme.

27.6 Teaching Aids

With a view to improving the effectiveness and efficiency of training and to secure more participation in the programme, stress is being laid on the use of audio|visual aids in lectures besides use of case studies, simulated exercises and role playing techniques.

28 Contribution to the Prime Minister's National Relief Fund towards Drought Relief

During the year the nation suffered a severe drought in several parts of the country. Sharing their anguish and difficulties, the Council made an appeal to the members, students and employees of the Institute to contribute their mite for the Prime Minister's National Relief Fund specifically for utilisation of the drought affected people in the country. The Institute made a total contribution of Rs. 16062 collected from members, students and the employees of the Institute as a taken of the feelings of the profession of company secretaries to the suffering of the drought affected countrymen.

29 Commemoration of 40th Year of India's Independence

At the instance of government, it was decided to celebrate the 40th year of India's Independence commencing from 15th August, 1987 and ending on 14th August, 1988. The Institute organised a National Seminar on 30 and 31 October, 1987 at New Delhi on the Companies (Amendment) Bill, 1987 and the 16th National Convention at Calcutta on the theme "Company Law—Emerging Trends" to coincide with the celebration of the 40th Year of India's Independence. Further, office premises which were in the process of acquisition were acquired and opened during the year in Ahmedabad, Bangalore, Dombivli and Hyderabad Chapters to coincide with this important event. Four more all India prize awards were announced during the year including two awards for best lady students in the Intermediate and Final examinations conducted by the Institute. At the National Convention held at Calcutta from 4 to 6 February, 1988, a publication of the Institute titled "Company Secretary—His Status, Rights and Responsibilities (Part I)" was released at the inaugural session on 4th February, 1988 to mark the event. It is also proposed to brng out a special issue to 'Chartered Secretary' in August, 1988 on the eve of the completion of 40th Year of India's Independence, which is scheduled to be released by the Chairperson of the Implementation Committee for Commemoration of 40th Anniversary of India's Independence.

ACCOUNTS AND AUDIT

30 Accounts, Reserve and Surplus

Pursuant to sub-section (5) of section 18 of the Act, the audited accounts for the year ended 31 March, 1988 have been published herewith.

30.1 Income & Expenditure Account

The Income & Expenditure account for the year under review shows an excess of expenditure over income to the tune of Rs. 371237 as against a surplus of Rs. 40965 in the previous year. The excess expenditure is mainly attributable to implementation of the 4th Pay Commission recommendations to the employees of the Institute and continuous increase in the cost of services rendered to the members due to alround inflation. There has however been no corresponding upward revision in the fees payable by the members. The Council has, therefore, proposed an increase in fees payable by members with effect from 1 April, 1988 and the matter has been referred to the government for approval. This apart the Council has also undertaken a thorough review to augment the income by increasing the paid subscribers and advertisements to the journal and sale of publications and to economise on the expenditure, without diluting the quality of services rendered to members and students.

30.2 Capitalisation of Fees

As per past practice, the entrance fees received from Associate and Fellow members which amounted to Rs. 153400 during the year, have been capitalised. The capital reserve as at the close of the year stood at Rs. 1848925.

30.3 Reserves and Surplus

A sum of Rs. 251076 on account of interest accrued on fixed deposits earmarked for Building Fund has been appropriated directly to the Building Reserve Account. The capital payments to the tune of Rs. 1407198 made during the year under review in connection with the acquisition of office premises for Ahmedabad, Banglore and Hyderabad Chapters and also the addition to the building of the Regional Office Madras have been transferred to General Reserve Account. The contributions to the cost of buildings|flats made by the Southern India Regional Council at Madras and by Baroda, Dombivli, Ahmendabad, Bengalore and Hyderabad Chapters in the past year as well as during the year under review have been transferred to the General Reserve Account. The total general reserve stood at Rs. 14273955 as on 31 March, 1988 against Rs. 11112417 as on 31 March, 1987.

30.4 Summary of Financial State of Affairs

A summary of the financial state of affairs is given in Appendix 'I' to the Report for information.

31 Additions to the Land and Buildings

31.1 Construction of NIRC Building

The Council has constituted a Building Committee for construction of a building for the office of the

NIRC on the plot allotted in the Prasad Nagar institutional Area in Karol Bagh, New Delhi, the foundation stone for which was laid during the year 1985-86. The Committee has since appointed the architects and submitted the building plans to the Delhi Development Authority for approval after getting the lease deed for the plot duly registered.

31.2 Office premises for Hyderabad Chapter

A building having an area of approximately 1624 sq. ft. in a plot measuring approximately 5400 sq. ft. at 6-3-609/5, Anandnagar Colony, Khairatabad, Hyderabad 500004 was purchased during the year 1987-88 at a total cost of Rs. 10.22 lacs for housing the office of Hyderabad Chapter.

31.3 Office premises for Bangalore Chapter

Office premises measuring 1600 sq. ft. and costing Rs. 8 lacs in 'Sheriff Chambers', 11, Cunningham Road, Banglore 560052 was purchased during the year 1987-88. The Chapter has taken steps to suitably furnish the office premises and to function from the new office soon.

31.4 Office premises for Ahmedabad Chapter

Office premises at a cost of Rs. 14.60 lacs measuring, 2350 sq. ft at S-2, 'B' Tower, Chimubhai Towers, Ashram Road, Ahmedabad 380009 was purchased during the year 1987-88 for the office of Ahmedabad Chapter.

32 Auditors

Pursuant to sub-section (1) of section 18 of the Act, the Council reappointed M/s. D. K. Sengupta & Co., Chartered Accountants, New Delhi, as Auditors to audit the accounts for the year ended 31 March, 1988. The report of the Auditors is published herewith, alongwith the statements of accounts.

CONCLUSION

33 Gratitude and Appreciation

The Council places on record its gratitude to the Ministers and Officers of the Central Government, particularly the Department of Company Affairs, for their continued guidance and support to the profession and the activities of the Institute during the year. The Regional Councils and Chapters provided adequate support to the Council in the development of the profession in their regions. The State Governments, the corporate sector in general and the various Chambers of Commerce in the country have shown favourable inclination to the requests of the Institute in the growth of the profession and opportunities to be given to the members. The Council also places on record its deep appreciation of the loyalty and devotion to duty exhibited by the officers and staff in implementing the decisions of the Council during the period under report.

For the Council of the Institute of Company Secretaries of India

New Delhi

20 September, 1988

B. S. DORAISWAMY, President

APPENDIX 'A'

STANDING AND NON STANDING COMMITTEES AND EDITORIAL ADVISORY BOARD FOR 1988

I. STANDING COMMITTEES

1. Executive Committee

Shri B. S. Doraiswamy, President	Chairman
Shri Shyamal Sen, Vice-President	Member
Shri. KM Majeta (Govt Nominee)	Member
Shri R.Krishnan	Member
Shri R. Ramachandran	Member

2. Examination Committee

Shri Shyamal Sen, Vice-President	Chairman
Shri D.C. Jain	Member
Shri Parmod S. Shah	Member

3. Disciplinary Committee

Shri B.S. Doraiswamy, President	Chairman
Shri V.K. Majestare (Govt. Nominee)	Member
Shri R.V. Nagrajan	Member

II NON STANDING COMMITTEES

1. Training & Educational Facilities Committee

Shri Shyamal Sen, Vice President	Chairman
Shri V.R. Agnihotri	Member
Shri B.P. Dhanuka	Member
Shri D.K. Prahlada Rao	Member
Prof. Prithpal Singh	Member
Shri S.K. Tuteja	Member

2. Professional Development Committee

Shri B.S. Doraiswamy President	Chairman
Shri V.R. Agnihotri	Member
Shri B.P. Dhanuka	Member
Shri G.B. Rao	Member
Shri C.R. Shah	Member
Shri Parmod S. Shah	Member
Shri B.P.R. Vithal	Member

3. Co-ordination, Committee

Shri B.S. Doraiswamy President	Chairman
Shri Shyamal Sen, Vice-President	Member
Shri R.V. Nagarajan	Member
Shri R. Ramachandran	Member
Shri Pramod S. Shah	Member

4. Legal Committee

Shri D.K. Prahlada Rao	Chairman
Shri B.P. Dhanuka	Member
Shri D.C. Jain	Member
Shri R. Krishnan	Member
Shri R.V. Nagrajan	Member
Shri C.R. Shah	Member

III. EDITORIAL ADVISORY BOARD

Shri C.R. Shah	Chairman
Shri D.C. Jain	Member
Shri G.B. Rao	Member
Shri S. Balasubramaniam	Member
Shri U.K. Chaudhary	Member
Shri Dilip Goswamy	Member
Shri N.S. Raghwan	Member
Shri T. P. Subbaraman	Editor & Convenor

APPENDIX 'B'

GIST OF ACTIVITIES OF THE REGIONAL COUNCILS AS PREPARED FROM THEIR ANNUAL REPORTS FOR THE YEAR 1987-88

Eastern India Regional Council

The Regional Council continued to lay emphasis on professional development activities and in improving facilities to its members and students. It organised fourteen meetings including eight lecture-meetings on professional topics, two get-together meetings each for members and students, one meeting with practising company secretaries and one regional students conference. The third Regional Students Conference on the theme, "Company Secretary and the Changing Enviornment" held on 29-30 August, 1987 was inaugurated by Mr. Justice B. P. Banerjee and the keynote address was delivered by Swami Lokeswarananda. The meetings held covered topics such as—Amendments to Industrial Law, Transfer and Transmission of Shares. Amendments to the Companies Act, Finance Bill and Certification of Annual Return. In addition, study circle meetings were often held to discuss professional issues. The Regional Council provided full support to the organisation of the 16th National Convention by the Council at Calcutta from 4-6 February, 1988 on the theme "Company Law—Emerging Trends". It was inaugurated by Mr. Rajive Kaul, President, Indian Chamber of Commerce on 4 February, 1988.

The Regional Council conducted one secretarial modular training programme and continued oral coaching classes for the students. Regional prizes were awarded to the meritorious students in the Institute's examinations. The Employment Service Scheme maintained for members and students forwarded panels of names of members and students to many companies as and when required. The library was strengthened further. The monthly news bulletin was regularly published. The Ranchi Chapter out of five Chapters in the Eastern Region was again adjudged as the Best Chapter for the year 1986-87. The Bhubaneswar Chapter organised a Company Law quiz programme among its other activities.

Northern India Regional Council

The Regional Council undertook several activities and programmes during the year. It held ten talks on topics of professional interest, two felicitation functions, a symposium on the Companies (Amendment) Bill 1987 and eight study circle meetings for the benefit of members. In additional, an annual bet-together meeting was also organised for members and students.

Two secretarial modular training programmes, two career guidance lectures-cum-exhibitions, one Company Law quiz programme, a general commercial knowledge test, a talk on Finance Bill and a picnic for students were the highlights of activities organised during the year for students. Better environment and library facilities were provided and the oral coaching classes under new and old syllabi attracted a large number of students. Employment Service Scheme maintained for forwarding panel of members and students were utilised by prospective employers.

In addition to these activities, the Company Secretaries Cooperative Group-Housing Society sponsored earlier by the Regional Council had completed the formalities and submitted the final list of members to the Registrar of Co-operative Societies for obtaining a suitable plot of land from the Delhi Development Authority. The monthly news letter was published regularly during the year. The Chapter under the jurisdiction of the Regional Council continued to report some activities. The Kanpur Chapter was again adjudged as the Best Chapter for the year 1986-87 in the Northern Region out of nine Chapters located in the region.

Southern India Regional Council

The Regional Council and its constituent Chapters organised several events during the year. The Regional Council itself conducted thirty programmes on topics of professional interest, apart from organising annual regional conference and a seminar on "Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985" in collaboration with the Madras Chambers of Commerce & Industry on 4 July, 1987. The Regional Conference on the theme "Corporate Profile for the Coming Decade" organised on 21-22 August, 1987 at Coimbatore was inaugurated by Shri G. K. Sundaram, Chairman & Managing Director, the Lakshmi Mills Ltd., Coimbatore and the symposium on "Directors Liabilities" organised on 13 February, 1988 was inaugurated by Shri Ashok Chandra, Additional Secretary, Department of Company Affairs, New Delhi. The Career Counselling Exhibition organised on 20-21 November, 1987 at D. G. Vaishnav College, Arumbakkam, Madras attracted a large number of college students. Two secretarial modular training programmes and oral coaching classes for the benefit of the students were conducted. The 7-day second Computer Appreciation Course was organised in collaboration with Modern Computer Aids during December, 1987. The lecture meetings, covered topics on Union Budget and Zero-based Budgeting, Financial and Time Management, Industrial Relations, Industrial Development including non-resident interest and public sector, Companies (Amendment) Act, 1988, Central Excise, Consumer Protection, Directors' Liabilities, Board Room Culture, Credit Rating, Public Issues, Patents & Designs, Managerial Appointments and Remuneration, etc. During the year 280 books were added to the library, with Shri Shanker Sundaram donating 118 books and Shri R. Ramachandran, immediate past President of the Institute and Smt. Malini Seshadri a lady member of the Institute donating Rs. 1001 and Rs. 300 respectively for purchase of books. The monthly newsletter was regularly brought out during the year. Under the Employment Service Scheme, forty requisitions from prospective employers were responded. Out of ten Chapters in the region, eight Chapters reported activities and the Bangalore Chapters once again bagged the Best Chapter Award in the Southern Region for the year 1986-87.

Western India Regional Council

The Regional Council and the Chapters under its jurisdiction had several programmes during the year. The Regional Council continued to have the highest number of members as well as members holding Certificate of Practice under its jurisdiction. During the year, it organised thirteen lecture meetings, fifteen group discussions/study-circle meetings, three half-days and two full-days workshops one seminar and one regional conference. The seminar on "Companies Amendment Bill, 1987" as introduced in the Parliament was held on 12 September, 1987. The Regional Conference held on 19 December, 1987 on the theme "Recent Legislation—Provisions and Implications" was inaugurated by Hon'ble Justice R. L. Aggarwal of the Bombay High Court. The workshops were held on "Direct Taxes (Amendment) Bill", "Company Law" and "Trade Marks Law". Felicitation meetings were also organised to honour the President and the incoming and outgoing Regional Directors of Company Law Board. A meeting of the Practising Company Secretaries of Western Region was organised on 15 February, 1988. Two secretarial modular training programmes for the final-passed students and regular oral coaching classes for the students in collaboration with Sydenham College of Commerce & Economics and N. M. College of Commerce were the other activities organised by the Regional Council. The regional prize awards were given to students exhibiting outstanding performance in the Institute's examinations. For the first time a directory of company secretaries in practice in the Western Region was published. The news bulletin FOCUS was continued carrying special article on subjects of relevance to the members. Employment Cell responded to about requisitions from employers. Further books were added to the library. Out of its eight Chapters, Ahmedabad, Pune and Baroda Chapters led others in the number of programmes. The Ahmedabad Chapter won the National Best Chapter Award of the Institute for the year 1986-87 as well. The Annual Rotating Shield was presented to the Chapter at the inaugural session of the 16th National Convention of the Institute at Calcutta on 4 February, 1988.

Financial Position and Number of Students and Members in the Regional Councils

The comparative financial position and the number of students and members in the four Regional Councils as reported at the close of the year on 31 March, 1988 were as under :

Item	Regional Council			
	ERC	NIRC	SIRC	WIRC
1	2	3	4	5
(a) Financial Position (In Rupees)				
Surplus for the year ended 31-3-1988	47,627	1,09,043	1,02,507	27,764
Reserves and Surplus as on 31-3-1988	2,92,550	7,39,529	5,68,414	4,68,093
(b) Number of Students and Members				
Students				
as on 31-3-1987	7228	13903	13804	12352
as on 31-3-1988	8728	14634	13860	13037
Members				
as on 31-3-1987	922	1358	1547	2113
as on 31-3-1988	981	1466	1625	2263

APPENDIX "C"

GROWTH OF MEMBERS

Year	Total number of			Annual Growth over previous year		Removal from Register			% of total No. of removals to total membership	No. of C.P. Holders	% of C.P. Holders to total membership
	Associate Members	Fellow Members	Total (2+3)	Absolute	%	Due to non-payment	Due to Death	Total (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. 1982-83	3563(80.10)	885(19.90)	4448(100)	353	8.62	48(81.35)	11(18.65)	59(100)	1.33	450	10.12
1983-84	3993(80.73)	953(19.27)	4946(100)	498	11.20	52(81.25)	12(18.75)	64(100)	1.29	556	11.24
1984-85	4264(81.19)	988(18.81)	5252(100)	306	6.19	83(88.29)	11(11.71)	94(100)	1.79	672	12.80
1985-86	4405(78.59)	1200(21.41)	5605(100)	353	6.72	98(92.45)	8.(7.55)	106(100)	1.89	749	13.36
1986-87	4648(78 25)	1292(21.75)	5940(100)	335	5.98	68(82.92)	14(17.08)	82(100)	1.38	879	14.80
1987-88	4947(78.09)	1388(21.91)	6335(100)	395	6.65	76(86.36)	12(13.64)	88(100)	1.39	1065	16.81
B. Absolute change (1982-83 to 1987-88)											
	1384(73.34)	503(26.66)	1887(100)	—	—	28	1	29	—	—	—
C. Percentage change (1982-83 to 1987-88)											
	38.84	56.83	42.42	—	—	58.33	9.09	49.15	—	—	—
D. Average Annual Growth Rate (%)											
	7.77	11.37	8.48	—	—	11.66	1.82	9.83	—	—	—
E. Compound Annual Growth rate (%)											
	6.8	9.41	7.4	—	—	9.6	1.75	8.3	—	—	—

Note : Figures in brackets are in percentage □C.P.—Certificate of Practice

APPENDIX 'D'

GRDWTH OF MEMBERS HOLDING CERTIFICATE OF PRACTICE

	Year	Issued during the year	Renewed during the yesr	Cancelled during the year	Net increase during the yesr	Total Number of Members holding Certificate of Practice as on 31st March
	1	2	3	4	5	6
A.	1982-83	90	360	34	56	450
	1983-84	136	420	30	106	556
	1984-85	160	512	44	116	672
	1985-86	145	604	68	77	749
	1986-87	185	694	55	130	879
	1987-88	247	818	61	186	1065
B.	Absolute change (1982-83 to 1987-88)		—	—	—	615
C.	Percentage Change (1982-83 to 1987-88)		—	—	—	136.66
D.	Average Annual Growth rate (%)		—	—	—	27.33
E.	Compound Annual Growth rate (%)		—	—	—	18.8

APPENDIX 'E'

LIST OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES ORGANISED DURING THE YEAR 1987—88

April 4—5, 1987	Joint Programme with the ICAI on "Corporate Finance and Law" at Jaipur
September 11—12, 1987	Joint Programme with the Bureau of Public Enterprises on "Legal Management in Government Companies at Delhi
October 30—31, 1987	National Seminar on" Companies (Amendment) Bill, 1987 at Delhi
November 19—20, 1987	ICSI—KSBPE Programme on "Dynamics of Board Management in Government Companies at Bangalore.
December 7—12, 1987 (6 Half-Day Programme)	Practical Educative Orientation Course on the "Provisions of the MRTP Act, relating to Restrictive and Unfair Trade Practices' organised in collaboration with the office of the Director General of Investigation and Registration, Department of Company Affairs at New Delhi.
March 28—April 5, 1988	Orientation Programme on "Central Excise—Law and Procedure" and "Compay Law Board (Bench) Rules, 1975".

APPENDIX 'F'

(Part I)

RECOGNITIONS SECURED FOR A COMPANY SECRETARY IN PRACTICE

(Upto 31 March, 1988)

Sl. No.	Statute/Authority	Purpose	When Obtained
1	2	3	4
1. STATUTES, RULES AND REGULATIONS			
1.	Wealth-tax Rules, 1957[1] (Rules 8A(7)]	Recognised for registering as a valuer of stocks, shares debentures, etc.	October 1974
2.	Company Law Board (Bench) Rules, 1975[1] (Rule 28)	To act as authorised representative before the Company Law Board Benches.	December 1975
3.	Income-tax Act, 1961[1] and Income-tax Rules, 1962[1] Section 288(2) and Rules 49 and 50]	To act as authorised representative before the Income-tax authorities[2]	July 1979
4.	Monoplies and Restrictive Trade Practices Commission Regulations, 1974[1] (Proviso to Regulation 65).	To act as authorised representative before the Monopolisies and Restrictive Trade Practices Commision.	May 1982
5.	(i) Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 (Guideline No. F.1/8/SE/82 dated 20-8-1982)	Certificate to the effect that allotment has been made by the company on the basis approved by the stock exchange.	August 1982
	(ii) Press Note No. 14(2)/SE-85 dated 15-10-1985	In respect of companies which raise capital under the Capital Issues (Control) Act, 1947/Capital Issues (Exemption) Order, 1969, a certificate to the effect that shares out of the promoters' quota have been stamped to the effect that such shares shall not be sold/transferred/hypothecated for a period of at least three years from the date of allotment of shares.	October 1985
	(iii) (a) The Ahmedabad Share and Stock Brokers Association, Ahmedabad	Inspection of books of accounts and other documents of member of stock exchange required by guideline.	March 1984
	(b) Uttar Pradesh Stock Exchange Association Ltd. Kanpur	F. No.. 1/4/SE/83 dated January 29, 1983.	April 1984

1. Secretary of a company can also undertake such assignment.

1	2	3	4
6.	Central Excises and Salt Act, 1944, and Central Excise Rules, 1944 (Section 35Q and Rule 232B)	To act as authorised representative before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal and other authorities.	October 1982
7.	Customs Act, 1962, and Customs (Appeals) Rules, 1982 (Section 146A and Rule 9)		
8.	Gold (Control) Act, 1968, and Gold (Control) Appeals Rules, 1982 (Section 101 A and Rule 9)		
9.	The Trade and Merchandise Marks Rules, 1959 (Rule 148)	Qualified to be registered as a trade marks agent	April 1985
10.	Import & Export Policy, 1988-91 (Volume 1)		
	(i) Para 213(1) of Policy and 340(1) of Procedures, Appendix XVIII A	(i) Certification of export performance required to be submitted by a registered exporter/export house to the Chief Controller of Imports & Exports for obtaining Export House/Trading house certificate.	April 1982
	(ii) Para 75(1) of Policy and Para 249(4) of Procedures	(ii) Certification regarding the eligible annual production required for obtaining import licence for the import of spares for aftersale services, by actual users (industrial).	April 1984
	(iii) Para 78(4) & (5) of Policy	(iii) Certification of particulars of the operating fleet, and all relevant documents required by (a) a person owning a fleet of at least 25 motor vehicles for importing restricted spares as well as by (b) State Transport undertaking for their additional requirements.	April 1984
	(iv) Para 51(2) of Policy	(iv) Certification of statement of consumption required by the eligible actual users to make direct imports to the extent of 25 per cent of the c.i.f value of their actual consumption of the items shifted from OGL to canalised list in this Policy or at any time subsequently.	April 1984
	(a) Para 157(2) of Policy	(v) Certification of the year-wise value of sales turnover of ammunition of the eligible licensed arms dealers required for the import of specified type of ammunition.	April 1984
	(vi) Para 105(1) of Policy	(vi) Certification regarding the purchase turnover of books of persons holding valid registration certificate under the concerned Shops and Establishments statute, for the import of books other than those covered by Open General Licence.	April 1984
	Handbook of Import-Export Procedures, 1988-91 (vii) Appendix V-A Part II	(vii) Consumption certificate required to be submitted for import of raw materials/components/consumbales and spares (other than Capital goods) by all actual users and public sector undertakings for initial/supplementary licences.	April 1985
	(viii) Appendix XV-H and para 340(1) of Procedures	(viii) Certification of export performance required to be submitted by export-oriented unit to the Export Commissioner for obtaining Export Performance Certificate.	April 1982
	(ix) Appendix XV-E	(ix) Certification of the statement of exports under equity participation required for claiming REP licence against the export of machinery and equipment against Indian equity participation in joint ventures abroad.	April 1985
	(x) Appendix XVIII-B	(x) Certification regarding realisation of net foreign exchange required by Export/Trading House for claiming additional licence.	April 1985

2. Under section 288(2)(v) of the Income-tax Act, those who have passed the accountancy examination recognised under Rule 50 of the Income-tax Rules only can act as authorised representative. Rule 50, inter alia, includes Govt. Diploma holder in Company Secretaryship (G.D.C.S.)/the Final examination of the Institute of Company Secretaries of India.

1	2	3	4
	(xi) Appendix V-A-Part I and Para 232(2) of Procedures	(xi) Certification of statement of requirement, consumption, stocks etc., for import of non-iron & steel items appearing in Appendices 2B and 3A and iron and steel items appearing in Appendices 2B and 3B of the Import and Export Policy, 1988-91.	May 1986
II.	INSTITUTIONS		
11.	All India Financial Institutions	Certification with regard to the following;	
	(i) Industrial Development Bank of India	(a) Necessary powers of a company and its directors to enter into an agreement.	
	(ii) Industrial Finance Corporation of India	(b) Borrowing limits of a company under section 293(1)(d) of the Companies Act, 1956, including details of share capital, authorised, issued, subscribed, and paid-up, and the actual borrowing.	July 1981
	(iii) Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.	(c) List of members of a company.	
	(iv) Unit Trust of India	(d) Certificate regarding exemption to proposed borrowing under the Capital Issue (Exemption) Order, 1969.	July 1983
	(v) Life Insurance Corporation of India		
	(vi) General Insurance Corporation of India	(e) Copies of resolutions passed at company meetings to be furnished to financial institutions	January 1986
	(vii) Industrial Reconstruction Bank of India	- do -(a) to (e)	
III.	HIGH COURT		
12.	Calcutta High Court (letter No. Cor. 424 dated 9-2-1983)	Introduction of panel of practising company secretaries for apopintment as receivers, arbitrators, trustees, and special officers.	February 1983
IV.	BANKS		
13.	Indian Banks' Association (Circular No. SO/69-73-III-C-82/9565 dated 15-4-1983 and Circular No. SO/69-73-C-88/4763 dated 16-6-1986)	Status/Search Reports for banks	April 1983
V.	STATE LEVEL AGENCIES		
14.	State Financial/Industrial Investment/Development Corporations.		
	(i) Assam Industrial Development Corporation Ltd., Guwahati	(a) Necessary powers of a company and its directors to enter into an agreement.	March 1982
		(b) Borrowing limits of a company under section 293 (1)(d) of the Companies Act, 1956, including details of share capital, authorised, issued, subscribed and paid-up, and the actual borrowing.	
	(ii) Himachal Pradesh Financial Corporation, Simla	—do—	July 1982
	(iii) West Bengal Financial Corporation[3], Calcutta	—do—	August 1982
	(iv) Maharasthra State Financial Corporation, Bombay.	—do—	April 1984
	(v) U.P. State Industrial Development Corporation Ltd., Kanpur.	—do—	December 1985
	(vi) Gujarat Industrial Investment Corporation Ltd., Ahmedabad	(a) Necessary powers of a company and its directors to enter into an agreement.	
		(b) Borrowing limits of a company under section 293(1)(d) of the Companies Act, 1958 including details of share capital, authorised, issued, subscribed and paid-up and the actual borrowing	October 1982 August 1986

3. In addition, certificate in respect of search reports from the records maintained by the office of the Registrar of Companies will be accepted.

1	2	3	4
		(c) List of members of a company. (d) Certificate regarding exemption to proposed borrowing under the Capital Issues (Exemption) Order, 1969 (e) Copies of resolutions passed at company meetings to be furnished to financial institutions	
	(vii) Nagaland Industrial Development Corporation Ltd., Dimapur.	—do—	September 1983
	(viii) Uttar Pradesh Financial Corporation, Kanpur	—do—	September 1983
	(ix) State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Ltd.,[3] Madras.	—do—	October 1983
	(x) The Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd.,[3] Madras.	—do—	November 1983
	(xi) Karnataka State Industrial Investment and Development Corporation Ltd., Bangalore	—do—	July 1982 February 1986
	(xii) The Pradeshiya Industrial and Investment Corporation of U.P. Ltd., Lucknow.	—do—	March 1986
	(xiii) Andhra Pradesh State Financial Corporation, Hyderabad.	—do—	June 1982 March 1986
	(xiv) The Punjab State Industrial Development Corporation Ltd., Chandigarh.	—do—	March 1986
	(xv) The State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra Ltd., Bombay	—do—	July 1982 March 1986
	(xvi) Haryana Financial Corporation, Chandigarh	—do	September 1982 April 1986
	(xvii) Punjab Financial Corporation, Chandigarh	—do—	May 1986
	(xviii) Andhra Pradesh Industrial Development Corporation Ltd., Hyderabad.	—do—	May 1982 June 1986 August 1986
	(xix) Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur[4]	—do—	September 1982 August 1986
	(xx) Industrial Promotion and Investment Corporation of Orissa Ltd.,[4] Bhubaneswar	—do—	
	(xxi) Gujarat State Financial Corporation,[4] Ahmedabad		April 1982 September 1986 March 1987
	(xxii) The Zoram Industrial Development Corporation Ltd.[4] Mizoram	—do—	
	(xxiii) Kerala State Industrial Development Corporation Limited[4] Tivandrum	—do—	August 1986 June 1987
	(xxiv) Rajasthan Financial Corporation,[4] Jaipur	—do—	September 1983 July 1987 July 1987
	(xxv) West Bengal Industrial Development Corporation Limited,[4] Calcutta.	—do—	January 1988
	(xxvi) Bihar State Financial Corporation,[4] Patna	—do—	July 1987
VI GOVERNMENT DEPARTMENT			
15. Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture		A practising Company Secretary who is not an employee of any company is recognised to issue a certificate about certain prescribed details of a company chartering foreign fishing vessels, according to the guidelines issued by the Department of Agriculture and Co-operation under their revised Charter Policy, 1986.	

3. In addition, certificate in respect of search reports from the records maintained by the office of the Registrar of Companies will be accepted.

4. Ibid.

APPENDIX 'F'

(Part II)

RECOGNITIONS SECURED FOR A COMPANY SECRETARY IN EMPLOYMENT

Sl. No.	Statute/Authority	Purpose	When Obtained
1	2	3	4
1.	Ministry of Education	Appointment to superior posts and services under the Central Government	Feburary 1968 December 1971 and July 1981
2.	Section 383A of the Companies Act, 1956	Companies having a paid-up share capital of Rs. 25 lakhs or more to employ a whole-time company secretary.	February 1975
3.	Section 2(45) of the Companies Act, 1956 and the Companies (Secretary's Qualifications) Rules, 1975	Definition of 'Secretary' was amended to provide for the qualification of the membership of the Institute and to provide that the duties to be performed by a secretary should include duties under the Companies Act and any other ministerial or administrative duties.	February 1975
4.	Government of Andhra Pradesh	For recruitment in public sector undertakings of the State to superior posts.	September 1981
5.	Central Government (Department of Company Affairs)	Essential qualification for recruitment to Grades I to IV in the Accounts Branch of the Central Company Law Service.	November 1982
6.	Indian Banks, Association	Appointment of company secretaries as specialists in the fields of finance, accounts, legal and merchant banking.	March 1983
7.	Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms	Empanelment of company secretaries for assignment of Indian experts to the developing countries of Asia, Africa and Latin America.	March 1984
8.	Government of Gujarat, General Administration, Department Circular No. RDD/1077-1120/K, dated 16-1-1978 and letter No. RDD-1081-1781-K dated 23-6-1981.	Degrees/Diplomas awarded by Universities or other educational institutes established by an Act of the Central or State Legislature or by an Act of Parliament automatically recognised for the purpose of recruitment to the posts and services under the State Government.	January 1978, June 1981
9.	Government of Tamil Nadu, Personnel and Administrative Reforms (Personnel R) Department, Order No. G.O. Ms. No. 148 dated 7-3-1988.	A.C.S. recognised as one of the qualifications for the purpose of Group 'A' appointments in the State Government Service in the departments concerned with Trade, Commerce, Finance, Commercial Taxes and Industry where such a specialist knowlegde is called for.	March 1988

APPENDIX 'G'

GROWTH OF STUDENTS

Statement showing Registered Students, Students who completed Intermediate & Final Examinations and number of Companies Imparting training from 1982-83 to 1987-88

	Year	Registered Students (current)	Candidates who completed		Number of companies recognised for practical training
			Inter	Final	
	1	2	3	4	5
A	1982-83	47687	1278	499	397
	1983-84	50097	1296	636	430
	1984-85	50010	1116	484	480
	1985-86	51670	1275	420	514
	1986-87	51020	1681	510	580
	1987-88	50519	1394	646	651
B	Absolute Charges (1982-83 to 1987-88)		2832		
C	Percentage change (1982-83 to 1987-88)		5.93		
D	Average Annual Growth Rate (%)		1.19		
E	Compound Annual Growth Rate (%)		1.00		

APPENDIX 'H'

TABLE GIVING NUMBER OF STUDENTS APPEARED AND PASSED IN JUNE AND DECEMBER, 1987 EXAMINATIONS

JUNE, 1987 SESSION

Examination		Appeared	Passed	Pass Percentage
1		2	3	4
Preliminary		54	4	74
Intermediate (Old Syllabus)*				
	Group-I	2881	632	21.93
	Group-II	2708	703	25.96
Intermediate (New Syllabus)**				
	Group-I	553	80	14.46
	Group-II	773	187	24.19
Final (Old Syllabus)***				
	Group-I	1134	339	29.89
	Group-II	1225	367	29.95
	Group-III	1398	244	17.45
Final (New Syllabus)£				
	Group-I	26	8	30.77
	Group-II	17	4	23.53
	Group-III	23	5	21.74

* 1007 candidates appeared for both groups out of whom 112 candidates passed both groups (11.12%)

** 102 candidates appeared for both groups out of whom 24 candidates passed both groups (23.52%).

*** 146 candidates appeared for all the three groups out of whom 12 candidates passed all the three groups (8.21%).

£ 7 Candidates appeared for all the three groups out of whom 2 candidates passed all the three groups (28.57%).

DECEMBER 1987 SESSION

Examination		Appeared	Passed	Pass percentage
1		2	3	4
Preliminary		70	9	12.86
Intermediate (Old Syllabus)*				
	Group-I	2439	548	22.47
	Group-II	2360	614	26.02
Intermediate (New Syllabus)**				
	Group-I	905	125	13.81
	Group-II	1224	303	24.75
Final (Old Syllabus)***				
	Group-I	1270	691	54.41
	Group-II	1361	418	30.71
	Group-III	1580	448	28.35
Final (New Syllabus)£				
	Group-I	62	20	32.26
	Group-II	27	9	33.33
	Group-III	42	11	26.19

* 864 candidates appeared for both groups out of whom 120 candidates passed both groups (13.89%).

** 730 candidtes appeared for both groups out of whom 37 candidates passed both groups (16.09%)

*** 179 candidates appeared for all the three groups out of whom 37 candidates passed all the three groups (20.67%)

£ 6 candidtes appeared for all the three groups out of whom 3 candidates passed all the three groups (50.00%).

APPENDIX 'I'

STATISTICS AT A GLANCE

(FINANCIAL STATE OF AFFAIRS)

	As on 31-3-1988	As on 31-3-1987
	Rs.	Rs.
LIABILITIES		
1. Total Reserves	1 83 81 120	1 64 66 338
2. Current Liabilities and Provisions	83-64 471	77 90 171
Total	2 67 45 591	2 42 56 509
ASSETS		
1. Fixed Assets	1 05 29 601	73 48 531
2. Current Assets		
(a) Sundry Debtors	2 00 407	1 97 352
(b) Cash Bank Balances and Investments	1 18 14 039	1 28 54 558
(c) Stocks in hand	21 58 606	22 07 497
(d) Deferred Revenue Expenditure (to the extent not writen off)	1 43 386	2 61 772
3. Loans and Advances	18 99 552	13 86 793
Total	2 67 45 591	2 42 56 509

D.K. SENGUPTA & CO.
Chartered Accountants

P-22, South Extension Part II
New Delhi-110049

14th July, 1988

AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of the Institute of Company Secretaries of India as at 31st March, 1988 and the Income & Expenditure Account annexed thereto for the year ended on that date and report as under :—

1. In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the accounts give a true and fair view—
   (a) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Institute as at 31st March, 1988; and
   (b) in the case of Income & Expenditure Account, of the deficit for the year ended on that date.
2. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
3. In our opinion, proper books of accounts and records have been kept by the Institute so far it appears from our examination of these books.
4. The Balance Sheet and the Income & Expenditure Account under report are in agreement with the books of accounts and records maintained.

For D.K. SENGUPTA & CO.
Chartered Accountants

(D. K. SENGUPTA)

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 1988

	Schedule	1987-88 Rs.	1987-88 Rs.	1986-87 Rs.	1986-87 Rs.
SOUCRES OF FUND					
Capital Reserve	1		1848925		1695525
General Reserve	2		14273955		11112417
Building Reserve	3		2258240		3658396
Total			18381120		16466338
APPLICATION OF FUND					
Fixed Assets (Written Down Value)	4		10529601		7348531
Current Assets	5	14316438		15512179	
Less : Current Liabilities and Provisions	6	8364471		7790171	
			5951967		7731008
Loans and Advances	7		1899552		1386799
Total			18381120		16466338

As per our report of even date on the Balance Sheet

For D.K. SENGUPTA & CO.
Chartered Accountants

(D.K. SENGUPTA)

New Delhi
July 14, 1988

T.P. SUBBARAMAN
Secretary & Executive Director

SHYAMAL SEN
Vice-President

B.S. DORAISWAMY
President

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1988

Income	Schedule	1987-88 Rs.	1986-87 Rs.
By Fees & Subscriptions from Members and Students	8	12203733	10056235
,, Subscriptions, Allocations and Advertisements for Chartered Secretary Journal and Student Company Secretary Bulletin		1600166	1436917
,, Receipts from Convention and Professional Development Programmes in excess of direct expenses	9	167816	82481
,, Other Income	10	1955527	2100197
,, Excess of Expenditure over Income carried over to Balance Sheet		371237	—
	Total	16303479	13675830
EXPENDITURE			
To Payments to Employees	11	6379881	5453741
,, Postal Coaching (direct cost)	12	2489766	2127413
,, Research and Professional Development		8714	8091
,, Professional Training		49632	25250
,, Printing of Publications and Office Stationery	13	721970	799461
,, Printing of Chartered Secretary Journal and Student Company Secretary Bulletin	14	1564852	1230731
,, Travelling and Conveyance	15	568571	453537
,, Postage, Telegrams, Telephones and Telex	16	1055645	686692
,, Examinations		1146536	873216
,, Rent Rates and Taxes		240086	204085
,, Other Expenses	17	614944	558917
,, Professional Services	18	202233	158350
,, Grant to Regional Councils/Chapters		595759	483047
,, Regional Office Expenses	19	199480	178766
,, Depreciation on Fixed Assets	4	416529	346217
,, Student Scholarships and Awards	20	48719	47351
,, Loss on sale/disposal/write-off of old Fixed Assets		162	—
,, Excess of income over Expenditure carried over to Balance Sheet		—	40965
	Total	16303479	13675830

As per our report of even date
on the Balance Sheet

For D.K. SENGUPTA & CO.
Chartered Accountants

(D.K. SENGUPTA)

New Delhi
July 14, 1988

T.P. SUBBARAMAN
Secretary & Executive Director

SHYAMAL SEN
Vice President

B.S. DORAISWAMY
President

SCHEDULE—1

CAPITAL RESERVE

		1987-88	1986-87
		Rs.	Rs.
As per last Balance Sheet		1695525	1562425
Add : Fees capitalised—			
Associate Entrance Fees		133200	112500
Fellow Entrance Fees		20200	20600
	Total	1848925	1695525

SCHEDULE—2

GENERAL RESERVE

		1987-88	1986-87
		Rs.	Rs.
As per last Balance Sheet		11112417	10853523
Add : Transfer from Building Reserve		3532775	217929
		14645192	11071452
Less (Add) : Deficit (Surplus) as per Income & Expenditure Account		371237	40965
	Total	14273955	11112417

SCHEDULE—3

BUILDING RESERVE

	1987-88	1986-87
	Rs.	Rs.
As on 1-4-1987 in earmarked fixed deposits	3658396	3248297
Add : (i) Interest earmarked fixed deposits	251076	383994
(ii) Contributions by—		
SIRC in the cost of land/building for Regional Office, Madras	—	37454
Baroda and Dombivli Chapters in the cost of buildings for these Chapter Offices	—	206580
Ahmedabad, Bangalore and Hyderabad Chapters in the cost of building for these Chapter offices	1881543	—
	5791015	3876325
Less : Transfer to General Reserve—		
(i) Contributions by the SIRC in the cost of land/building for Regional Office, Madras and by Baroda, Dombivli, Ahmedabad, Bangalore & Hyderabad Chapters in the cost of building for these Chapter offices (Rs. 37454+Rs. 206580+Rs. 1881543)	2125577	—
(ii) Part of the cost of buildings for Ahmedabad, Bangalore & Hyderabad Chapters and full cost of addition to the building of Regional Office, Madras, borne by the Institute	1407198	217929
Total	2258240	3658396

SCHEDULE OF ASSETS ANNEXED TO AND FORMING PART

S. No	Description	Rate of depreciation	Gross Block			
			Cost as on 1-4-1987	Addition during the year	Sale/ adjustment during the year	Total cost as on 31-3-1988
		%	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Land	—				
	Central Office	—	58756	—	—	58756
	R.O. Delhi	—	233393	—	—	233393
	R.O. Madras	—	1200000	—	—	1200000
	Hyderabad Chapter	—	—	600000	—	600000
2.	Building					
	ICSI House	2 ½	3591975	9000	—	3600975
	R.O. Bombay	2 ½	258086	—	—	258086
	R.O. Delhi (to be constructed)	—	53605	36520	—	90125
	R.O. Madras	2 ½	755947	7198	—	763145
	Ahmedabad Chapter	2 ½	—	1459455	—	1459455
	Bangalore Chapter	2 ½	—	800000	—	800000
	Baroda Chapter	2 ½	234355	—	—	234355
	Dombivli Chapter	2 ½	152700	—	—	152700
	Hyderabad	2 ½	—	422088	—	422088
3.	Fans	10	62697	330	—	63027
4.	Furniture and Fixtures	10	971902	51831	1090	1022643
5.	Time Recorder, Tell-Tale and Wall Clocks	10	6779	165	112	6832
6.	Adding and Calculating Machines	15	23902	660	291	24271
7.	Air Conditioning and Room Coolers	15	108706	—	6672	102034
8.	Air Conditioning and Air Cooling Equipments	15	545000	—	—	545000
9.	Automatic Emergency Lights	15	5083	—	—	5083
10.	Bradma Machines	15	96537	—	—	96537
11.	Camera	15	974	—	—	974
12.	Duplicators	15	38392	18547	—	56939
13.	Electronic Auto-Dialler	15	—	3696	—	3696
14.	Franking Machines	15	20299	31860	—	52159
15.	Hand Driers	15	2995	—	—	2995
16.	Heat Convertors	15	468	—	—	468
17.	Intercom Apparatus	15	44317	1300	—	45617
18.	Lawn Mower	15	653	—	—	653
19.	Memo Dialler	15	3850	—	—	3850
20.	Pantry Equipments and Appliance	15	10869	1113	—	11982
21.	Paper Shredding Machine	15	—	7750	—	7750
22.	Photostat Machines	15	104066	—	—	104066
23.	STD Disconnector	15	1100	—	—	1100

SCHEDULE—4

OF THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 1988

DESCRIPTION				WRITTEN DOWN VALUE	
Prior to 1-4-1987	For the year	Adjustment during the year	Total	As on 31-3-1988	As on 31-3-1987
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
8	9	10	11	12	13
—	—	—	—	58756	58756
—	—	—	—	233393	2333393
—	—	—	—	200000	1200000
—	—	—	—	00000	—
499652	77533	—	577185	023790	3092323
62712	4884	—	67596	190490	195374
—	—	—	—	90125	53605
35499	18191	—	53690	709455	720448
—	36486	—	36486	122969	—
—	20000	—	20000	780000	—
5859	5712	—	11571	22784	228496
3817	3722	—	7539	45161	148983
—	10552	—	10552	411536	—
29012	3401	—	32413	30614	33685
441453	58197	781	498869	523774	530449
2759	415	78	3096	3736	4020
15880	1278	129	17029	7242	8022
54912	7986	6117	56781	45253	53794
334469	31580	—	366049	17895	21053
2647	365	—	3012	2017	24364
66571	4495	—	71066	25471	29966
146	124	—	270	704	828
21733	5281	—	27014	29925	16659
—	555	—	555	3141	—
15548	5492	—	21040	31119	4751
1156	276	—	1432	1563	1839
130	51	—	181	287	338
26674	2842	—	29516	16101	17643
252	60	—	312	341	401
1486	355	—	1841	2009	23647
5562	963	—	6525	5457	5307
—	1163	—	1163	6587	—
50281	8068	—	58349	45717	53785
165	140	—	305	795	

1	2	3	4	5	6	7
24.	Tape Recorders	15	3358	—	—	3358
25.	Transformer and Voltage Stabilizers	15	21522	—	—	21522
26.	TV (Colour)/V CR and Trolley	15	25190	—	—	25190
27.	Typewriters	15	206943	54160	2611	258492
28.	Vacuum Cleaner	15	3300	—	—	3300
29.	Water Coolers and Filters	15	70256	300	3300	67256
30.	Water Meter	15	233	—	—	233
31.	Weighing Counters	15	12033	6976	—	19009
32.	Bicycles	20	1782	505	—	2287
33.	Library Books	20	545283	85887	—	631170
34.	Motor Car	20	100765	—	—	100765
35.	Cycle/ Scooter Shed	33⅓	19993	—	—	1993
	Total		9598064	3599341	14076	13183329
	Previous Year's Figures		8814464	858150	74550	9598064

8	9	10	11	12	13
1646	257	—	1903	1455	1712
10316	1681	—	11997	9525	11206
3779	3212	—	6991	18199	21411
123495	20576	2173	141898	116594	83448
1274	303	—	1577	1723	2026
30598	5958	3056	33500	33756	39658
145	13	—	158	75	88
5995	1952	—	7947	11062	6038
1140	229	—	1369	918	642
355258	55182	—	410440	220730	190025
20153	16122	—	36275	64490	80612
17359	877	—	18236	1757	2634
2249533	416529	12334	2653728	10529601	7348531
1947330	346217	44014	2249533	7348531	6867134

SCHEDULE—5

CURRENT ASSETS

	1987-88 Rs.	1986-87 Rs.
Part I : Sundry Debtors (unsecured)		
(a) Considered good		
More than six months old	—	—
Others	200407	197352
(b) Considered doubtful		
More than six months old	850	1425
	201257	198777
Less : Reserve for Bad & Doubtful Debts	850	1425
Total (Part I)	200407	197352
Part II : Cash, Bank Balance and Investments		
(a) Cash and cheques/drafts in hand	4887	8867
(b) Postage stamps in hand and value of balance units in franking machines	59729	16436
(c) With banks in savings bank accounts :		
Canara Bank, Green Park Extension, New Delhi	474134	443336
Indian Overseas Bank, Golf Links, New Delhi	1801	3701
Indian Bank, Defence Colony, New Delhi	34563	45745
(d) With banks in fixed deposits :		
Canara Bank, Green Park Extension, New Delhi	2900000*	400000
Indian Overseas Bank, Golf Links, New Delhi	—	200000
Indian Bank, Defence Colony, New Delhi	100000	4000000
(e) Investment in Bonds :		
National Thermal Power Corpn. Ltd.	4000000**	4000000
Indian Petrochemicals Corpn. Ltd.	1000000	1000000
Mahanagar Telephone Nigam Ltd.	200000	200000
(f) Investment of deposits for institution of prize awards in Canara Bank, National Thermal Power Corpn. Ltd., National Hydro-Power Corpn. Ltd. and Hindustan Photo Films Mfg. Co. Ltd.	60000	20000
(g) Interest accrued	2978925	2516474
Total (Part II)	11814039	12854558

*Includes deposit of Rs. 2258240 earmarked against Building Reserve

**Includes investment earmarked against Provision for Gradtuity Payable and Provision for Employees Pension to the tune of Rs. 1109399 and Rs. 932000 respectively.

Part III : Stock of Publications, Stationery, Paper, Chartered Secretary journal/Student Company Secretary Bulletin, Coaching Material and Neck Ties in hand as on 31-3-1988		
(a) Publications	327389	341549
(b) Stationery	64112	64543
(c) Printing Paper	233277	125279
(d) Journal/Student Bulletin	51956	62925
(e) Study material and Plastic Folders	1472746	1605167
(f) Neck Ties	9126	8034
Total (Part III)	2158606	2207497
Part IV : Deferred Revenue Expenditure		
(to the extent not written off) :		
(a) Value of stock of publications and coaching material written off for absorption in the next year	93386	186772
(b) Expenditure on repairs of the ground floor of Headquarters building for absorption in next two years	50000	75000
Total (Part IV)	143386	261772
Grand Total (Parts I+II+III+IV)	14316438	15521179

SCHEDULE—6

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

	1987-88	1986-87
	Rs.	Rs.
Part I : Current Liabilities		
(a) Student Registration Fee for unexpired sevices	4074262	3914337
(b) Receipts from Members in advance	53635	106461
(c) Receipts from Souvenir Advertisements in advance (refundable)	1000	836978
(d) Expenses Payable	936556	83690
(e) Audit Fee Payable	2000	2500
(f) Donation Payable to Company Secretaries/ICSI Employees Benevolent Funds	30185	29312
(g) Due to Regional Councils/Chapters	299562	210587
(h) Delegate Fee (adjustable)	14824	15824
(i) Sundry Receipts for payment	1047	587
(j) Earnest/Retention Money	19442	10767
(k) Deposit for Prize Awards to Students (non-refundable)	60000	20000
(l) Library Security Deposit	25	110540
(m) Lumpsum Deposit for Publications	5319	4079
(n) Delegate Fee received in advance	17420	3300
(o) Hotel Booking Deposit (refudable)	720	
Total (Part I)	5515997	5265272
Part II : Provisions		
(a) Provision for Water, Electricity, Telephone, Convention and Contingencies	807075	914412
(b) Provision for Building (Headquarters)		5000
(c) Gratuity Payable	1109399	864487
(d) Employees Pension Payable	932000	741000
Total (Part II)	2848474	2524899
Grand Total (Parts I+II)	8364471	7790171

SCHEDULE—7

LOANS AND ADVANCES (UNSECURED AND CONSIDERED GOOD)

	1987-88 Rs.	1986-87 Rs.
(a) Loans and Advances		
Employees	168655	217[illegible]
Examination Centres	2000	9300
Convention/Programmes	6099	1741
Printers/Suppliers (on account)	—	1700
Purchase of Building for Regional Councils/Chapter Offices		
—advance	—	400000
—Loan	1540477	590052
(b) Prepaid Expenses		
Insurance Premium	10573	11309
Rent, Rates and Taxes	5940	1080
Repairs and Renewals	35027	25116
Staff Welfare (Personal Accident Insurance)	8399	7406
Telephones and Telex	4731	3760
Regional Offices	3000	3260
Programme Expenses	6940	—
(c) Sundry Deposits		
Landlords of Regional Office premises	9185	15935
Municipal Taxes & Maintenance (R.O. Bombay)	10440	10440
Delhi Electric Supply Undertaking	28500	28500
M/s. Pure Drinks	126	126
LPG Cylinder/Regulator	530	530
Security Deposit with Post Offices	12000	12000
Deposit for Telephone and Telex	10500	10500
Universities (for prize awards)	35320	35320
Electricity Deposit for R.O. Madras	1110	—
Total	1899552	1386799

SCHEDULE—8

FEES & SUBSCRIPTIONS FROM MEMBERS AND STUDENTS

	1987-88		1986-87	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Part I : From Members				
(a) Fellow Annual Fees		329220		325590
(b) Fellow Entrance Fees	20200		20600	
Less : 100% transferred to Capital Reserve	20200	—	20600	—
(c) Associate Annual Fees		428580		420140
(d) Associate Entrance Fees	133200		112500	
Less : 100% transferred to Capital Reserve	133200	—	112500	—
(e) Membership Restoration Fees		6135		6350
(f) Certificate of Practice Annual Fees		75900		70088
(g) List of Members		1915		2257
Total (Part I)		841750		822425
Part II : From Students				
(a) Change of Examination Centre Fees		2235		1900
(b) Exemption from Preliminary/Intermediate/Final Examination Fees		440240		394524
(c) Final Examination Fees		1271985		890767
(d) Intermediate Examination Fees		1855348		1438367
(e) Preliminary Examination Fees		18173		18057
(f) Registration Fees		1519924		1122036
(g) Relaxation Fees		—		480
(h) Verification of Marks Fees		13314		15901
(i) Annual Fees		45301		154469
(j) Postal Tuition Fees		6124077		5075282
(k) Late Fees		51966		95096
(l) Licentiate Fees		23670		17311
(m) Apprenticeship Training Fees		750		450
(n) Library Membership Fees		—		9170
Total (Part II)		11366983		9233810
Grand Total (Parts I+III)		12208733		10056235

SCHEDULE—9

INCOME FROM CONVENTION AND OTHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES

	1987-88		1986-87	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Delegate Fees and Other Receipts				
Delegate Fee				
Convention	447700		491750	
Programmes for Top Executives of Public Sector Undertakings	6671		51583	
Joint Professional Programmes	74541		85265	
Seminar	52500		—	
Contribution				
Convention	200840		38190	
Advertisements to Souvenir				
Convention	102500		66636	
Others				
Income from past Conventions	27219	911971	—	733426
Less : Direct Expenses				
Convention	629634		513096	
Programmes for Top Executives of Public Sector Undertakings	6481		49562	
Joint Professional Programmes	38202		76283	
Seminar	46348		—	
Past Conventions	3490	724155	2004	630945
		187816		102481
Less : Allocation for donation to Company Secretaries Benevolent Fund and ICSI Employees Benevolent Fund		20000		20000
Balance as shown in the Income & Expenditure Account		167816		82481

SCHEDULE—10

OTHER INCOME

	1987-88 Rs.	1986-87 Rs.
(a) Sale of Publications	683728	828049
(b) Interest on Bank Balances and from investments	1172804	1238810
(c) Interest on Staff Advances	5653	1727
(d) Rent from Regional Council/Office Building, Madras	84384	—
(e) Miscellaneous Income	4654	14113
(f) Surplus on sale/disposal/write-off of old Fixed Assets	4054	13478
(g) Donation for Office Buildings	250	4020
Total	1955527	2100197

SCHEDULE—11

PAYMENTS TO EMPLOYEES

	1987-88 Rs.	1986-87 Rs.
(a) Salaries and Allowances	5202211	4476204
(b) Staff Welfare	402829	344781
(c) Employer's Contribution to Provident Fund	321357	309538
(d) Provision for Gratuity	262484	175218
(e) Provision for Employees Pension	191000	148000
Total	6379881	5453741

SCHEDULE—12

POSTAL COACHING EXPENSES

	1987-88		1986-87	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(a) Opening Stock as on 1-4-1987				
Study Material	1458837		1319305	
Paper	51566		110472	
Plastic Folders	146330	1656733	263083	1692680
(b) Add : Expenditure incurred during the year on study material, plastic folders and others		2302042		2125100
		3958775		3817960
(c) Less : Closing Stock as on 31-3-1988				
Study Material	1336366		1458837	
Paper	13170		51566	
Plastic Folders	136380	1485916	146330	1656733
		2472859		2161227
(d) Add : 50% of value of written-off stock brought forward for absorption during the year		16907		—
(e) Deduct : Value of written-off stock carried forward for absorption in next two years		—		33814
Postal Coaching Expenses		2489766		2127413

SCHEDULE—13

PRINTING OF PUBLICATIONS AND OFFICE STATIONERY

	1987-88		1986-87	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(a) Opening Stock as on 1-4-1987				
Publications	341549		479296	
Stationery	64543		76688	
Paper	22494	428586	50052	606036
(b) Add : Consolidated expenditure incurred during the year on paper, printing of publications and office stationery		663312		713933
		1091898		1319969
(c) Less : Closing Stock as on 31-3-1988				
Publications	327389		341549	
Stationery	64112		64543	
Paper	24388	415899	22494	428586
		676009		891383
(d) Add : 50% of value of written-off stock brought forward for absorption during the year		45961		—
(e) Deduct : Value of written-off stock carried forward for absorption in next two years		—		91922
Printing of Publications and other Stationery Expenses		721970		799461

SCHEDULE—14

PRINTING OF CHARTERED SECRETARY JOURNAL AND STUDENT COMPANY SECRETARY BULLETIN

	1987-88		1986-87	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(a) Opening Stock as on 1-4-1987				
Journal/Student Company Secretary Bulletin	62925		164944	
Paper	51219	114144	52213	217157
(b) Add : Expenditure incurred on paper and printing of Journal/Student Company Secretary Bulletin		1667865		1188754
		1782009		1405911
(c) Less : Closing Stock as on 31-3-1988				
Journal/Student Company Secretary Bulletin	51956		62925	
Paper	195719	247675	51219	114144
		1534334		1291767
(d) Add : 50% of value of written-off stock brought forward for absorption during the year		30518		—
(e) Deduct : Value of written-off stock carried over for absorption in next two years		—		61036
Direct expenses on printing of Journal/Student Company Secretary Bulletin		1564852		1230731

SCHEDULE—15

TRAVELLING AND CONVEYANCE

	1987-88 Rs.	1986-87 Rs.
(a) Travelling by Council Members	360411	303433
b) Travelling by others	108343	45621
(c) Conveyance	99817	104483
Total	568571	453537

SCHEDULE—16

POSTAGE , TELEGRAMS, TELEPHONES AND TELEX

	1987-88 Rs.	1986-87 Rs.
(a) Postage and Telegrams	863090	585466
(b) Telephone, Telex and Intercom Expenses	192555	101226
Total	1055645	686692

SCHEDULE -17

OTHER EXPENSES

	1987-88 Rs.	1986-87 Rs.
(a) Newspapers and Periodicals	5247	4531
(b) Advertisement and Publicity	15268	15669
(c) Meeting and Promotional Expenses	35016	31553
(d) Repairs and Renewals	87787	95390
(e) Electricity	150752	145585
(f) Legal	39782	42732
(g) Packing, Cartage and Freight	97960	74658
(h) Audit Fee	9000	9000
(i) Fire, Accident and Fidelity Insurance Premium	11080	12259
(j) Motor Car Expenses	29894	28216
(k) Office Upkeep and Maintenance	27325	19418
(l) Building Repairs and Maintenance	70441	40723
(m) Hindi Promotional Expenses	1303	1028
(n) Office Miscellaneous	15917	21404
(o) Bank charges	18072	16751
Total	614944	558917

SCHEDULE—18

PROFESSIONAL SERVICES

	1987-88 Rs.	1986-87 Rs.
(a) Charges for Computerisation Services	187248	156831
(b) Others	14985	1519
Total	202233	158350

SCHEDULE—19

REGIONAL OFFICE EXPENSES

	1987-88					1986-87
	Bombay Rs.	Calcutta Rs.	Delhi Rs.	Madras Rs.	Total Rs.	Rs.
(a) Rent, Rates and Taxes	40011	41238	37200	51200	169649	123426
(b) Other Office Expenses	5504	5082	4563	14682	29831	55340
Total	45515	46320	41763	65882	199480	178766

SCHEDULE 20

STUDENT SCHOLARSHIPS AND AWARDS

	1987-88 Rs.	1986-87 Rs.
(a) Merit Scholarships and Merit-cum-Means Assistance	42900	46600
(b) Prize awards (including expenses on journeys)	7594	2401
	50494	49001
Less : Interest earned on deposits for institution of prize awards	1775	1650
Total	48719	47351

As per our report of even date
on the Balance Sheet
For D. K. SENGUPTA & CO.
Chartered Accountants

(D.K. SENGUPTA)

Signature to Schedules 1 to 20

New Delhi
July 14, 1988

T.P. SUBBARAMAN
Secretary & Executive Director

SHYAMAL SEN
Vice-President

B.S. DORAISWAMY
President

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988